संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट
ABRIDGED ANNUAL REPORT 2015-16

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत अवसर

PROVIDING OPPORTUNITIES FOR A BETTER FUTURE

विषय सूची	पृष्ठ संख्या	Contents	Page No.
वार्षिक आम बैठक की सूचना	02	Notice of the Annual General Meeting	02
निदेशक रिपोर्ट	07	Directors' Report	10
प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण	13	Management Discussion and Analysis	18
कारपोरेट शासन रिपोर्ट	23	Corporate Governance Report	23
सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण	41	CEO / CFO Certification	41
मुख्य कार्यपालक अधिकारी की घोषणा	41	Declaration by CEO	41
संक्षिप्त तुलन-पत्र	42	Abridged Balance Sheet	43
संक्षिप्त लाभ एवं हानि खाता	46	Abridged Profit & Loss Account	47
संक्षिप्त नकदी प्रवाह का विवरण	50	Abridged Cash Flow Statement	50
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	51	Significant Accounting Policies	51
संक्षिप्त वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी	65	Notes to the Abridged Financial Statement	65
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	102	Report of the Independed Auditors	102
परोक्षी फार्म	109	Proxy Form	110
उपस्थिति पत्र	111	Attendance Slip	111

निदेशक मंडल BOARD OF DIRCETORS

श्री हरविंदर सिंह, श्री नीरज भाटिया, श्री आर. पी. मराठे (कार्यपालक निदेशक), श्री मेलविन रेगो (प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ), श्री आर. एल. बिश्नोई, श्री जी. पद्मनाभन (अध्यक्ष), श्री आर. ए. शंकरनारायणन (कार्यपालक निदेशक), श्री बि. पी. शर्मा (कार्यपालक निदेशक), श्रीमती आर. सेबैस्टियन, सुश्री ऐना रॉय, श्री संजीव कुमार अरोरा

Shri. Harvinder Singh, Neeraj Bhatia, R. P. Marathe (ED), Melwyn Rego (MD & CEO), R. L. Bishnoi, G. Padmanabhan (Chairman), R. A. Sankaranarayanan (ED), B. P. Sharma (ED), Smt. R. Sebastian, Ms. Anna Roy, Sanjiv Kumar Arora

सांविधिक लेखा-परीक्षक STATUTORY AUDITORS

मेसर्स एम एम निस्सिम एंड कंपनी
M/s. M. M. Nissim and Co.

मेसर्स डी. सिंह एंड कंपनी
M/s. D. Singh and Co.

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय
M/s. J. P. Kapur and Uberai

मेसर्स ग्रोवर, लल्ला एंड मेहता
M/s. Grover, Lalla and Mehta

मेसर्स बी. रतन एंड एसोसिएट्स
M/s. B. Ratan and Associates

मेसर्स जी. डी. आपटे एंड कंपनी
M/s. G. D. Apte and Co.

बैंक ऑफ इंडिया / Bank of India

(भारत सरकार का उपक्रम),
(A Government of India undertaking),

प्रधान कार्यालय:
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व),
मुंबई - 400 051.
फोन: 022 - 6668 44 44
ई-मेल: headoffice.share@bankofindia.co.in
वेबसाइट: www.bankofindia.com

HEAD OFFICE:
Star House, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 051.
Phone: 022 - 6668 44 44
E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in
Website: www.bankofindia.com

महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Information	
ई-वोटिंग तिथियां	11 जुलाई, 2016 सुबह 10:00 बजे से 13 जुलाई, 2016 शाम 05:00 बजे तक	E- Voting dates	11th July, 2016 10 Am to 13th July, 2016 Till 05:00 Pm
लेखाबंदी तिथि	11 जुलाई, 2016 से 14 जुलाई, 2016	Book Closure	11th July, 2016 to 14th July, 2016
वार्षिक आम बैठक तिथि एवं समय	गुरुवार, 14 जुलाई, 2016 अपराह्न 03:00 बजे	Date & Time of Annual General Meeting	Thursday 14th July, 2016 at 3 Pm
वार्षिक आम बैठक का स्थान	बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.	AGM Venue	Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

महाप्रबंधक
GENERAL MANAGERS

राज कमल वर्मा	RAJ KAMAL VERMA
प्रमोद कुमार पट्टनायक	PRAMODA KUMAR PATTANAIK
राधानाथ कर	RADHA NATH KAR
रमेशचंद्र बलिआरसिंह	RAMESH CHANDRA BALIARSINGH
अनिल कुमार भल्ला	ANIL KUMAR BHALLA
गोपाल मुरली भगत	GOPAL MURLI BHAGAT
भालचंद्र वासुदेव उपाध्ये	BHALCHANDRA VASUDEO UPADHYE
संजय पवार	SANJAY PAWAR
शंकरदास गुप्ता	SHANKARDAS GUPTA
जैन भूषण	JAIN BHUSHAN
शिवजी राम मीणा	SHEOJI RAM MEENA
कुल भूषण जैन	KUL BHUSHAN JAIN
सुधाकर तन्नीरू	SUDHAKAR TANNIRU
सुशील कुमार कासलीवाल	SUSHIL KUMAR KASLIWAL
सुभाषचंद्र मोदी	SUBHASH CHANDRA MODI
निखलेश भार्गव	NIKHLESH BHARGAVA
कृष्ण लाल शर्मा	KRISHAN LAL SHARMA
सेंगोड गौंडर पलनिवेल	SENGODA GOUNDER PALANIVEL
वरदाचारी कुमार	VARADACHARI KUMAR
राजकुमार सिंह चौहान	RAJKUMAR SINGH CHOUHAN
दिनेशकुमार पूनमचंद गर्ग	DINESHKUMAR POONAMCHAND GARG
ब्रजेश कुमार मोहांती	BRAJESH KUMAR MOHANTY
इंदर मणि मलिक	INDER MANI MALIK
पी एल रामचंद्रन अय्यर	P L RAMCHANDRAN IYER
अज्ञेय कुमार आज़ाद	AGYEY KUMAR AZAD
चैतन्य गायत्री चिंतपल्ली	CHAITANYA GAYATRI CHINTHAPALLI
सुरेशचंद्र षडंगी	SURESH CHANDRA SARANGI
रमन कुमार शर्मा	RAMAN KUMAR SHARMA
प्रकाश काशीनाथ वर्तक	PRAKASH KASHINATH VARTAK
राम कृष्ण सिन्हा	RAM KRISHNA SINHA
मृत्युंजय कुमार गुप्ता	MRITYUNJAY KUMAR GUPTA
कुरुप्पत रविंद्रन नायर	KURUPPATH RAVINDRAN NAIR
श्याम सुंदर बनिक	SHYAM SUNDAR BANIK
अरविंद कुमार साहू	ARVIND KUMAR SAHU
रमेश चन्द्र ठाकुर	RAMESH CHAND THAKUR
सुरिंदर कुमार अगरवाल	SURIENDER KUMAR AGGARWAL
अमिताभ रस्तोगी	AMITABH RASTOGI

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय : स्टार हाऊस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

Head Office : Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai-400 051

सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बीसवीं वार्षिक आम बैठक गुरूवार,14 जुलाई 2016 को सायं 03.00 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -400 051 में निम्नलिखित कारोबार करने के लिए की जाएगी:

मद संख्या 1

यथा 31 मार्च 2016 के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, लेखा में कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा अंगीकार करना ।

बोर्ड के आदेशानुसार

एम ओ रेगो

(मेलविन रेगो)

प्रबंध निदेशक तथा सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 14.06.2016

टिप्पणियां:

1. **परोक्षी की नियुक्ति**

   बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा मतदान हेतु एक परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं। परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित फार्म उसमें निर्धारित स्थान पर वार्षिक आम बैठक के कम से कम 4 (चार) दिन पूर्व अर्थात दिनांक 08 जुलाई, 2016 को या उससे पहले बैंक के कारोबार के समय के समाप्त होने से पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

   कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसी कंपनी या अन्य किसी निकाय-कंपनी जो बैंक का शेयरधारक है, का विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि है, द्वारा आम बैठक के दिनांक से 4 (चार) दिन पहले, अर्थात दिनांक 08 जुलाई, 2016 को या उससे पहले बैंक के कारोबार के समय के समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में, जिस बैठक में उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा उक्त संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि यदि प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उसे बैठक में उपस्थित रहने का, मत देने का अधिकार नहीं होगा।

3. **लेखाबंदी**

   शेयरधारकों का रजिस्टर, एवं बैंक का शेयर अंतरण रजिस्टर वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सोमवार, 11 जुलाई, 2016 से गुरूवार 14 जुलाई, 2016 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on Thursday, July 14, 2016 at 03.00 p.m. at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051 to transact the following business:

Item No. 1

"To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2016, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2016, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts"

By order of the Board

(Melwyn Rego)

Managing Director & CEO

Place : Mumbai

Date : 14.06.2016

Notes.

1. **APPOINTMENT OF PROXY**

   A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON HIS/HER BEHALF. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the place specified in the Proxy form not later than 4(four) days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the close of banking hours of 8th July 2016.

2. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE**

   No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than 4 (four) days before the Annual General Meeting on or before the close of banking hours of 8th July 2016 .

3. **BOOK CLOSURE**

   The Register of the Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Monday, July 11th 2016 to Thursday 14th July, 2016 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting,

4. पते में परिवर्तन

जिन शेयरधारकों के पास शेयर डिमेट स्वरुप में हैं उन्हें अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना उनसे संबंधित सहभागी निक्षेपागार को देनी चाहिए। जिनके पास शेयर प्रत्यक्ष रुप में हैं, उन्हें अपने पते में परिवर्तन की सूचना बैंक के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर देनी चाहिए:

मेसर्स बिगशेयर सर्विसेस प्रा.लि.
युनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया
ई-2 अनसा औद्योगिक एस्टेट
साकीविहार रोड, साकीनाका,
अंधेरी (पूर्व), 400 072.
फोन - 022-40430200
फैक्स- 022-28475207
ई मेल : investor@bigshareonline.com

5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र सुपुर्द कर दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र में "परोक्षी" अथवा "प्रतिनिधी" में से वह जिस रुप में उपस्थित हो रहे हों उसका उल्लेख कर देना चाहिए।

6. अदावाकृत लाभांश यदि कोई हो

वे शेयरधारक जिन्होंने अपने लाभांश वारंट अभी तक नहीं भुनाए हैं / उन्हें पहले की अवधि के कोई वारंट अभी तक नहीं मिले हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे वारंट की अनुलिपि जारी करने के लिए अंतरण एजेंट से संपर्क करें। बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुसार लाभांश की सात वर्ष तक अदत्त राशि या अदावाकृत राशि कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 205-सी/125 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड(आईईपीएफ़) में अंतरित करनी होती है।

7. संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट

जो शेयरधारक संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट चाहते हैं वे हमारी वेबसाइट www.bankofindia.com से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा investor@bigshareonline.com पर मेल कर सकते हैं अथवा कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ इंडिया, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400 051 को पत्र लिख सकते हैं।

8. ई-वोटिंग

सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने हेतु बैंक के शेयरधारकों के लिए बैंक ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। निष्कपट एवं पारदर्शी रूप से ई-वोटिंग प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए बैंक ने श्री एस.एन.अनंतसुब्रमनियन एण्ड कं., कंपनी सचिव को परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ई वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के ई-वोटिंग अधिकारों को इस हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख 07 जुलाई 2016 को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कट ऑफ डेट में बैंक के शेयर प्रत्यक्ष अथवा डीमैट रूप में धारण करने वाले शेयर धारक अपना वोट इलेक्ट्रानिक के माध्यम से डाल सकते हैं।

4. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders holding shares in dematerialized form should communicate the change of address, if any, to their Depository Participant. Shareholders who hold shares in physical form should communicate the change of address to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address

M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd.,
Unit: Bank of India
E-2, Ansa Industrial Estate,
Sakivihar Road, Sakinaka
Andheri (E)- 400072

Tel : 22-40430200
Fax : 22 - 28475207
E mail : investor@bigshareonline.com

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry pass is annexed to this Report. Shareholders/ Proxy holders/ representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance slip- cum-Entry pass at the venue. Proxy/ Representative of a shareholder should state on the Attendance slip-cum-Entry pass "Proxy" or "Representative" as the case may be.

6. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received for previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate. As per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C/125 of the Companies Act, 2013.

7. FULL ANNUAL REPORT

Shareholders desirous to have a full Annual Report can download it from our website www.bankofindia.com or send email to investor@bigshareonline.com or letter to the Company Secretary, Bank of India, C-5, `G' Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

8. E-VOTING

The Bank is pleased to provide e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank has appointed M/s S N Ananthasubramanian & Co., Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on 07th July 2016 being the Cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

9. ई-वोटिंग अनुदेश

(i) शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार इस उद्देश्य से नियत यथा 07 जुलाई 2016 (कट-ऑफ तारीख) को बैंक के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में उनके द्वारा धारित शेयर के आधार पर होगा।

(ii) वोटिंग अवधि 11 जुलाई 2016 के सुबह 10.00 बजे आरंभ होगी और 13 जुलाई 2016 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। सीडीएसएल द्वारा उसी दिन शाम 5.00 बजे ई-वोटिंग मोड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा।

(iii) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com. पर लॉग-ऑन करना होगा।

(iv) Shareholders पर क्लिक करें।

(v) अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्ट करें।

(ए) सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी

(बी) एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी

(सी) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों उन्हें बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।

(vi) इसके बाद डिस्प्ले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(vii) यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया हो और किसी कंपनी/निकाय पर वोट किया हो, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।

(viii) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

डीमैट और भौतिक स्वरूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए	
पीएएन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक पीएएन की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने बैंक/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले के दो अक्षर और अपने पीएएन के 8 अंकों का सीक्वेन्स नंबर सूचित करें। • यदि सीक्वेन्स नंबर, 8 अंकों से कम अंकों का हो तो नाम के पहले दो अक्षरों (बड़े अक्षरों में) के बाद उस नंबर से पहले आवश्यक संख्या में 0 जोड़ें। अर्थात यदि आपका नाम रमेश कुमार है और सीक्वेन्स नंबर 1 है तो पीएएन फील्ड में RA0000001 लिखें।
जन्मतिथि	कथित डीमैट खाते या फोलियो के लिए dd/mm/yyyy प्रारूप में आपके डीमैट या बैंक अभिलेख में उल्लिखितानुसार जन्म तिथि की प्रविष्टि करें।

9. E-Voting Instructions

(i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on 07th July 2016 (Cut-off Date) fixed for the purpose.

(ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on 11th July 2016 and will end at 5.00 p.m. on 13th July 2016. The e-voting module shall also be disabled by CDSL at 5.00 p.m. on the same day.

(iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iv) Click on shareholders

(v) Now enter your User ID

(a) For CDSL: 16 digit beneficiary ID

(b) For NSDL: 8 Character DPID followed by 8 Digit Client ID

(c) Members holding shares in physical form should enter Folio number registered with the Bank.

(vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/ entity, then your existing password is to be used.

(viii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha numeric `PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/ Depository Participant are requested to us the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN Held. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two character of the name in CAPITAL letters. Eg, if your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA0000001 in the PAN field.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.

लाभांश बैंक विवरण	आपके डीमैट खाते में या बैंक अभिलेख में कथित डीमैट खाते या फोलियो हेतु रिकॉर्ड किए गए लाभांश बैंक ब्यौरों की प्रविष्टि करें। • लॉगिन करने के लिए कृपया डीओबी या लाभांश बैंक ब्यौरों की प्रविष्टि करें। यदि ब्यौरे डिपॉजिटरी या बैंक में ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेशों (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड् में मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।

(ix) इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात `SUBMIT' पर क्लिक करें।

(x) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीध बैंक चयन स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब `पासवर्ड निर्माण' मेन्यू में पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी/निकाय के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी/निकाय सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से - ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।

(xi) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-नोटिंग हेतु किया जा सकता है।

(xii) संगत <कंपनी का नाम> जिस पर आप वोट करना चाहें, हेतु इवीएसएन पर क्लिक करें।

(xiii) वोटिंग पृष्ठ पर आपको ` संकल्प विवरण' दिखेगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग हेतु `हाँ / नहीं' दिखेगा। इच्छानुसार `हाँ / नहीं' विकल्प चुनें। हाँ विकल्प चुनने से तात्पर्य है कि आप इस संकल्प से सहमत हैं और नंही विकल्प मतलब आप इस संकल्प से सहमत नहीं हैं।

(xiv) यदि आप संकल्प के पूर्ण ब्यौरे देखना चाहें तो "संकल्प फाईल लिंक" पर क्लिक करें।

(xv) आप ने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात `SUBMIT' पर क्लिक करें। एक 'confirmation box' प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहें तो 'ठीक' पर क्लिक करें अन्यथा आपका वोट बदलने के लिए `रद्द' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

(xvi) संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने पर आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(xvii) आपके द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकालने हेतु आप वोटिंग पेज पर `मुद्रित करने के लिए क्लिक करें' विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।

(xviii) यदि डीमैट खाता धारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें और पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।

- गैर-एकल शेयरधारक और कस्टोडियन के लिए नोट
- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और कस्टोडियन को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और कॉरपोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।

Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio. • Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id/ folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v)

(ix) After entering these details appropriately, click on `SUBMIT' tab.

(x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach `password creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company / entity on which they are eligible to vote, provided that company / entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolution contained in this notice.

(xii) Click on the EVSN for the relevant < Company Name> on which you choose to vote.

(xiii) On the voting page, you will see `Resolution Description' and against the same the option `Yes/ No' for voting. Select the option Yes or No as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiv) Click on the "RESOLUTION FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on `SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on `CANCEL' and accordingly modify your vote.

(xvi) Once you `CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvii) You can also take out print out of the voting done by you by clicking on the `Click here to print' option on the Voting page.

(xviii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

- Note for Non- Individual Shareholders and Custodians
- Non Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.

- संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia-com को ई मेल की जानी चाहिए जिसकी प्रतिलिपि scrutinizer@snaco.net को भेजी जाए।
- लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूज़र उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- खाते की सूची helpdesk.evoting@cdslindia-com को मेल की जाए और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
- उनको कस्टोडियन के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में लोड करना होगा ताकि स्क्रूटिनाइजर इसकी जांच कर सके।

(xix) ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) और www.evoting.com में उपलब्ध हेल्प खण्ड के तहत ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk@deslindia.com को ई मेल लिख सकते हैं।

(xx) बहु फोलियो/डीमैट खाता धारित शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए पृथक रूप से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार भारत सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के वोटिंग अधिकार का प्रयोग नही कर सकता है।

(xxi) रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

(xxii) कृपया नोट करें कि एक बार वोट देने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते या असाधारण आम बैठक में वोट नहीं दे सकते हैं। तथापि आप बैठक में उपस्थित रह सकते हैं और विचार-विर्मश, यदि कोई हो, में सहभागिता कर सकते हैं।

(xxiii) आप फोलियो में यूज़र प्रोफाइल ब्योरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतित कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में संसूचनाएं भेजने के लिए किया जाएगा।

10. सभा में मतदान

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात, अध्यक्ष कार्यसूची की मद के संबंध में मतदान का आदेश देंगे। बैठक में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए उनका वोट नहीं दिया है वे बैठक में मतदान के जरिए अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किए जाने वाले जांचकर्ताओं के पर्यवेक्षण में मतदान होगा। मतदान के पश्चात अध्यक्ष बैठक की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं।

11. मतदान के परिणाम के साथ संकलित ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक अपने वेबसाइट पर करेगा और उसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को देगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

(मेलविन रेगो)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14.06.2016

- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and CC to scrutinizer@snaco.net
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the accounts(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xix) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk@deslindia.com.

(xx) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

(xxi) The results of remote e-voting will be announced by the Bank at its website and also informed to the stock exchanges.

(xxii) Kindly note that once you have cast your vote you cannot modify or vote on voting at the Extraordinary General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

(xxiii) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

10. Voting at the Meeting

After the agenda item has been discussed, the Chairman will order Voting in respect the item on the agenda. Members attending the meeting and who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the meeting through Voting. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizer appointed for the purpose. After conclusion of the Voting, the Chairman may declare the meeting as closed.

11. The Results of the Poll aggregated with the results of e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges and the CDSL, the evoting agency.

By order of the Board

(Melwyn Rego)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 14.06.2016

निदेशक रिपोर्ट की विशेषताएँ

निदेशक मण्डल 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित लेखा विवरण और नकदी प्रवाह विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है ।

कार्यनिष्पादन:

घरेलू कारोबार:

- कासा जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.84% की वृद्धि हुई, एसबी जमाराशियों में 12.54% और सीडी जमाराशियों में 8.04% की वृद्धि हुई। घरेलू जामाराशियों में कम लागत की जमाराशियां की हिस्सेदारी जो यथा 31.03.2015 को 29.48% थी, सुधरकर 31.07.2016 को 34.18% हो गई।
- उच्च लागत वाली जमाराशियों को कम करने की हमारी कार्यनीति के फलस्वरूप घरेलू जमाराशियां 5.20% घटकर ₹ 3,98,000 से ₹ 3,77,309 करोड़ हो गई।कुल मीयादी जमाराशियों में ₹ 1 करोड़ से कम की मीयादी जमाराशियों (रिटेल जमाराशियों) की हिस्सेदारी वर्ष दर वर्ष आधार पर 56% से बढ़कर 71% हो गई।
- अग्रिम ने 7.23% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए ₹.2,89,515 करोड़ से ₹ 268,579 करोड़ हो गई क्योंकि दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली और अप-ग्रेडेशन पर और रिटेल आस्तियों के पक्ष में बहियों के पुन:तुलन पर ध्यान दिया गया। रिटेल आस्तियों की हिस्सेदारी वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 44% से बढ़कर 49% हो गई जबकि कारपोरेट ऋण अपेक्षानुसार 56% से घटकर 51% हो गया।
- प्राथमिकता क्षेत्र उधार, समायोजित निवल बैंक ऋण का 35.78% और समायोजित निवल बैंक ऋण में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 17.27% है।
- योजनाबद्ध रिटेल ऋणों में 10.61% वृद्धि हुई और यह ₹ 34,153 करोड़ से बढ़कर ₹.37,777 करोड़ हो गया।
- समग्र रूप में, घेरलू कारोबार में 6.05% की कमी आई है और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 6,87,515 करोड़ से ₹ 6,45,888 करोड़ पर पहुँच गया है।

विदेशी कारोबार:

- पिछले वर्ष के 13.65% की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विदेशी कारोबार में 2.87% की कमी आई है।

वैश्विक कारोबार:

- पिछले वर्ष के 10.60% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वैश्विक कारोबार में 5.19% की गिरावट आई है। कुल कारोबार मिश्र (जमा+अग्रिम) ₹ 8,94,667 करोड़ पर पहुँच गई जिसमें ₹ 48,966 करोड़ की कमी आई।
- कुल जमाराशि यथा 31.03.2015 को ₹ 5,31,907 करोड़ से घटकर यथा 31.03.2016 को ₹ 5,13,005 करोड़ हो गई जो 3.55% वृद्धि में कमी है।
- अग्रिम यथा 31.03.2015 को ₹ 4,11,726 करोड़ से घटकर यथा 31.03.2016 को ₹ 3,81,662 करोड़ हो गई जो 7.30% वृद्धि में कमी है।

वित्तीय मानदण्ड

- परिचालन लाभ ₹ 6,036 करोड़ और निवल हानि ₹ 6,089 करोड़।

  बासेल III अनुपात: सीईटी1 तथा सीसीबी 6.125% के न्यूनतम निर्धारित स्तर की तुलना में 7.97% पर रहा,टियर 1 7.625% के न्यूनतम निर्धारित स्तर की तुलना में 9.03% रहा और पूंजी पर्याप्तता अनुपात आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट (बासेल III के तहत) 9.625 % की तुलना में 12.01 % रहा।
- निवल मालियत ₹.20,172.03 करोड़ पर रही ।
- प्रति शेयर बही मूल्य यथा 31.03.2016 को ₹ 262.77 रही ।
- यथा 31.03.2016 को सकल एनपीए अनुपात 13.07 % रहा।
- यथा 31.03.2016 को निवल एनपीए अनुपात 7.79 % रहा।

वर्ष 2015-16 के लिए बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन का संक्षेप नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	11344	11724	3.35
गैर-ब्याज आय	4233	3653	-13.70
परिचालन व्यय	8089	9342	15.48
परिचालन लाभ	7488	6036	-19.39
प्रावधान / आकस्मिकताएं	5779	12125	109.81
निवल लाभ	1709	-6089	-456.29
प्रति शेयर आय (₹)	26.57	-83.01	-412.42
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	398.02	262.77	-33.73
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	6.70	-25.39	
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.27	-0.94	

प्रमुख वित्तीय अनुपात नीचे दिया गया है।

(प्रतिशत %)

मानदण्ड	2014-15	2015-16
अग्रिम पर आय	8.36	8.28
निवेश पर आय	8.08	7.81
निधियों पर आय	7.13	6.87
जमा राशियों की लागत	5.70	5.25
निधियों की लागत	5.27	4.95
निवल ब्याज मार्जिन	2.11	2.11
परिचालन व्ययों के प्रति गैर ब्याज आय	52.33	39.10
औसत कार्यशील निधि के प्रति अन्य आय	0.66	0.57
औसत कार्यशील निधि के प्रति परिचालन व्यय	1.33	1.54
औसत कार्यशील निधि के प्रति स्टाफ व्यय	0.82	0.88
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य परिचालन व्यय	0.51	0.66
आस्ति उपयोग अनुपात	1.23	0.99
कुल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	8.88	8.04
निवल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	27.17	23.75
लागत- आय अनुपात पर लागत	51.93	55.72

कारोबार पहल:

- भारत सरकार के "सभी के लिए आवास (शहरी)" मिशन पहल जो 2015-2022 के दौरान कार्यान्वित की जा रही है जिसमें वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करके बैंक ने सहभागिता की।
- भारत सरकार के कौशल विकास पहल को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने प्रधानमंत्री कौशल ऋण योजना (कौशल ऋण योजना) आरंभ की है।
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत बैंक ने ₹ 65 करोड़ सीमा सहित 1,108 खातों को मंजूरी दी।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत बैंक ने 3,76,486 खाते खोले हैं और योजना के अंतर्गत ₹ 2,752.28 करोड़ संवितरित की गई।
- वर्ष के दौरान 17,998 लाभार्थियों को मुद्रा कार्ड भी दिये गए
- स्टैण्ड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत बैंक ने अब तक 32 खाते खोले हैं जिसकी मंजूरी सीमा ₹ 546 लाख है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत छात्रों/प्रशिक्षुओं के खाते खोलने के लिए बैंक ने पीएमकेवीआई ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया है।
- छात्रों के लिए शिक्षा ऋण हेतु सिंगल विंडो सोल्यूशन देने के लिए भारत सरकार की एक पहल विद्या लक्ष्मी पोर्टल के साथ हमारे परिचालन सिस्टम को एकीकृत करने वाला हमारा बैंक पहले कुछ बैंकों में से एक है।
- बैंक आरसेटी के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के जरिए अधिक रोज़गार सृजन के लिए उद्यमी के रूप में एससी/एसटी युवाओं का हैण्डहोल्डिंग/वित्तपोषण और बढ़ावा दे रहा है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) परियोजना के लिए बीसी नेटवर्क का प्रयोग।
- बैंक का महाराष्ट्र सेल्स टैक्स विभाग और टी बोर्ड, पश्चिम बंगाल के साथ राज्यों में क्रमश: सेल्स टैक्स/वैट के संग्रह और चाय थोक की नीलामी के लिए टाई-अप व्यवस्था है।
- बीओआई* ईज़ी पे - व्यक्ति से व्यक्ति पेमेण्ट सोल्यूशन - 01.04.2015 से आरंभ की गई।
- रुपे प्लेटिनम कार्ड शुरू किए गए ।
- जून 2015 में एम्स भुवनेश्वर और पटना के लिए प्रीपेड क्लोस्ड यूज़र ग्रूप (सीयूजी) सुविधा शुरू की गई।
- नई विशिष्टताओं के साथ प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड शुरू किए गए।
- एनआरआई और जो लोग आईटी विवरणी नहीं दे सकते उनके लिए सिक्युर्ड क्रेडिट कार्ड सुविधा (प्रिविलेज और प्रिविलेज प्लस) आरंभ किया।
- वर्धित विशिष्टताओं के साथ विज़ा नेटवर्क के अंतर्गत बिज़नेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड आरंभ किए गए ।
- रिलायन्स मनी एक्सप्रेस (यूफर्स्ट) के साथ मिलकर को ब्रैण्डेड प्री-पैड कार्ड-गिफ्ट कार्ड, सामान्य प्रयोजन का कार्ड, कारपोरेट गिफ्ट कार्ड आरंभ किए गए।
- मई 2015 में एम-विज़ा एक मोबाइल से मोबाइल भुगतान समाधान - व्यक्ति से मर्चेन्ट पेमेन्ट सोल्यूशन आरंभ की गई। जल्दी ही दो महानगरों में आरंभ की जाएगी।
- कार्ड के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली कार्यन्वित की गई।
- एसएमएस आधारित मोबाइल रिचार्ज सुविधा आरंभ करना प्रक्रियाधीन है।

पूँजी

वर्ष के दौरान, बैंक ने सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमन, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में ₹ 10 प्रत्येक के 15,16,43,949 इक्विटी शेयर का अधिमानी आबंटन किया है जिसका ब्योरा निम्नानुसार है :

आबंटन की तारीख	शेकारधारक के नाम	इक्विटी शेयर की संख्या	प्रति शेयर प्रीमियम (₹ में)	राशि
30.09.2015	भारत सरकार	12,70,04,655	183.30	2,455.00
05.01.2016	भारतीय जीवन बीमा निगम	2,00,00,000	122.06	264.12
30.03.2016	जेनरल इन्शुरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	46,39,294	76.22	40.00
	कुल	15,16,43,949		2,759.12

इसके अतिरिक्त बैंक ने भारत सरकार से ₹ 1,150 और भारतीय जीवन बीमा निगम से ₹ 153.65 शेयर आवेदन राशि हेतु प्राप्त किया है जो अधिमानी आधार पर इक्विटी का सबस्क्रिप्शन है जिसका आबंटन 04 मई 2016 को किया गया था। आरबीआई के परिपत्रों के अनुसार इसे सीआरएआर के प्रयोजन से यथा 31.03.2016 को सीईटी1 पूंजी मानी जाएगी।

पूँजी पर्याप्तता:

बासेल-III की रूपरेखा के अनुसार, बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 12.01% था जो 9.625-% की विनियामक आवश्यकता से अधिक था।

पूँजी पर्याप्तता (बासेल II और बासेल III) का ब्योरा निम्नानुसार है:-

₹ करोड़ में

विवरण	बासेल - II				बासेल -III			
	31.03.2015		31.03.2016		31.03.2015		31.03.2016	
	राशि	सीआरएआर (%)	राशि	सीआरएआर (%)	राशि	सीआरएआर (%)	राशि	सीआरएआर (%)
सीईटी 1 पूंजी					26,091	7.18	27,385	7.97
अतिरिक्त टियर - 1 पूंजी					3,618	1.00	3,662	1.06
टियर I पूँजी	29,864	8.23	25,509	7.57	29,709	8.17	31,047	9.03
टियर II पूँजी	11,554	3.19	15,097	4.48	9,289	2.56	10,242	2.98
कुल	41,418	11.42	40,606	12.05	38,998	10.73	41,289	12.01
जोखिम भारित आस्तियां	3,62,726		3,36,943		3,63,523		3,43,754	

पुरस्कार एवं सम्मान:

- इकॉनोमिक टाइम्स द्वारा वर्ष 2015 में पीएसयू बैंकों में से बैंक ऑफ़ इंडिया को "सेकन्ड मोस्ट ट्रस्टेड ब्रैण्ड" माना गया।
- आईपीएसओएस सर्वे - भारत के सबसे अधिक प्रभावकारी ब्रांड के अंतर्गत सभी ब्रांडो में बैंक ऑफ इंडिया को 23वां स्थान और एसबीआई के बाद दूसरा।
- ईलेट्स मिडीया - सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल के लिए बीएफएसआई लीडरशिप अवार्ड।
- आईडीआरबीटी बैंकिंग एक्सलेंस अवार्ड - भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा वर्ष 2015 के लिए बड़े बैंकों में वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु दिया गया।

निदेशक उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक पुष्टि करते हैं कि मार्च 31, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करने में;

क लागू लेखा मानकों का पालन किया गया और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई, के लिए उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखा नीति सतत लागू की गई। उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों के संबंध में तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि खाते के बारे में सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत की जा सके;

ग बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखाधडी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उन्हें रोकने के लिए भारत में कार्यरत बैंकों पर लागू कानून के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित एवं उपयुक्त सावधानी;

घ वार्षिक लेखे कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किए गए हैं;

ङ बैंक द्वारा अनुसरण की जानेवाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया गया है और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से परिचालन में हैं;

च समस्त लागू कानून के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली बनायी गयी है और यह कि ऐसी प्रणाली पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से परिचालन में हैं।

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the audited statement of accounts and the cash flow statement for the year ended 31st March 2016.

PERFORMANCE:

Domestic Business:

- CASA deposits increased by 11.84% on Y-o-Y, SB deposits grew by 12.54% and CD by 8.04%. Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits improved from 29.48% as on 31-03-2015 to 34.18% as on 31.03.2016.
- Domestic deposits decreased by 5.20% from ₹ 3,98,000 crore to ₹ 3,77,309 crore as a result of our strategy to shed high cost deposits. Share of Term Deposits of less than ₹ 1 Crore (Retail deposits) in total term deposits, increased to 71 % from 56 % Y-o-Y.
- Advances registered a negative growth of 7.23% from ₹ 2,89,515 crore to ₹ 2,68,579 crore, as the focus was more on recovery and up-gradation of stressed assets, and on re-balancing of books in favour of Retail Assets. Share of Retail Assets increased to 49 % from 44 % Y-o-Y, while that of Corporate Loans decreased from 56 % to 51 % as desired.
- Priority Sector lending constituted 35.78% of Adjusted Net Bank Credit and the share of Agricultural Credit to Adjusted Net Bank Credit was 17.27%.
- Schematic Retail Credit grew by 10.61% from ₹ 34,153 crore to ₹ 37,777 crore.
- Overall, Domestic business has de-grown by 6.05% from ₹ 6,87,515 crore to ₹ 6,45,888 crore during FY 2016.

Overseas Business:

- Overseas business has de-grown by 2.87% during FY 2016 compared to last year growth of 13.65%.

Global Business:

- Global business has de-grown by 5.19% during FY 2016 compared to last year growth of 10.60%. Total Business mix (Deposits + Advances) reached at ₹ 8,94,667 crore, a de-growth of ₹ 48,966 crore.
- Total deposits decreased by 3.55% from ₹ 5,31,907 crore as on 31.03.2015 to ₹ 5,13,005 crore as on 31.03.2016.
- Advances decreased by 7.30% from ₹ 4,11,726 crore as on 31.03.2015 to ₹ 3,81,662 crore as on 31.03.2016.

Financial Parameters:

- Operating profit was ₹ 6,036 crore and Net loss was ₹ 6,089 crore.
- Basel III ratios : CET 1 Plus CCB was at 7.97% as against minimum prescribed level of 6.125%, Tier 1 was at 9.03% as against minimum prescribed level of 7.625% and capital adequacy ratio stood at 12.01% as against 9.625% prescribed by RBI (under Basel III).
- Net Worth as on March 31, 2016 stood at ₹ 20,172.03 crore.
- Book value per share was ₹ 262.77 as on 31.03.2016.
- Gross NPA ratio stood at 13.07% as on 31.03.2016.
- Net NPA ratio was 7.79% as on 31.03.2016.

The Financial performance of the Bank for the year 2015-16 is summarised below:

(₹ in crore)

Particulars	2014-15	2015-16	Growth (%)
Net Interest Income	11,344	11,724	3.35
Non-Interest Income	4,233	3,653	-13.70
Operating Expenses	8,089	9,341	15.48
Operating Profit	7,488	6,036	-19.39
Provisions / Contingencies	5,779	12,125	109.81
Net Profit	1,709	-6089	-456.29
Earnings per share (₹)	26.57	-83.01	-412.42
Book Value per share (₹)	398.02	262.77	-33.98
Return on Equity (%)	6.70	-25.39	
Return on Average Assets (%)	0.27	-0.94	

Key Financial Ratios are presented below

(In %)

Parameters	2014-15	2015-16
Yield on Advances	8.36	8.28
Yield on Investment	8.08	7.81
Yield on funds	7.13	6.87
Cost of Deposits	5.70	5.25
Cost of funds	5.27	4.95
Net Interest Margin	2.11	2.11
Non-Interest Income to Operating Expenses	52.33	39.10
Other Income to Average Working Fund	0.66	0.57
Operating Expenses to Average Working Fund	1.33	1.54
Staff Expenses to Average Working Fund	0.82	0.88
Other Operating Exp. to Average working Fund	0.51	0.66
Asset Utilization Ratio	1.23	0.99
Non-Interest Income to Total Income	8.88	8.04
Non-Interest Income to Net Income	27.17	23.75
Cost to Net Income Ratio	51.93	55.72

BUSINESS INITIATIVES:

- During the year, Bank has introduced Prime Minister Awas Yojana to participate in Government of India (GOI) initiative under "Housing for All (Urban)" Mission, being implemented during 2015-2022.
- Bank has introduced Pradhan Mantri Kaushal Rin Yojana (Skill Loan Scheme) to provide fillip to Skill Development initiatives of the GOI.

- Under Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), the Bank has sanctioned 1,108 accounts with limit of ₹ 65 crore.
- Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), the bank has opened 3,76,486 accounts and ₹ 2,752.28 crore has been disbursed under the scheme.
- MUDRA cards has also been given to the 17,998 beneficiaries during the year.
- Under Stand-Up India programme, the Bank has so far opened 32 accounts with a sanctioned limit of ₹ 546 lakhs.
- Bank's PMKVY Online Portal has been launched for opening of Students/Trainees accounts under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) Scheme.
- The Bank is also one of the 1st few banks to have integrated its operating system with Vidya Lakshmi Portal, an initiative of the GOI to provide single window solutions to students for availing Education loans.
- The bank is also promoting and handholding/financing SC/ST youth as an entrepreneur to generate employment by extending training programme through Rural Self-Employment Training Institute (RSETI) and arranging working capital requirements.
- Use of BC network for National Skill Development Corporation (NSDC) project.
- Bank has tie-up arrangement with Maharashtra Sales Tax department and Tea Board, West Bengal for collection of Sales Tax / Vat and auction of tea lots respectively in the states.
- BOI Eazy Pay – a person to person payment solution – Rolled out on 01.04.2015.
- Introduced RuPay Platinum Cards.
- Rolled out Closed User Group (CUG) Pre-paid Cards for AIIMS Bhubaneswar and Patna.
- Introduced Platinum Credit Cards with enhanced revamped features.
- Rolled out Secured Credit Cards (Privilege and Privilege Plus) for NRI and individuals who are not able to furnish IT Returns.
- Business Debit & Credit Cards with enhanced features launched under Visa network.
- Co-branded Pre paid Cards - Gift Cards, General Purpose Cards and Corporate Gift Cards in partnership with Reliance Money Express (YouFirst) rolled out.
- mVisa - a mobile to mobile payment solution - individuals to merchant payment solution was launched in May 2015. Being rolled out, shortly, in two Metros.
- Implemented Fraud Risk Management system for cards.
- Introduction of SMS based Mobile Recharge facility is under process.

CAPITAL

During the year, the Bank has made preferential allotment of 15,16,43,949 Equity Shares of ₹ 10 each in accordance with the regulation 76(1) of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, the details of which are as under:

(₹ in crore)

Date of Allotment	Name of the Shareholder	No. of equity shares	Premium per share (in ₹)	Amount
30.09.2015	Government of India	12,70,04,655	183.30	2,455.00
05.01.2016	Life Insurance Corporation of India	2,00,00,000	122.06	264.12
30.03.2016	General Insurance Corporation of India	46,39,294	76.22	40.00
	Total	**15,16,43,949**		**2,759.12**

The Bank has received ₹ 1,150 crore from Government of India and ₹ 153.65 crore from the Life Insurance Corporation of India towards share application money for subscription to equity shares on preferential basis, the allotment of which has been made on 4th May, 2016. The same is treated as CET1 capital for CRAR purpose as on 31.03.2016 in accordance with RBI circulars.

CAPITAL ADEQUACY:

- As per Basel III framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio was 12.01% which is higher than the regulatory requirement of 9.625%.
- Details of Capital Adequacy (BASEL II & III) are :

(₹ in crore)

Particulars	BASEL – II				BASEL – III			
	31.03.2015		31.03.2016		31.03.2015		31.03.2016	
	Amount	CRAR (%)	Amount	CRAR (%)	Amount	CRAR (%)	Amount	CRAR (%)
CET 1 Capital					26,091	7.18	27,385	7.97
Additional Tier I Capital					3,618	1.00	3,662	1.06
Tier I Capital	29,864	8.23	25,509	7.57	29,709	8.17	31,047	9.03
Tier II Capital	11,554	3.19	15,097	4.48	9,289	2.56	10,242	2.98
Total Capital	41,418	11.42	40,606	12.05	38,998	10.73	41,289	12.01
Risk Weighted Assets	3,62,726		3,36,943		3,63,523		3,43,754	

Awards & Accolades:

- Bank of India has been rated as the '' Second Most Trusted Brand'' in India among PSU banks in 2015 by Economic Times.
- Bank of India ranked 23rd amongst all the brands and 2nd next to SBI amongst Banks under IPSOS survey, India's most influential Brands 2015.
- Elets Media -BFSI Leadership Award for best Financial Inclusion initiatives.
- IDRBT BANKING EXCELLENCE AWARDS – Best Bank Award under category "Use of Technology for Financial Inclusion among large Banks for the year 2015, conferred by Governor, Reserve Bank of India.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2016:

a) The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended March 31, 2016,

c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,

d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis,

e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively,

f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण:

संपूर्ण परिदृश्य

वैश्विक मुद्दे:

पूरे विश्व में वृद्धि की गति मंद है। आईएमएफ द्वारा जारी नवीनतम वर्ल्ड इकानॉमिक आउटलूक के अनुसार वर्ष 2016 के लिए वैश्विक वृद्धि 3.2% और वर्ष 2017 के लिए 3.5% अपेक्षित है। एशिआई अर्थव्यवस्था के बीच चीन की वृद्धि वर्ष 2016 के लिए 6.9% हुई है और वर्ष 2017 में 6.5% होना अपेक्षित है। यह अपेक्षा की जा रही है कि उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थ व्यवस्था (EMDE) सम्पूर्ण विकास को नीचे की ओर ले जाएगा। निर्यात पर निर्भरशील देशों पर और माल उत्पादकों पर विपरित प्रभाव होगा। एक अन्य विशिष्टता है वैश्विक व्यापार वृद्धि (2.8%) वैश्विक आउटपुट वृद्धि (3.5%) से पीछे है।

घरेलू आर्थिक परिदृश्य:

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान जीडीपी 7.6% अपेक्षित है और वित्तीय वर्ष 2017 के लिए वृद्धि का पूर्वानुमान 7.90% है। तथापि हाई फ्रीक्वेन्शी इंडिकेटर जैसे इन्जेक्स ऑफ इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन (आईआईपी), बैंक क्रेडिट की वृद्धि और उद्योग द्वारा क्षमता का प्रयोग संतुलन दर्शा रहा है। पण्य के मूल्य में गिरावट ने चालू खाते में घाटे को नियंत्रित रखा है जो वित्तीय वर्ष 16 के लिए जीडीपी का 1.3% अपेक्षित है।

सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति अच्छी है। पण्य के मूल्यों में कमी के कारण मुद्रास्फीति कम रही। यह अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2017 के लिए सरकार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.5 प्रतिशत पूरा करेगा। मुद्रास्फीति कम रहने और राजकोषीय समेकन के प्रयास के कारण अप्रैल 2016 में रेपो रेट को 0.25 बीपीएस घटाकर 6.50% किया गया और रेपी-रिवर्स रेपो- एमएसएफ कॉरोडोर के बीच बैण्ड को 2% से कम करके 1% किया गया ताकि ब्याज दर में अस्थिरता न्यूनतम हो।

वास्तविक क्षेत्र में पॉवर, कोयला, खनन, बिजली और सीमेंट खण्ड में प्रभावपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानदण्ड को उदारीकृत किया गया है और कारोबार को आसानी से करने के लिए जोरदार प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत 200 मिलियन के अधिक लोगों के लिए बैंक खाता बनाया गया है।

बैंकिंग क्षेत्र:

जहाँ तक बैंकिंग उद्योग का संबंध है वित्तीय वर्ष 16 में सुधार के बाद वाला काल अत्यधिक चुनौतिपूर्ण वर्ष रहा है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने कारोबार में 10-11 प्रतिशत वृद्धि में कमी दर्ज की है। बैंक के आस्ति गुणवत्ता पर विभिन्न कारणों से बुरा असर हुआ है जैसे वैश्विक आर्थिक मंदी, निर्यात में कमी, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण रूकी हुई आधारभूत और सड़क परियोजना, विनियामक सहनशीलता की कमी और आरबीआई द्वारा एक्यूआर आरंभ करना तथा कारोबार में आत्मविश्वस की कमी।

एक तरफ लाभप्रदता के पक्ष में बैंक के कार्यनिष्पादन में कमी आई है दूसरी तरफ नीतियों में काफी संख्यक परिवर्तन हुए हैं। सरकार ने इन्द्र धनुष कार्यक्रम के तहत परिवर्तन शुरू किए और बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की जिसका कार्य बोर्ड शासन प्रणाली समेकन में सुधार करना ,एनपीए समाधान और बैंक के दैनंदिन कार्य में और स्वतंत्रता देना है। ह्रासित आस्ति के जल्द से जल्द समाधान के लिए बहु प्रतिक्षित बैंकरप्टसी कोड आरंभ किया गया है। डीआरटी और सरफेसी अधिनियमों को और प्रभावी बनाने के लिए आशोधित किया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेमेन्ट एण्ड स्माल फिनैन्स बैंकों को लाइसेंस जारी किया है। यूनिवर्सल बैंकों को भी नए लाइसेंस दिए जा रहे हैं। भुगतान और निपटान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एनपीसीआई ने यूनिफाइड इंटरफेस शुरू किया है और भारत बिल पेमेन्ट सिस्टम आरंभ किया है। आरबीआई ने सीआरएआर की गणना के लिए पूंजी के रूप में माने जाने के लिए कतिपय मदों में परिवर्तन आरंभ किया है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 16 में 0.625% का पूंजी संरक्षण बफर (Capital Conservation Buffer) आरंभ किया है। समस्त रूप से वित्तीय वर्ष 16 के दौरान बैंकों की परिचालन परिस्थिति काफी चुनौतिपूर्ण रही। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी लगाने, स्व-शासन आदि के मामले में पूर्ण सहयाग देने का वादा किया है साथ ही यह अपेक्षा की है बैंक अपने परिचालन दक्षता और लाभप्रदता में सुधार लाएंगे।

बैंकिंग क्षेत्र - समस्याएं और चुनौतियां:

- भारत में बैंकों ने 1 अप्रैल 2016 से निधि आधारित उधार दरों पर सीमांत लागत (MCLR) अपनाया है। यह अपेक्षित है कि उधारकर्ताओं के लिए उधार लागत कम होगा।
- नवीनतम बैंकिंग सिस्टम डाटा के अनुसार संकलित जमाराशियां ₹ 97 लाख करोड़ और समग्र अग्रिम ₹ 75 लाख करोड़ है। पिछले कुछ पखवाड़ों में जमाराशि की वृद्धि, क्रेडिट की वृद्धि से कम रही।
- यूनिफाइड पेमेन्ट इंटरफेस (UPI) के आने से प्रौद्योगिकी ने एक लम्बी छलांग ली है जिसमें निर्बाध राशि अंतरण और धनप्रेषण सेवाएँ दी जाएगी। इसके अतिरिक्त छोटे वित्तपोषण और भुगतान बैंकों के आ जाने से बैंकिंग के क्षेत्र में प्रतिभागी बढ़ जाएंगे।
- बैंको की नई श्रेणी जैसे होलसेल बैंक और कस्टोडियन बैंको का आना प्रस्तावित है जबकि टैप पर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेस विचाराधीन है।
- जीडीपी की तुलना में बैंक क्रेडिट और जमाराशि का अनुपात चीन जैसे अन्य वित्तीय प्रमुखों की तुलना में भारत में कम है। इसके अतिरिक्त टॉप 10 वैश्विक बैंकों में से अभी भी हमारा कोई बैंक नहीं है।
- अनुभवी वरिष्ठ कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के कारण मानव संसाधन प्रबंधन को चुनौती। कुशल कार्मिको को बनाए रखने की चुनौती इसे और पेचीदा बना रही है।
- बदलते प्रौद्योगिती प्रवृत्तियों के साथ तालमेल रखने की आवश्यकता है। बैंक, खासकर पीएसबी में हानिकारक प्रौद्योगिकियों को छोड़कर नवोन्मेश पर ध्यान देना होगा।
- विश्लेषणात्मक फ्लैटफार्म में निवेश धोखाधड़ी से बचने में मदद करेगा।

कारोबार समीक्षा:

1. **जमा:**

   बैंक की बचत में 12.54% वृद्धि हुई जबकि चालू जमाराशि में 8.04% वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान बैंक की कुल जमाराशियाँ (घरेलू + विदेशी) ₹ 18,902 करोड़ घटकर ₹ 5,13,005 करोड़ हो गई। घरेलू जमाराशियाँ यथा 31 मार्च 2016 को ₹ 377309 करोड़।

   कासा:

   बचत और चालू जमाराशि को शामिल करते हुए कासा जमाराशि कुल जमाराशियों का 34.18% था। कासा जमाराशि में 11.84% वृद्धि हुई है।

2. **अग्रिम:**

   वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के सकल अग्रिम ने 7.30% कमी दर्ज की। सकल घरेलू ऋण ने 7.23% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2015 को ₹ 2,89,515 करोड़ से 31.03.2016 को ₹ 2,68,579 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान जोखिम को बांटने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और रिटेल संविभाग की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया।

i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम:

बैंक हमेशा से ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के अपने बृहत नेकवर्क एवं समर्पित कार्मिकों के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने में अग्रणी रहा है। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹.1,04,656 करोड़ का बकाया स्तर दर्ज किया है।

यथा 31 मार्च 2016 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का ब्रेक अप निम्नानुसार है-

(₹ करोड़ में)

	यथा 31.03.2016 को रकम बकाया
कृषि	50,508
लघु मध्यम उद्यम	39,466
शिक्षा	3,093
आवास	10,314
अन्य	1,275
कुल	1,04,656

* रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड (आरआईडीएफ़) सहित

बैंक विशेष कृषि क्रेडिट योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹.27253 करोड़ संवितरित कर सका।

ii) रिटेल बैंकिंग:

बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान अच्छा रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियों को बनाने की नीति का अनुसरण किया है। बैंक का रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियों ₹34,153 करोड़ से बढ़कर यथा 31 मार्च, 2016 को ₹37,777 करोड़ हो गया है। अग्रिम संविभाग को रिटेल उधार के पक्ष में चुकाना और कारपोरेट ऋण संविभाग को कम करना अपनाया जा रहा है। टियर-I और टियर-II शहरों को कवर करते हुए पूरे देश में बैंक के 49 रिटेल कारोबार केन्द्रों (आरबीसी) का रिटेल आवास ऋण/संपत्ति के निमित्त ऋण/वाहन ऋण/शिक्षा ऋण के प्रस्तावों के प्रसंस्करण में मुख्य भूमिका निभाया जाना जारी है।

iii) एसएमई:

एमएसएमई खण्ड के तहत बैंक का कार्यनिष्पादन:-

- एमएसई विनिर्माण क्षेत्र यथा मार्च 2015 में ₹ 21,595 करोड़ से घटकर यथा मार्च 2016 में ₹ 19,938 करोड़ हो गया (वर्ष-दर-वर्ष 7.67% नकारात्मक वृद्धि) ।
- एमएसई के तहत माइक्रो क्षेत्र की हिस्सेदारी मार्च 2015 में 43% से बढ़कर मार्च 2016 में 44% हो गई।
- माइक्रो खातों के संख्या में वृद्धि - 2015-16 के दौरान माइक्रो क्षेत्र के अंतर्गत 1,79,524 खातों को मंजूरी दी गई जो 10% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 31.03.2015 से वर्ष 2015-16 के दौरान 40% की वृद्धि है।

iv) कार्पोरेट ऋण :

प्रमुख शहरों में 10 बृहद कार्पोरेट शाखाएं स्थित हैं जो देश के प्रमुख कार्पोरेट - मुंबई(3 शाखाएँ), नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै, बंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा पुणे को सेवाएं प्रदान करती हैं। शेष प्रमुख कारोबार केन्द्रों में 33 मिड कार्पोरेट शाखाएँ और 30 एसएमई सिटि सेंटर कार्य कर रही हैं ।

कुल घरेलू अग्रिम में बृहद कार्पोरेट शाखाओं के जरिए यथा 31.03.2016 को अग्रिम का शेयर 38% है। एलसीबी के द्वारा कार्पोरेट क्षेत्र में अग्रिम 31.03.2015 को ₹ 1,19,675 करोड़ से घटकर 31.03.2016 को ₹ 1,05,133 करोड़ हो गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% नकारात्मक वृद्धि है ।

यथा मार्च,2016 के दौरान मिड कार्पोरेट शाखाओं के अंतर्गत कुल ऋण ₹ 33,128 करोड़ था ।

v) आधारभूत संरचना वित्तपोषण :

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बैंक ने निधिक आधारित सीमा में ₹5737 करोड़ और गैर-निधिक आधारित सीमा में ₹1762 करोड़ है जिसे पॉवर, दूर संचार, मार्ग, पत्तन और अन्य आधारभूत को कवर करते हुए आधारभूत संरचना परियोजनाओं के अंतर्गत नए और मौजूदा खातों में मंजूर किया गया है। यथा 31 मार्च 2016 को आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बकाया ऋण ₹45,935 करोड़ रहा।

3. वित्तीय समावेशन:

वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत प्रगति निम्नानुसार हैं :

- खोले गए बेसिक बचत बैंक जमा खातों की संख्या : 221.56 लाख,
- बीएसबीडी खाते में कुल संग्रहित जमाराशि : ₹ 2909 करोड़,
- जारी जीसीसी/केसीसी : 20.83 लाख,
- लगाए गए कारोबारी संपर्की : 7591,
- लगाए गए चैनल मैनेजमेंट पार्टनर : 5।,
- गांवों की संख्या जहां 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त :4,404,
- आईसीटी-बीसी के जरिए संव्यवहारों की संख्या : 155.37 लाख,
- संव्यवहरित रकम की मात्र : ₹ 5396.88 करोड़,
- बैंक ने यथा 31.03.2016 को 2000 से अधिक जनसंख्या वाले आबंटित 4404 सभी गावों में 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त किया है और यथा 31.03.2016 को कुल 23058 गांवों को कवर किया गया है,
- पर्याप्त जोखिम प्रशामकों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं वाली बेहतरीन परिचालन प्रणालियाँ बनायी गई हैं और अमल में लायी जा रहीं हैं।

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई):

- खोले गए बेसिक बचत बैंक जमा खातों की संख्या : 113.50 लाख,
- खोले गए बीएसबीडी खातों में शेष राशि : ₹ 1442.93 करोड़,
- जारी किए गए रुपे कार्ड की संख्या : 104.48 लाख।

प्रधानमंत्री बीमा और पेंशन योजना:

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत एनरोल व्यक्तियों की संख्या : 34.27 लाख,

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत एनरोल व्यक्तियों की संख्या : 12.56 लाख,

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत एनरोल व्यक्तियों की संख्या: 0.95 लाख।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

बैंक के (चार) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) झारखंड ग्रामीण बैंक (झारखण्ड राज्य), आर्यवर्त ग्रामीण बैंक (उत्तर प्रदेश राज्य), नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक (मध्य प्रदेश) तथा विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (महाराष्ट्र राज्य) में प्रायोजित किए हैं। ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाएं और प्रशासनिक कार्यालय अब सीबीएस प्लेटफॉर्म पर हैं। यह बैंक आरटीजीएस एनईएफटी और एटीएम सेवाएं देने में समर्थ हैं। समस्त आरआरबी 61 जिलों में फैले हैं और शाखा विस्तार 1557 है जिन्होंने ₹ 40,126 करोड़ का मिश्रित कारोबार किया है।

4. ऋण निगरानी:

वित्तीय वर्ष 2016 में आस्ति गुणवत्ता फ्रंट पर चिंताएं बढ़ी हैं जिसके लिए ऋण आस्तियों की अनुशासित दृष्टिकोण से निगरानी करने की जरूरत है।

बैंक का शाखा, अंचल, नैशनल बैंकिंग समूह और प्रधान कार्यालय स्तर पर ऋण संविभाग की निगरानी के लिए संरचित सेट अप है जो प्रारंभी दबाव/संभाव्य चूक/दोष वाले खातों की पहचान करता है और समयोचित सुधारात्मक कार्रवाई लेते हुए ऋण संविभाग की गुणवत्ता का संरक्षण/सुधार करता है।

5. एनपीए प्रबंधन एवं वसूली :

बैंक ने वर्ष 2015-16 में भी एनपीए प्रबंधन क्षेत्र में अपने कार्य निष्पादन को सुधारने में सतत ध्यान केंद्रित किया है और प्रयास किए हैं। एनपीए में कमी को बैंक में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है और आर्थिक परिवेश और परिस्थिति के कारण निरंतर महत्व बढ़ा है। वसूली बढ़ाने एवं एनपीए घटाने के लिए पर्याप्त उपाय आरंभ किए गए हैं। दबावग्रस्त आस्तियों में वसूली के प्रयास को जारी रखने और गति देने के लिए तीन महाप्रबंधकों की तैनाती की गई है। बट्टे खाते लिखे गए खातों में तथा एनपीए खातों में अप्रभारित/अप्राप्त ब्याज की अधिकतम वसूली के लिए प्रयास किए गए हैं जो बैंक के लाभ में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं।

पिछले 3 वर्षों में बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को ₹ 7,720 करोड़ के एनपीए की बिक्री की जिसमें प्रतिभूति रसीद (एसआर) निवेश ₹ 4,239 करोड़ शामिल हैं जिसमें प्रतिदान 4.17% पर है।

6. अंतर्राष्ट्रीय :

समस्त टाइम ज़ोन में फैले हुए 22 देशों में बैंक की 28 शाखाएं, 5 प्रतिनिधि कार्यालय, 5 अनुषंगी और 1 संयुक्त उद्यम शामिल हैं। बैंक के वैश्विक कारोबार और लाभ में विदेशी परिचालनों का योगदान कई वर्षों से महत्वपूर्ण रहा है। 31.03.2016 को वैश्विक कारोबार में विदेशी शाखाओं का हिस्सा करीब 28% रहा।

7. कोषागार परिचालन:

फॉरेक्स कारोबार :

बैंक द्वारा किए गए फोरेक्स कारोबार में अच्छी खासी वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2015-16 के दौरान, मर्चेंट और इंटर बैंक टर्नओवर क्रमश: ₹1,58,337.02 करोड़ और ₹6,28,652.95 करोड़ था। बैंक फॉरेक्स कारोबार में अब भी अग्रणी है। वर्ष के दौरान बैंक के फॉरेक्स कारोबार का कुल टर्नओवर ₹ 7,86,989.97 करोड़ था।

8. सूचना प्रौद्योगिकी:

बैंक तकनीकी समर्थित सेवाओं के साथ बैंकिंग मानकों का पुनर्नवीकरण कर रहा है :

- इंटरनेट बैंकिंग में नई विशेषताएं ऑनलाइन नामांकन सुविधा के साथ मीयादी जमाराशि खोलने की सुविधा, पीपीएफ खाते में ऑनलाइन राशि जमा करने की सुविधा, संपर्क ब्योरे को ऑनलाइन अद्यतन करने की सुविधा।
- यूटीलिटी बिलों का भुगतान, बीमा प्रीमियम, विनिर्दिष्ट बैंकों के क्रेडिट कार्ड भुगतान, निर्दिष्ट नगर पालिकाओं के संपत्ति करों के भुगतान के लिए बीओआई ई-पे।
- इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का उपयोग कर डेबिट-सह-एटीएम कार्ड के पिन का हॉट लिस्टींग /रिसेट/अनब्लॉक/परिवर्तन करना।
- शाखाओं में डिजिटल साइनेज प्रदर्शन बोर्ड।
- सभी प्रमुख शाखाओं में ई-गैलरी जिसमें पासबुक प्रिंटिंग किओस्क, नकद स्वीकार करने की मशीन, एटीएम और बल्क नोट एक्सेप्टर मशीन उपलब्ध है ।

9. संव्यवहार बैंकिंग विभाग :

- डिपॉजिटरी सेवाएं,
- स्टार शेयर ट्रेड (शेयर की ऑन लाईन ट्रेडिंग),
- ऐप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लाक्ड एमाउंट (एएसबीए),

10. थर्ड पार्टी उत्पाद :

जीवन बीमा हेतु टाई-अप:

बैंक ने अपने जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री हेतु बैंक के संयुक्त उद्यमी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार यूनियन दाई-ची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ अपनी कॉर्पोरेट एजेन्सी व्यवस्था को जारी रखा। बैंक के लगभग 4667 कर्मचारी ऐसे हैं जो विभिन्न केन्द्रों पर बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए “स्पेसिफाइड पर्सन” के रूप में कार्य करते हैं।

जनरल इंश्योरेंस (नॉन लाइफ) हेतु टाई-अप:

सामान्य बीमा उत्पाद बिक्री करने के लिए बैंक का नैशनल इंश्योरेंस कं. लि. (NICL) के साथ कारपोरेट एजेंसी समझौता है। बैंक ग्राहकों को स्टैण्डर्ड फायर एवं स्पेशल पेरिल, मेरिन, मोटर इंश्योरेंश जैसे विभिन्न प्रकार के सामान्य इंश्योरेंस कवर की सुविधाएं दे रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने एनआईसीएल के लिए कुल ₹ 196.55 करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा करते हुए ₹ 19.79 करोड का कमीशन अर्जित किया है।

म्यूचुअल फंड उत्पाद:

बैंक 10 आस्ति प्रबंधन कंपनियों के विविध म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री कर रहा है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान म्यूचुअल फंड कारोबार के वितरण से रु. 4.54 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

11. जोखिम प्रबंधन :

बैंक द्वारा की जानेवाली प्रत्येक कारोबार गतिविधि में जोखिम निहित है। बैंकिंग गतिविधियां हमें बड़ी संख्या में जोखिम में रखती है जैसे ऋण, विपणन, नकदी, परिचालनात्मक कार्यनीति, अनुपालन, प्रतिष्ठा का जोखिम आदि। बैंक को इन जोखिमों को संभालना पड़ता है तथा लंबी अवधि के परिणामों को व्यापकता प्रदान करने के लिए आस्तियों की समग्रता तथा अर्जन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना पड़ता है।

बैंक ने व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाई है जो जोखिमों की पहचान करती है, उपाय निकालती है और उसकी देखभाल करती है तथा इन सभी प्रयासों पर उचित रिपोर्ट बनाता है ताकि घटे हुए जोखिम का विस्तार परिचालन की निरंतरता को खतरे में न डाले।

12. निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा :

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा, जोखिम आधारित प्रबंधन लेखा परीक्षा (घरेलू), संगामी लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा और विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा की नीतियों की समीक्षा/उचित संशोधन किए गए और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के दिशानिर्देशों के द्वारा पिछले एएफआई में बताए गए क्षेत्रों को कवर/स्पष्ट किया गया।

13. अनुपालन :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक की अनुपालन कार्यनीति बैंक के बोर्ड द्वारा अपनाई गई है। बोर्ड अनुमोदित अनुपालन कार्य नीति (बोर्ड द्वारा दिनांक 26.02.2016 को आयोजित बोर्ड बैठक में अनुमोदित) है। बैंक में महाप्रबंधक की श्रेणी के मुख्य अनुपालन अधिकारी के नेतृत्व में स्वतंत्र अनुपालन विभाग कार्य कर रहा है। बैंक की सांविधिक, विनियामक एवं आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, बैंक के घरेलू और विदेशी दोनों में अनुपालन कार्य का परिचालन कार्य क्षेत्र है। विभाग ने शाखा बैंकिंग के निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए अनुपालन नियम तैयार किया है-

जिस क्षेत्र के नियम है	आवृत्ति	नियमों की सं.
अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध	मासिक	71
जमाराशियाँ व सेवाएँ	तिमाही	61
अग्रिम	तिमाही	63
एफईएमए	तिमाही	157

विभाग पूरे भारत में चयनित शाखाओं में अर्ध वार्षिकी अनुपालन परीक्षण कर रहा है और इसके निष्कर्ष सुधार हेतु सुझाव सहित उच्च प्रबंधन को प्रस्तुत किए जाते हैं। संबंधित अंचल के लिए अनुपालन अधिकारी की पहचान की गई है। कई मासिक रिपोर्टों/प्रमाणपत्रों के जरिए बोर्ड/बोर्ड की ऑडिट समिति/ उच्च प्रबंधन/प्रधान कार्यालय को सूचित की जाती है।

14. राजभाषा:

बैंक के प्रधान कार्यालय में एक सुस्थापित राजभाषा विभाग है जो बैंक में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी भारत सरकार के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान विभाग ने निम्नलिखित कदमों की पहल की:

- बैंक ने विभिन्न अंचलों एवं प्रशिक्षण महाविद्यालयों में वर्ष के दौरान कुल 194 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जिनमें 4838 स्टाफ सदस्यों (2514 अधिकारी एवं 2324 लिपिक) के हिन्दी भाषा-कौशल को विकसित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- नए भर्ती राजभाषा अधिकारियों के लिए संसदीय राजभाषा प्रश्नावली के संबंध में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए 25.08.2015 को नई दिल्ली/ एनसीआर में "कारोबार विकास में भाषा की भूमिका" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विभाग द्वारा एक ई-पत्रिका निकाली गई जिसमें विभिन्न त्यौहारों, प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म दिवस एवं अंतरराष्ट्रीय दिवसों पर लेखों का संकलन था। 15 अगस्त से 14 सितंबर 2015 तक प्रधान कार्यालय और सभी अंचलों में हिन्दी माह का आयोजन किया गया। हमारे विदेशी केन्द्रों यथा जौहन्सबर्ग, मोम्बासा, सिंगापुर, ग्लैस्गो आदि में भी हिन्दी दिवस मनाया गया।

15. आरक्षण नीति का अनुपालन:

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति का पूर्णतः अनुपालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय/आंचलिक कार्यालयों में विशेष भर्ती और एससी/एसटी कक्ष आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने और एससी/एसटी कक्ष/ ओबीसी कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए कार्यशील है। लिपिक संवर्ग से सामान्य बैंकिंग अधिकारी संवर्ग और अधिकारी संवर्ग के अंतर्गत स्केल I से II और स्केल II से स्केल III के एससी/एसटी उम्मीदवारों/ स्टाफ के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। बैंक ने प्रधान कार्यालय में क्रमशः ओबीसी और एससी/एसटी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारियों के रूप में महाप्रबंधक के रैंक के अधिकारियों को पदनामित किया है। आंचलिक कार्यालयों में एससी/एसटी/ ओबीसी श्रेणी के अधिकारियों को संपर्क अधिकारी/कक्ष अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधान कार्यालय/आंचलिक कार्यालयों में रखे गए पद आधारित आरक्षण रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। प्रधान कार्यालय और आंचलिक कार्यालयों में स्थापित एससी/एसटी कक्ष अन्य श्रेणियों जैसे भूतपूर्व कर्मचारी/विशिष्ट रूप से सक्षम व्यक्ति के संबंध में आरक्षण के कार्यान्वयन से भी संबद्ध है।

16. शाखा नेटवर्क एवं विस्तार :

बैंक के शाखा नेटवर्क का ब्योरा निम्नानुसार है:-

श्रेणी	31.03.2015		31.03.2016	
	शाखाओं की संख्या	कुल का %	शाखाओं की संख्या	कुल का %
महानगरीय	863	17.64	872	17.39
शहरी	821	16.78	835	16.64
अर्धशहरी	1317	26.92	1350	26.91
ग्रामीण	1891	38.65	1959	39.03
कुल घरेलू शाखाएं	4892	100	5016	100
विदेशी	60		60	
कुल शाखाएं	4952		5074	
इनमे से विशेषीकृत	271		271	

17. बैंक की अनुषंगियां/सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम :

1. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लि. (आईजेडबी)
2. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया (इंडोनेशिया) टीबीके
3. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड
4. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि.
5. बैंक ऑफ़ इंडिया (बोतस्वाना) लि.
6. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.
7. बीओआई शेयर होल्डिंग लि. (बीओआईएसएल)
8. बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनजर्स प्रा.लि. और बीओआई ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि.
9. बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लि. (बीओआईएमबी)
10. एसटीसीआई फिनैंस लि.
11. स्टार दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (सुड लाइफ)

महत्वपूर्ण निवेश/गठजोड़ :

1. सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल)
2. एएसआरईसी (इंडिया) लि.
3. ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि. (सीआईबीआईएल)
4. नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. (एनसीएमएसएल)
5. स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेस प्रा.लि
6. एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ़ इंडिया लि. (एसएमईआरए)

18. कारोबार दायित्व रिपोर्टिंग 2015-16

सेबी सूचीकरण विनियमन 2015 का क्लाज 34(2) (एफ)। इसका टेक्स्ट हमारी वेबसाइट www.bankofindia.com में उपलब्ध है।

आभार

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं संपर्ककर्ता बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यबाद ज्ञापित करता है। बोर्ड ग्राहकों , कारोबार सहयोगियों एवं शेयरधारकों की असीमित सहायता हेतु आभार तथा बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों के प्रति भी उनकी समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

बोर्ड के निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

एम ओ रेगो

(मेलविन रेगो)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 14 जून, 2016

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बैंक ऑफ़ इंडिया, देश का एक प्रमुख वित्तीय संस्था होने के कारण हमारे प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञों के स्वप्नों का सहभागी है कि कोई भी भारतीय भूख़ा न रहे, कुपोषण न रहे तथा बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध हों तथा वहन करने योग्य शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं रहे, परिवेश को सशक्त बनाते हुए बराबर अवसर हो जिससे सामाजिक तथा आर्थिक असमानता में कमी आए। बैंक ऑफ़ इंडिया का विश्वास है कि जिस समाज ने बैंक को कालान्तर में एक विशाल आकार में वृद्धि के लिए सहायता प्रदान किया वह समाज अपने विकास के लिए बदले में कुछ प्राप्त करने का अधिकार रखता है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में पिछले कुछ वर्षों में संपूर्ण देश में बैंक ने उदारतापूर्वक योगदान दिया है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गठित कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में सीएसआर के अंतर्गत व्यय का आदेश नया प्रावधान है। यद्यपि बैंक ऑफ़ इंडिया इस प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है तथापि एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक होने के कारण नेक कारणों के लिए स्वेच्छा से सीएसआर गतिविधियों में सहभागी हो रहा है।वर्ष 2015-16 के दौरान अनेक सीएसआर परियोजनाओं को बैंक ऑफ़ इंडिया ने अनुमोदित किया है जिनका या तो उपयोग किया गया है या उपयोग के प्रक्रिया में है।

बैंक ने निम्नलिखित के अंतर्गत सीएसआर परियोजनाओं में सहायता की है:-

- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सहभागिता
- प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को सहायता
- पर्यावरण सुरक्षा की पहल
- प्रशिक्षण तथा कौशल विकास पर पहल
- गरीबों/सुविधा से वंचितों को स्वास्थ सेवा प्रदान करना
- कैंसर रोगियों को सहायता
- नि:शक्तजन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना
- मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए सहायता
- नेत्रहीन व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजना
- लड़कियों/महिलाओं की देखभाल, अनाथालय के लिए हॉस्टल भवन का निर्माण और गांधी आश्रम और छात्र गृह का नवीकरण और मरम्मत
- ग्रामीण विकास की पहल और स्व रोजगार के लिए बेहतर रोज़गार के अवसर हेतु कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर ग्रामीण युवा को सशक्त करना; और
- एससी/एसटी/ओबीसी और समाज के पिछड़े तबके का कल्याण

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

OVERALL BUSINESS ENVIRONMENT

Global Developments:

Growth is sluggish across the globe. According to the latest World Economic Outlook released by IMF, global growth is expected to be 3.2% for 2016 and 3.5% for 2017. Among Asian economies, growth in China moderated to 6.9% for 2016 and growth for 2017 is expected to be 6.5%.This is expected to pull down overall growth for Emerging Markets and Developing Economies (EMDEs). Countries dependent on exports would be adversely impacted and so will commodity producers. Another notable feature is world trade growth (2.8%) lagging behind global output growth (3.5%).

Domestic Economic Scenario:

GDP is estimated at 7.6 % during FY 2016 and growth projection for FY 2017 is at 7.90%. However, high frequency indicators such as Index of Industrial Production (IIP), bank credit growth and capacity utilization by industry show moderation. Falling commodity prices kept Current Account Deficit under check which is expected to be 1.3% of GDP for FY 2016.

Both CPI and WPI inflation are benign. Low inflation has been sustained due to low commodity prices. Government is expected to meet its fiscal deficit target of 3.5 per cent of GDP for FY 2017. Due to comfort on inflation front and efforts at fiscal consolidation, repo rate has been reduced by 0.25% to 6.50% in April 2016 and the band between repo-reverse repo-MSF corridor has been narrowed to 1% from 2% to minimize volatility in interest rates.

In the real sector, impressive strides are being made in power, coal, mining, electricity and cement segments. Foreign direct investment norms have been liberalized and vigorous efforts have been undertaken to improve the ease of doing business. Bank accounts for over 200 million people under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana have also been opened.

Banking Sector:

As far as banking industry is concerned, FY 2016 has been one of the most challenging year in the post reforms era. The business of all Scheduled Commercial banks' recorded a lower growth of 10-11 percent. Asset Quality of banks suffered on account of variety of factors like global economic slowdown, lower exports, infra and road projects getting stalled for lack of necessary approvals, withdrawals of regulatory forbearance and Asset Quality Review (AQR) by RBI.

While the performance of banks was adversely impacted on profitability front, there have been a slew of policy changes. Under the Indra Dhanush programme of Government of India, Bank Boards Bureau was set up and entrusted with the task of improving Board Governance, consolidation, NPA resolution and providing more autonomy to banks in their day to day functioning. The much awaited Bankruptcy Code has been introduced for faster resolution of impaired assets. The DRT and SARFAESI Acts are also being modified to make them more effective. The Reserve Bank of India issued licenses to Payment and Small Finance banks. New licenses are also being offered to universal banks. On payment and settlement technology front, NPCI launched a unified interface and also introduced the Bharat Bill Payment system. RBI introduced certain changes in items which could be reckoned as capital for calculation of CRAR. At the same time the Capital Conservation Buffer of 0.625% was introduced starting from FY 2016. Overall, the operating environment for Banks has been quite challenging during FY 2016. The Government of India has pledged its full support to public sector banks in terms of capital infusion, autonomy etc. and at the same time, expecting banks to improve their operational efficiency & profitability.

Banking Sector-Issues and Challenges:

- Banks in India transitioned to Marginal Cost of Funds Based Lending Rates (MCLR) system with effect from April 1, 2016. This is expected to lower borrowing costs for borrowers.
- Aggregate deposits are at ₹ 97 Lakh crore and Gross Advances at ₹ 75 Lakh crore, according to latest banking system data. Deposit growth has lagged behind credit growth for the last couple of fortnights.
- A big leap is expected on the technology front with the ushering in of Unified Payment Interface (UPI) enabling seamless money transfer and remittance services. Moreover, with the entry of small finance and payment banks, the number of players in the banking space is set to increase.
- New categories of banks like Wholesale Banks and Custodian Banks are also proposed while universal banking licenses on tap is on the anvil.
- The ratio of bank credit and deposits to GDP is low in India against other financial majors like China. Moreover, we still do not have a bank among the top 10 global banks.
- Human resource management is an area of focus due to retirement of experienced senior personnel. This is complicated by the challenge to retain skilled personnel.
- There is a need to keep pace with changing technological trends. Banks, especially PSBs, need to embrace disruptive technologies and focus more on innovation.
- Investing in analytics platforms will help prevent frauds.

BUSINESS REVIEW:

1. DEPOSITS:

Savings Deposits grew by 12.54%, whereas Current deposits grew by 8.04%. Overall, Bank's total deposits (domestic + overseas) reduced by ₹ 18,902 crore to ₹ 5,13,005 crore during the year. The domestic deposits stood at ₹ 3,77,309 crore as on March 31, 2016.

CASA:

CASA deposits comprising Savings & Current deposits stood at 34.18% of total deposits. CASA deposits have grown by 11.84% .

2. ADVANCES:

Bank's gross advances during the FY 2016 registered de-growth of 7.30%. Gross Domestic Credit registered a negative growth of 7.23% from ₹ 2,89,515 crore on 31.03.2015 to ₹ 2,68,579 crore on 31.03.2016. The focus during FY 2016 was on increasing the Priority Sector & Retail portfolio and to diversify the risk.

i) Priority Sector Advances:

The Bank has always been one of the leaders in servicing to the priority and agriculture sectors, with its vast network of rural and semi-urban branches and committed work force. The Bank has registered an outstanding level of ₹ 1,04,656 crore under Priority Sector.

The breakup of Priority Sector as on 31st March, 2016 is as under:

(₹ in crore)

	Amount O/s as on 31-03-2016
Agriculture *	50,508
SME	39,466
Education	3,093
Housing	10,314
Others	1,275
Total	1,04,656

* including Rural Infrastructure Development fund (RIDF)

Under Special Agricultural Credit Plan, Bank branches could disburse ₹ 27,253 crore during the year.

ii) Retail Banking:

During the year 2015-16, bank pursued the policy of building up a healthy Retail Credit portfolio. The retail credit portfolio of the Bank increased from ₹ 34,153 crore to ₹ 37,777 crore as on 31st March, 2016. A strategy of rebalancing advances portfolio in favour of retail lending and to reduce the Corporate loans portfolio has been adopted. Bank's 49 Retail Business Centers (RBCs), across the country covering Tier-I &Tier-II cities, continue to play a key role in processing of Retail Home Loans/Loan against Property /Vehicle Loans/Education Loan proposals.

iii) SME:

Performance of the Bank under MSME Segment:

- MSE manufacturing sector has declined from ₹ 21,595 crore as on March 2015 to ₹ 19,938 crore as on March 2016. (Y-O-Y de-growth of 7.67%).
- Share of Micro sector within MSE has increased to 44% as on March 2016 from 43% as on March 2015.
- Growth in number of Micro accounts – 1,79,524 accounts have been sanctioned under Micro segment during 2015-16 registering growth of 40% over 31.03.2015 against the mandatory target of 10%.

iv) Corporate Credit :

There are 10 Large Corporate Branches (LCBs) located at major cities catering to all the major corporates across country – Mumbai (3 branches), New Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad and Pune. Further, 33 Mid Corporate Branches and 30 SME City Centres cover the rest of major business centers.

The advances through LCBs constituted 38% share in total domestic advances as on 31.03.2016. Advances to Corporate segment has declined from ₹ 1,19,675 crore as on 31.03.2015 to ₹ 1,05,133 crore as on 31.03.2016, showing a negative growth of 12% over last year.

As on March, 2016, outstanding credit under Mid Corporate Branches stood at ₹ 33,128 crore.

v) Infrastructure Finance :

During the FY 2016 the Bank has sanctioned Fund Based Limits of ₹ 5,737 crore and Non Fund Based Limit of ₹ 1,762 crore under infrastructure projects in new and addition to existing accounts covering Power, Telecommunication, Roads, Ports and other infrastructure. As on March 31, 2016 outstanding credit to infrastructure sector stood at ₹ 45,935 crore.

3. FINANCIAL INCLUSION:

Progress under Financial Inclusion:

- Number of Basic Savings Bank Deposit Accounts opened : 221.56 lakhs,
- Balance outstanding in BSBD accounts opened: ₹ 2,909 crore,
- GCC/KCC issued: 20.83 lakhs,
- Number of Business Correspondents engaged: 7,591,
- Channel Management Partners engaged: 51,
- Number of Villages where 100% FI achieved:4,404,
- Number of transactions through ICT-BC : 155.37 Lakhs,
- Volume of Amount transacted : ₹ 5,396.88 crore,
- Bank has achieved 100 % Financial Inclusion in all 4,404 allotted villages with population above 2,000 and total 23,058 villages covered as on 31.03.2016,
- Robust operational systems with adequate risk mitigants and best practices have been built up and are being pursued.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):

- Number of Basic Savings Bank Deposit Accounts **(BSBD)** opened: 113.50 lakhs,
- Balance outstanding in BSBD accounts opened: ₹ 1,442.93 crore,
- Number of Rupay card Issued : 104.48 lakhs.

PM's Insurance & Pension Scheme:

Number of person enrolled under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana **(PMSBY)** : 34.27 lakhs,

Number of person enrolled under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana **(PMJJBY)**: 12.56 lakhs,

Number of person enrolled under Atal pension Yojna : 0.95 lakhs.

Regional Rural Banks:

Bank has sponsored 4 (four) Regional Rural Banks (RRBs) namely Gramin Bank of Aryavart-GBA (Uttar Pradesh State), Narmada Jhabua Gramin Bank -NJGB(Madhya Pradesh State) , Vidarbha Konkan Gramin Bank –VKGB (Maharashtra State) and Jharkhand Gramin Bank-JGB (Jharkhand State). All Branches and administrative offices of the Gramin Banks are on CBS platform. These banks are enabled on RTGS, NEFT and ATM platforms. These RRBs cover 61 districts with a network of 1,557 branches and have garnered a business mix of ₹ 40,126 crore.

4. CREDIT MONITORING:

The year FY 2016 has seen rising concerns on asset quality front, calling for a regimented approach to monitoring of credit assets.

The Bank has a structured set up for monitoring of the credit portfolio at Branch, Zone, National Banking Group (NBG) and Head Office levels, for identifying accounts with signs of incipient stress/potential default/delinquencies and to take timely corrective action to preserve/improve the quality of its credit portfolio.

5. NPA MANAGEMENT & RECOVERY:

The Bank continued its drive and focus on improving performance in the area of NPA Management in the year 2015-16 as well. NPA Reduction has been given topmost priority in the Bank and this function has steadily grown in importance considering the economic climate and conditions. Measures have been initiated to augment recovery and contain slippages and NPAs. Three General Managers are posted to drive and continue recovery efforts in stressed assets aggressively. Efforts have also been made to maximize recovery in written off accounts and uncharged/ unrealized interest in NPA accounts, which contributes to the Bank's profits significantly.

During last 3 years, Bank sold NPA of ₹ 7,720 crore to Asset Reconstruction Companies (ARCs) with Security Receipts (SRs) investment of ₹ 4,239 crore wherein the redemption is at 4.17%.

6. INTERNATIONAL:

The Bank has 28 Branches, 5 Representative Offices, 5 Subsidiaries and 1 Joint Venture spread over 22 countries and across all time zones.

The contribution of foreign operations towards Bank's global business and profits has been significant over the years. As on 31.03.2016, the share of foreign branches in the global business is around 28%.

7. TREASURY OPERATIONS:

Forex Business:

The foreign exchange business handled by the Bank has been stable during the year. Merchant and Interbank turnover was ₹ 1,58,337.02 crore and ₹ 6,28,652.95 crore respectively. The Bank continues to be one of the leading players in the forex market. The aggregate turnover of Bank's Forex Business during the year was ₹ 7,86,989.97 crore.

8. INFORMATION TECHNOLOGY:

The Bank has been focusing on IT with emphasis onTechno Enabled Services:

- New features in Internet Banking –Opening of Term Deposit facility with online nomination facility, Online Deposit in PPF A/c and Facility of Online updation of contact details.
- BOI e-Pay Payment of Utility Bills, Insurance Premium, Credit Card payments of Specified Banks and Property Tax of Specified Municipal Corporations.
- Hot listing / reset / unblock / change of Debit-cum-ATM Card pin using Internet Banking Password.
- Digital Signage at branches.
- E- Galleries with Passbook Printing Kiosks, Cash Acceptor Machines, ATMs and Bulk Note Acceptors in all major branches.

9. TRANSACTION BANKING:

- Depository Services,
- Star Share Trade (Online Share Trading),
- Application supported by Blocked Amount (ASBA).

10. THIRD PARTY PRODUCTS:

Tie-up for Life Insurance:

Bank has continued its Corporate Agency arrangement with Bank's Joint Venture life Insurance Company Star Union Dai-ichi Life Insurance Co Ltd. for sale of their life insurance products. Bank has 4667 IRDAI qualified employees to act as 'Specified Person' for sale of insurance products at various branches.

Tie-up for General Insurance (Non-life):

Bank also has Corporate Agency agreement with National Insurance Co. Ltd. (NICL) to sell their General Insurance Products. Bank offers various types of General Insurance cover for Standard Fire & Special perils, Marine and Motor insurance facilities to customers. The total premium collected by the Bank for NICL general insurance policies during financial year 2015-16 was ₹ 196.55 crore and the commission earned was ₹ 19.79 crore.

Mutual Funds Products:

Bank undertakes distribution of Mutual Fund products of 10 Asset Management Companies. Bank has earned a commission of ₹ 4.54 crore from distribution of Mutual Fund business during FY 2016.

11. RISK MANAGEMENT:

Risk is inherent in any business activity that a Bank undertakes. Banking activities are exposed to Credit, Market, Liquidity, Operational, Strategic, Compliance, Reputational risks. Bank must manage these risks to maximize its long-term results by ensuring the integrity of the assets and the quality of earnings.

Bank has built a comprehensive risk management culture which identifies, measures and handles risks and prepares adequate reports on all these efforts so that the extent of risks, which have occurred, should not endanger the continuity of operations.

12. INSPECTION & AUDIT:

Policy on Risk Based Internal Audit, Risk Based Management Audit (Domestic), Concurrent Audit, Information System Audit and Audit of Foreign Branches, were reviewed/ revised suitably to comply with the Guidelines issued by the Department of Financial Services, MOF, GOI and covers/ elaborates the areas mentioned in the RBI AFI report, MOF guidelines and also as per the directions of Audit Committee of the Board.

13. COMPLIANCE:

Compliance Function Policy for the Bank was adopted by the Board as per Reserve Bank of India guidelines. A Board approved Compliance Function Policy (approved at Board

Meeting held on 26.2.2016) is in place. An independent Compliance Department, headed by a Chief Compliance Officer of the rank of General Manager, is functioning at Head Office. Compliance of statutory, regulatory and internal guidelines of the Bank is the scope of operation of the compliance function of the Bank both for Domestic and Overseas operations. The department has drafted and put in place Compliance Rules in the following areas of branch banking:

Area to which Rules pertain	Frequency	No. of Rules
Know Your Customer/ Anti-Money Laundering/ Combating of Financing of Terrorism	Monthlys or as required	71
Deposits & Services	Quarterly	61
Advances	Quarterly	63
FEMA	Quarterly	155

The department is conducting half-yearly compliance testing at select branches all over India and the findings are submitted to the Top Management with suggestions of areas for improvement. Compliance Officer has been identified for monitoring of the respective Zone.The Board / Audit Committee of the Board / Top Management / Head Office departments are appraised through several monthly reports/ certificates.

14. OFFICIAL LANGUAGE:

Bank has a well-established Official Language Department at Head Office to ensure implementation of GOI guidelines with regard to progressive use of Hindi in the Bank.

During the year the department has initiated the following measures:

- Conducted 194 Hindi workshops across the zones and training colleges during the year in which 4,838 staff members (Officers - 2,514 / Clerks - 2,324) were imparted training to improve their Hindi language skills,
- A special training programme for newly appointed Official Language Officers on questionnaire related to parliamentary committee on official language was organized,
- A seminar on "Role of language in Business development" was organised for senior executives of the Bank in New Delhi/NCR on 25.08.2015. An E-magazine consisting of articles on various festivals, birth anniversaries of eminent personalities, International days was released by the department. Hindi month was celebrated at Head Office and all the zones from 15th August to 14th September 2015. Hindi day was also celebrated in our foreign centers at Johannesburg, Mombasa, Singapore and Glasgow.

15. HUMAN RESOURCES:

Compliance with Reservation Policy:

The Bank is complying with the reservation policy of the Government of India. Special Recruitment and SC/ST Cells at Head Office / Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policy and redress of grievances relating to SC/ST/OBC Employees.

Pre-Promotion Training from Clerical cadre to General Banking Officers cadre and within the Officer cadre from Scale - I to II and Scale II to III is imparted to SC/ST candidates / staff. The Bank has designated an officer of the rank of General Manager as Chief Liaison Officer for OBCs and SCs/STs respectively at the Head Office. Officers belonging to SC/ST/OBC categories are designated as Liaison Officers / Cell Officers at Zonal Offices. In terms of the Government guidelines, Post-based Reservation Rosters maintained at Head Office/ Zonal Offices are inspected annually. SC/ ST Cells established at the Head Office and Zonal Offices are also associated with implementation of reservations in respect of other categories like Ex-servicemen / Persons with different ability.

16. BRANCH NETWORK & EXPANSION:

Composition of Bank's Branch Network is:

Category	31.03.2015		31.03.2016	
	No. of Brs.	% to Total	No. of Brs.	% to Total
Metropolitan	863	17.64	873	17.40
Urban	821	16.78	835	16.64
Semi-Urban	1317	26.92	1350	26.91
Rural	1,891	38.65	1958	39.03
Total Domestic Branches	4,892	100	5016	100
Overseas	60		61	
Total Branches	4,952		5,077	
Of which Specialised	271		271	

17. BANK'S SUBSIDIARY / ASSOCIATES / JOINT VENTURES:

1. Indo Zambia Bank Ltd. (IZB)
2. PT Bank of India Indonesia Tbk
3. Bank of India (Tanzania) Ltd
4. Bank of India (New Zealand) Ltd
5. Bank of India (Botswana) Ltd
6. Bank of India (Uganda) Ltd
7. BOI Shareholding Ltd. (BOISL)
8. BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. and BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd
9. BOI Merchant Bankers Ltd. (BOIMB)
10. STCI Finance Limited
11. Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. (SUDLife)

Strategic Investment / Alliances:

1. Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)
2. ASREC (India) Ltd
3. Credit Information Bureau (India) Ltd. (CIBIL)
4. National Collateral Management Services Ltd. (NCMSL)
5. SWIFT India Domestic Service Pvt. Ltd
6. SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)

18. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORTING 2015-16

Clause 34(2) (f) of SEBI Listing Regulation – 2015. The text of the same is available on our Website – www.bankofindia.com

Acknowledgement:

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India and other regulatory authorities for their valuable guidance and support. The Board also thanks financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers, business associates and shareholders. The Board also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated service and contribution for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

(Melwyn Rego)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 14th June, 2016

Corporate Social Responsibility (CSR):

Bank of India, being a premier financial institution of the country shares the dream of eminent statesmen in a positive manner that every Indian should be free from hunger, malnutrition and should have the basic necessities and be entitled to affordable education, healthcare facilities and equal opportunities in an enabling environment thereby resulting in reduction of social and economic disparity. Bank of India believes that society, which has helped the Bank to grow to such an enormous size over the years deserves to get back something in return for its development. The Bank has generously contributed to CSR activities over the last few years throughout the length and breadth of the country. A new provision in Companies Act, 2013 has mandated expenditure under CSR for the companies formed under the Act. Even though Bank of India does not come under this category, as a responsible corporate citizen, the Bank has been participating in CSR activities for worthy causes. Bank of India has approved various CSR projects during the year 2015-16, which have either been utilized or are in process of utilization.

During the FY 2016 Bank has assisted CSR projects as under:

- Participation under Swachha Bharat Mission,
- Relief to people suffering during natural calamities,
- Initiative to protect environment,
- Initiatiatives on Training and Skill development,
- Extending healthcare to poor/under-privileged,
- Assistance to cancer patients,
- Extending assistance to differently abled persons,
- Assistance to mentally retarded children,
- Assistance for welfare of blind,
- Construction of Hostel building for an Orphanage,
- Renovation and Repair of Gandhi Ashram and student home,
- Initiatives for rural development and empowering rural youth by providing skill training in order to create better employment opportunities for self-employment and
- Welfare of SC/ST/OBC and the backward strata of the society.

कार्पोरेट शासन प्रणाली

शासन प्रणाली कूट पर बैंक का दर्शन :

अपने कारोबार संचालन में नैतिक परिपाटी के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता पर बैंक की कार्पोरेट शासन प्रणाली दर्शन संरचित है जबकि प्रयास शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि है। बोर्ड, कार्यपालकों तथा अन्य पदाधिकारियों का पारस्परिक संबंध इस तरह गठित है कि जिसमें स्पष्टतया उनकी विशिष्ट भूमिकाएं चिन्हित हैं तथा विकसित कार्पोरेट कार्यनिष्पादन है। बैंक उच्च प्रकटन मानकों तथा पारदर्शिता के अनुसरण में भी प्रतिबद्ध है। बेहतर परिपाटी के अनुसरण में बैंक ने कारोबार के प्रत्येक पक्ष की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। सामान्य पर्यवेक्षण, बैंक का कारोबार तथा कामकाज का प्रबंधन तथा निदेशक बोर्ड के निदेशक मंडल के पास है जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगस्त 2015 से बैंक का एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष और पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ है। समीक्षागत वर्ष के अंतर्गत बोर्ड का संयोजन निम्नलिखित था :

श्रीमती वी.आर.अय्यर (30.05.2015 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री बि.पी.शर्मा (08.06.2015 से 14.08.2015 तक)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री जी. पद्मनाभन (14.08.2015 से)	अध्यक्ष
श्री मेलविन ओ रेगो (14.08.2015 से)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री बि.पी.शर्मा	कार्यपालक निदेशक
श्री अरूण श्रीवास्तव (15.05.2015 तक)	कार्यपालक निदेशक
श्री आर.पी.मराठे	कार्यपालक निदेशक
श्री आर. ए. शंकर नारायणन (15.05.2015 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री अनूप वधावन (08.09.2015 तक)	केन्द्रीय सरकार के नामिती
श्रीमती ऐना रॉय (09.09.2015 से)	केन्द्रीय सरकार के नामिती
श्री एस. एस. बरिक	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती
श्री हरविंदर सिंह	गैर-कामगार कर्मचारी निदेशक
श्री ए एम परेरा (17.07.2015 तक)	कामगार कर्मचारी निदेशक
डॉ आर.एल.बिश्नोई	अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक
श्री नीरज भाटिया	शेयरधारक निदेशक
श्री संजीव कुमार अरोडा	शेयरधारक निदेशक
श्री डी हरीश (30.09.2015 तक)	शेयरधारक निदेशक

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy on code of Governance :

The Bank's corporate governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value. The interrelation between the Board, the executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

Board of Directors :

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended from time to time. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman. Since August 2015, the Bank has a Non-Executive Chairman and a full time Managing Director & Chief Executive Officer.

During the year under review (2015-16) the Composition of the Board was as under:-

Smt. V. R. Iyer (upto 31.05.2015)	Chairperson & Managing Director
Shri B. P. Sharma (From 08.06.2015 to 14.08.2015)	Managing Director & CEO
Shri G. Padmanabhan (from 14.08.2015)	Chairman
Shri Melwyn O. Rego (from 14.08.2015)	Managing Director & CEO
Shri B.P. Sharma	Executive Director
Shri Arun Shrivastava (upto 15.05.2015)	Executive Director
Shri R. P. Marathe	Executive Director
Shri R. A. Sankara Narayanan (from 15.05.2015)	Executive Director
Shri Anup Wadhawan (upto 08.09.2015)	Nominee of the Central Government
Smt. Anna Roy (from 09.09.2015)	Nominee of the Central Government
Shri S. S. Barik	Nominee of Reserve Bank of India
Shri Harvinder Singh	Non-Workmen Employee Director
Shri A.M. Pereira (upto 17.07.2015)	Workmen Employee Director
Dr. R. L. Bishnoi	Part-Time Non-Official Director
Shri Neeraj Bhatia	Shareholder Director
Shri Sanjiv Kumar Arora	Shareholder Director
Shri D. Harish (upto 30.09.2015)	Shareholder Director

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशकगण बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों के अलावा शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक सेबी (लिस्टिंग ऑबलिगेशन एण्ड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट रेगुलेशन-2015) (सेबी-एलओडीआर) के विनियम 16 (बी) के अर्थ के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पहचान कार्यक्रम का ब्योरा हमारी वेबसाइट अर्थात् www.bankofindia.co.in में उपलब्ध है।

हमारे कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है।

वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक में कार्यग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री जी. पद्मनाभन, अध्यक्ष

श्री जी. पद्मनाभन केरल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर (फर्स्ट क्लास फर्स्ट) तथा बिर्मिन्घम विश्वविद्यालय, यूके से एमबीए (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्त) डिग्री प्राप्त है। उन्होंने मार्च 1979 में भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यग्रहण किया तथा 4 जुलाई 2011 में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए और 31 मई 2015 को सेवानिवृत्त हुए। भारतीय रिज़र्व बैंक में अपने सफल कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न चुनौतिपूर्ण दायित्वों को संभाला।

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पद्मनाभन सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, भुगतान और निपटान प्रणाली और विदेशी विनिमय विभाग के कार्यों की देखभाल कर रहे थे।

श्री जी. पद्मनाभन को दिनांक 14 अगस्त 2015 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री पद्मनाभन अच्छे खिलाड़ी हैं और टेनिस में विश्वविद्यालय और राज्य का प्रतिनिधित्व किया । वे अभी भी यह खेल खेलते हैं।

श्री मेलविन ओ रेगो, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

श्री मेलविन ओ. रेगो ने पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ़ बिज़नेस मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री हासिल की। उनकी नियुक्ति के पहले वे आईडीबीआई बैंक लि. में 30 अगस्त 2013 से उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदस्थ थे। वे पेशेवर बैंकर हैं और सन् 1984 से आईडीबीआई बैंक लि. में थे। श्री रेगो ने कॉरपोरेट बैंकिंग, पुनर्वास, वित्त, कोषागार, अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू संसाधन इत्यादि क्षेत्रों में कार्यभार संभाला है।

श्री मेलविन ओ. रेगो की आईडीबीआई द्वारा टाटा होम फाइनैंस लि. का अधिग्रहण किए जाने के बाद सितम्बर 2003 में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई थी और जनवरी 2008 में वे आईडीबीआई लौट आए और बैंक के विदेशी पहलों का नेतृत्व करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के प्रमुख का कार्यभार लिया। श्री रेगो को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र का व्यापक अनुभव है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूके में अंतरराष्ट्रीय पूंजी मार्केट विषय पर आयोजित कार्यक्रम में वे रैंक होल्डर थे और कई सेमिनारों में सहभागिता की।

श्री मेलविन ओ. रेगो अच्छे खिलाड़ी हैं और संगीत तथा नाटक में उनकी रूची है।

श्री मेलविन ओ. रेगों को दिनांक 14 अगस्त 2015 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री आर. ए. शंकर नारायणन, कार्यपालक निदेशक

श्री आर. ए. शंकर नारायणन लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने एमबीए और सीएआईआईबी डिग्री हासिल की है। उन्होंने कोषागार और निवेश जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा और कार्मिक प्रबंधन और वित्त प्रबंधन में पी.जी. डिप्लोमा किया है।

वे वर्ष 1983 में बैंक में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया। सितम्बर 2011 में वे महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत हुए और बैंक के अंतरराष्ट्रीय परिचालन के कार्य की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने कोषागार परिचालन के प्रमुख, आंचलिक प्रबंधक, महाप्रबंधक राष्ट्रीय बैंकिंग समूह और कॉरपोरेट कार्यालय में कार्य किया तथा

All directors, other than the Managing Director & CEO and the Executive Directors, are non-executive Directors on the Board. The Directors representing shareholders of the Bank other than the Central Government are independent directors within the meaning of Regulation 16 (b) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations- 2015 (SEBI-LODR)

Details of familiarization programmes imparted to independent directors are available on our website i.e. www.bankofindia.co.in

None of the Directors is a relative of other Director.

Brief Profile of the Directors who joined the Bank during the year - 2015-16

Shri G. Padmanabhan, Chairman

Shri G. Padmanabhan is a post graduate in Economics from the University of Kerala and an MBA (International Banking and Finance) from the Birmingham University, UK. He joined Reserve Bank of India in March, 1979 and was elevated as Executive Director on 4th July, 2011 and he superannuated on 31st May, 2015. During his successful career in RBI, Shri Padmanabhan has handled various challenging assignments in the Reserve Bank of India.

As Executive Director in Reserve Bank of India, Shri Padmanabhan was looking after Department of Information and Technology, Department of Payment and Settlement Systems and Foreign Exchange Department

Shri Padmanabhan has been appointed as Non-Executive Chairman of Bank of India on 14th August, 2015 for a period of three years.

Shri Padmanabhan is a keen sportsman and had represented his University and State in Tennis. He continues to play the game to date.

Shri Melwyn O. Rego, Managing Director & CEO

Shri Melwyn O. Rego is an MBA rank holder in finance from Symbiosis Institute of Business Management, Pune. Prior to his appointment, he was holding the position of Deputy Managing Director, IDBI Bank Ltd., since August 30, 2013 He is a career banker and has been with IDBI Bank Ltd. since 1984. Shri Rego has held assignments in the areas of Corporate Banking, Rehabilitation, Finance, Treasury, International & Domestic Resources, etc.

Shri Melwyn O. Rego was deputed to IDBI Home Finance Ltd. as Managing Director & CEO in September 2003 after IDBI took over Tata Home Finance Ltd. and he returned to IDBI in January 2008 and took over as Head – International Banking Division to spearhead IDBI Bank's overseas initiatives. Mr. Rego has extensive international experience and was a rank holder at a programme on International Capital Markets at Oxford University, UK and also participated in several seminars.

Shri Melwyn O. Rego is a keen sportsman and has a passion for music and dramatics.

Shri Melwyn O. Rego has been appointed as Managing Director & CEO of Bank of India on 14th August, 2015 for a period of three years.

Shri R. A. Sankara Narayanan, Executive Director

Shri R. A. Sankara Narayanan, is a post graduate in Public Administration. He holds an MBA Degree and acquired CAIIB. He also has a Diploma in Treasury & Investment Risk Management and P G Diploma in Personnel Management and Financial Management.

He has joined Bank as a Direct Recruit Officer in 1983. He was elevated as a General Manager of the Bank in September, 2011 and was overseeing the International Operations of the Bank. He has worked as Head of Treasury Operations, Zonal Manager, General Manager, National Banking Group and at Corporate

इसके साथ ही उनकी टोक्यो और सिंगापुर में 2 विदेशी तैनातियों भी रहीं।

उन्होंने 15 मई 2015 से बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

सुश्री ऐना रॉय

सुश्री ऐना रॉय को केन्द्र सरकार द्वारा 09.09.2015 से अगले आदेश तक बैंक के सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अनुभव है। बैंक ऑफ़ इंडिया में निदेशक मंडल में नियुक्ति के पहले ये कार्पोरेशन बैंक और देना बैंक की बोर्ड में थी।

सुश्री रॉय, दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में उप सचिव के रूप में तैनात थीं । मई 1992 में भारतीय आर्थिक सेवा में कार्यग्रहण करने के पश्चात सुश्री राय ने योजना आयोग, आर्थिक कार्य विभाग, औषध विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय)में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। वर्तमान में वे नीति आयोग में तैनात हैं।

निदेशकों के अन्य विवरण:

Office etc. besides 2 foreign stints at Tokyo and Singapore

He has taken charge as Executive Director of the Bank w.e.f. 15th May, 2015.

Ms. Anna Roy

Ms. Anna Roy, has been appointed by the Central Government as Government Nominee Director of the Bank w.e.f. 09.09.2015. She has rich experience in banking sector. Prior to her appointment on the Board of Bank of India, she was on the Board of Corporation Bank and Dena Bank.

Ms. Anna Roy, a Post Graduate in Economics from Delhi School of Economics, was posted as Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi. Since joining Indian Economic Service in May, 1992, Ms. Roy has worked in various capacities in Planning Commission, Department of Economic Affairs, Department of Pharmaceuticals (Ministry of Chemicals & Fertilizers). She is presently posted at Niti Aayog.

OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS (As on 31.03.2016)

क्र सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	श्रेणी (अध्यक्ष / कार्यपालक / गैरकार्यपालक / स्वतंत्र / नामिती) Category (Chair- person/ Executive / Non-Executive/ independent/ Nominee)	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees	
							सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
1	श्री जी. पद्मनाभन Shri G. Padmanabhan	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष Non-Executive Chairman	–	14.08.2015	बैंकिंग Banking	सदस्य, इंडिपेंडेंट ओवरसाईट समिति, सदस्य विनियमन, एनएसईआईएल Member, Independent Oversight Committee-Member Regulations, NSEIL	–	–
2	श्री मेलविन ओ. रेगो Shri Melwyn O. Rego	कार्यपालक Executive	–	14.08.2015	बैंकिंग Banking	1. बीओआई मर्चन्ट बैंकर्स लि. 2. एसटीसीआई फायनान्स लि. 3. स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ़ इन्श्योरेंस कं.लि. 4. एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. 1. BOI Merchant Bankers Ltd. 2. STCI Finance Ltd 3. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd. 4. STCI Primary Dealer Ltd.	–	–
3	श्री बि. पी. शर्मा Shri B.P. Sharma	कार्यपालक Executive	–	18.06.2012	बैंकिंग Banking	1. कृषि वित्त निगम 2. बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि. 3. बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. 4. बैंक ऑफ इंडिया युगांडा लि. 5. बीओआई (बोत्सवाना) लि. 6. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1. Agricultural Finance Corporation; 2. BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. 3. BOI Shareholding Ltd. 4. Bank of India Uganda Ltd. 5. BOI (Botswana) Ltd. 6. National Payment Corporation of India	1	–

क्र सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	श्रेणी (अध्यक्ष / कार्यपालक / गैरकार्यपालक / स्वतंत्र / नामिती) Category (Chair- person/ Executive / Non-Executive/ independent/ Nominee)	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रुप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees	
							सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
4	श्री आर. पी. मराठे Shri R. P. Marathe	कार्यपालक Executive	725	10.03.2015	बैंकिंग Banking	1. बीओआई अकसा इनवेसटमेंट मैनेजर्स प्रा.लि. 2. बीओआई (न्यूज़ीलैण्ड लि.) 3. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. 1. BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. 2. BOI (New Zealand) Ltd. 3. National Payment Corporation of India Limited.	2	–
5	श्री आार ए. शंकर नारायणन Shri R. A. Sankara Narayanan	कार्यपालक Executive	1000	15.05.2015	बैंकिंग Banking	1. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंज़ानिया) लि 2. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके 1. BOI (Tanzania) Ltd. 2. PT Bank of India Indonesia Tbk	1	–
6	सुश्री ऐना रॉय Ms. Anna Roy	नामिती Nominee	–	09.09.2015	प्रशासन Administration	1. आईआईएफसीएल लिमिटेड 1. नॅशनल इन्शिुअरन्स कंपनी लि 1. IIFCL 2. National Insurance Company Limited	1	–
7	श्री एस. एस. बरिक Shri S. S. Barik	नामिती Nominee	–	13.03.2014	बैंकिंग Banking	Nil	1	–
8	श्री हरविंदर सिंह Shri Harvinder Singh	नामिती Nominee	200	18.09.2014	बैंकिंग Banking	Nil	-	–
9	डॉ. आर. एल. बिश्नोई Dr. R. L. Bishnoi	गैर-सरकारी Non Official	–	18.10.2013	लेखा Accounting	1. एडीएस ग्लोबल नोलेज अकादमी (प्रा) लि २. एडीएस प्रोजेक्ट अँड सिस्टम (प्रा) लि 3. बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि. 4. सीरा रेटिंग्ज लि. 1. ADS Global Knowledge Academy (P) Ltd. 2. ADS Projects & Systems Pvt. Ltd. 3. BOI Merchant Bankers Ltd. 4. Ceeara Ratings Limited.	–	–
10	श्री. नीरज भाटिया Shri Neeraj Bhatia	स्वतंत्र Independent	100	25.10.2014	लेखा Accounting	ओजस मेडिकल सर्व्हिसेस पी. लिमिटेड Ojas Medical Services (P) Ltd.	–	2
11	श्री संजीव कुमार अरोरा Shri Sanjiv Kumar Arora	स्वतंत्र Independent	150	25.10.2014	लेखा Accounting	1. नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्प. लि. 2. रैडो टायर्स लि. 1. National Jute Manufactures Corporation Ltd. 2. Rado Tyres Ltd	2	-

* सेबी एलओडीआर विनियम 2015 के खंड 26 के उपखंड-बी के अपनुपालन में, बैंक ने केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक/ निवेशक शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया है।

* In compliance of Sub-Clause B of Clause 26 of SEBI LODR Regulations 2015, the Bank has considered the Chairmanship/ Membership of the Audit Committee and the Stakeholders' Relationship committee only.

बोर्ड की बैठकों का संचालन :

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं:

Conduct of Board Meetings :

During the FY 2016-17 Board Meetings were held on the following dates:

11.04.2015	15.04.2015	28.05.2015	27.06.2015	16.07.2015	28.07.2015
14.08.2015	08.09.2015	28.09.2015	09.11.2015	19.11.2015	12.12.2015
19.12.2015	16.01.2016	11.02.2016	26.02.2016	28.03.2016	

वित्तीय वर्ष 2016 में बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings in FY 2016 are as follows:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Recorded	अवधि (से - तक) Period (From – To)
श्रीमती वी. आर. अय्यर	Smt. V. R. Iyer	3	3	01.04.2015 से 31.05.2015
श्री जी पद्मनाभन	Shri G. Padmanabhan	10	10	14.08.2015 से 31.03.2016
श्री. मेलविन ओ. रेगो	Shri Melwyn O. Rego	10	10	14.08.2015 से 31.03.2016
श्री. बि. पी. शर्मा	Shri B. P. Sharma	17	15	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री आर पी मराठे	Shri R. P. Marathe	17	16	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री आर ए शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	15	14	15.05.2015 से 31.03.2016
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	2	2	01.04.2015 से 15.05.2015
श्री अनुप वधावन	Shri Anup Wadhawan	8	3	01.04.2015 से 08.09.2015
सुश्री ऐना रॉय	Ms. Anna Roy	9	7	09.09.2015 से 31.03.2016
श्री एस. एस. बारिक	Shri S. S. Barik	17	11	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	17	17	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री आर एल बिश्नोई	Shri R. L. Bishnoi	17	17	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	17	17	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	Shri Sanjiv Kumar Arora	17	17	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री ए एम परेरा	Shri A. M. Pereira	5	5	01.04.2015 से 17.07.2015
श्री डी हरिश	Shri D. Harish	9	8	01.04.2015 to 30.09.2015

निदेशकों/कार्यपालकों की समिति/उप समिति

कॉर्पोरेट शासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यनीतिक महत्व वाले विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों एवं/या कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। ये महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं :-

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति
2. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
4. शेयर धारक संपर्क समिति
5. शेयर अंतरण समिति
6. जोखिम प्रबंधन हेतु निदेशकों की समिति
7. ग्राहक सेवाओं हेतु निदेशकों की समिति
8. निदेशकों की पारिश्रमिक समिति
9. निदेशकों की नामांकन समिति
10. कारोबार समीक्षा समिति
11. निवेश अनुमोदन समिति
12. बडे मूल्य की धोखाधडियों की निगरानी
13. आईटी कार्यनीति समिति
14. निदेशकों की पदोन्नति समिति
15. एचआर पर बोर्ड की संचालन समिति
16. इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति
17. उच्च मूल्य एनपीए और हानिगत आस्तियों की निगरानी समिति
18. बोर्ड की स्वतंत्र निदेशकों की समिति

Board Committees

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India Guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Board Committees are as under:

1. Management Committee of the Board
2. Credit Approval Committee of the Board
3. Audit Committee of the Board
4. Stakeholders' Relationship Committee
5. Share Transfer Committee
6. Committee of Directors for Risk Management
7. Committee of Directors for Customer Services
8. Remuneration Committee of Directors
9. Nomination Committee of Directors
10. Business Review Committee
11. Investment Approval Committee
12. Committee for Monitoring on Large Value Frauds
13. IT Strategy Committee
14. Directors Promotion Committee
15. Steering Committee of the Board on HR
16. Review Committee for Wilful Defaulters
17. Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets
18. Independent Directors' Committee of the Board

बोर्ड की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान योजना, 1970/1980 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। प्रबंधन समिति वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टा प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। यथा दिनांक 31.03.2016 को इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती और 3 अन्य निदेशक सहित 8 सदस्य शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बोर्ड प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 21 बैठकें हुई :

Management Committee of the Board :

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme, 1970/1980. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.3.2016, it comprised of 8 members consisting of the Managing Director and CEO, 3 Executive Directors, RBI Nominee Director and 3 other Directors.

The Management Committee of the Board met 21 times during the FY 2016 on the following dates:

11.4.2015	11.5.2015	29.5.2015	26.6.2015	16.7.2015	14.8.2015	8.9.2015
22.9.2015	29.09.2015	12.10.2015	02.11.2015	19.11.2015	04.12.2015	18.12.2015
29.12.2015	15.01.2016	30.01.2016	23.02.2016	14.03.2016	22.03.2016	29.03.2016

उपयोक्त बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित अनुसार है:

Attendance record of the members in the above meetings are shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिती का अभिलेख Attendance Record	अवधि Period (From – To)
श्रीमती वी.आर.अय्यर	Smt. V. R. Iyer	3	3	01.04.2015 to 31.05.2015
श्री मेलविन ओ. रेगो	Shri Melwyn O. Rego	15	15	14.08.2015 to 31.03.2016
श्री बि. पी. शर्मा	Shri B. P. Sharma	21	18	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री. आर. पी. मराठे	Shri R. P. Marathe	21	18	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री. आर. ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	19	19	15.05.2015 to 31.03.2016
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	2	2	01.04.2015 to 15.05.2015
श्री. एस. एस. बारिक	Shri S. S. Barik	21	9	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	15	15	01.04.2015 to 26.06.2015 29.10.2015 to 31.03.2016
श्री. आर. एल. बिश्नोई	Shri R. L. Bishnoi	14	14	11.05.2015 to 12.10.2015 18.01.2016 to 31.03.2016
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	12	12	01.04.2015 to 11.04.2015 14.08.2015 to 15.01.2016
श्री ए. एम. परेरा	Shri A. M. Pereira	4	4	11.05.2016 to 17.07.2015
श्री डी हरिश	Shri D. Harish	6	4	01.04.2015 to 11.04.2015 16.07.2015 to 30.09.2015
श्री एस. के. अरोड़ा	Shri S. K. Arora	11	11	25.10.2015 to 31.03.2016

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नयी दिल्ली की संसूचना संदर्भ सं.13/1/2006-बीओ.1 दिनांकित 31 जनवरी, 2012, द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में रु.400 करोड़ तक के किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और ऐसी सीमाओं से अधिक के प्रस्तावों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक और संबन्धित क्रेडिट के महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक की प्रबंध निदेशक एवं

Credit Approval Committee of the Board:

In terms of the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-BO.1 dated 31st January 2012, the Bank has constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto Rs. 400 crore in case of our Bank and in case of exposure exceeding such limits shall be considered by the Management Committee.

The members of the committee are the Managing Director & CEO, the Executive Directors, The General Manager in-charge of Finance and the General Manager in-charge of Risk Management and the General Manager in charge of Credit

सीईओ करते हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 30 बैठकें हुई :

concerned. The committee meetings are being chaired by the Managing Director & CEO of the Bank. Credit Approval Committee of the Board met 30 times during the FY 2016 on the following dates:

13.04.2015	02.05.2015	23.05.2015	17.06.2015	29.06.2015	22.07.2015	05.08.2015
20.08.2015	26.08.2015	01.09.2015	15.09.2015	22.09.2015	29.09.2015	09.10.2015
26/27.10.2015	13.11.2015	24.11.2015	26.11.2015	03.12.2015	16.12.2015	21.12.2015
30.12.2015	05.01.2016	13.01.2016	20.01.2016	30.01.2016	15.02.2016	09.03.2016
23.03.2016	31.03.2016					

उपरोक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

Attendance record of the members in the above meetings are shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का आभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि Period
श्रीमती वी.आर.अय्यर	Smt. V. R. Iyer	3	3	01.04.2015 to 31.05.2015
श्री मेलविन ओ. रेगो	Shri Melwyn O. Rego	23	23	14.08.2015 to 31.03.2016
श्री बि. पी. शर्मा	Shri B. P. Sharma	30	26	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री. आर. पी. मराठे	Shri R. P. Marathe	30	26	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री. आर. ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	28	23	15.05.2015 to 31.03.2016
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	2	2	01.04.2015 to 15.05.2015

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बेंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह एसीबी निदेश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण भी करती है।

लेखा परीक्षा समिति में 5 सदस्य हैं, अर्थात निरीक्षण विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, सरकार नामिती निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 2 अन्य निदेशक। वर्तमान में श्री नीरज भाटिया, सनदी लेखाकर निदेशक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को लेखा परीक्षा समिति की 13 बैठकें हुई :

Audit Committee of the Board :

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

The Audit Committee comprises of 5 members viz. Executive Director in charge of Inspection & Audit, Government Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 other directors. Shri Neeraj Bhatia, Chartered Accountant Director is the present Chairman of the Audit Committee of the Board. During the FY 2016, the Audit Committee met 13 times on the following dates:

11.04.2015	11.05.2015	28.05.2015	27.06.2015	28.07.2015	28.09.2015
09.11.2015	19.11.2015	12.12.2015	01.02.2016	04.02.2016	11.02.2016
28.03.2016					

उपरोक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

The attendance record of the members in the above meetings are shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	अवधि Period
श्री नीरज भाटियाा	Shri Neeraj Bhatia	13	13	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री आर. एल. बिश्नोई	Dr. R. L. Bishnoi	1	1	01.04.2015 से 11.04.2015
श्री बि. पी. शर्मा	Shri B. P. Sharma	5	4	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री आर.पी.मराठे	Shri R. P. Marathe	13	13	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री आर.ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	8	8	28.05.2015 से 31.03.2016

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	अवधि Period
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	2	2	01.04.2015 to 11.05.2015
सुश्री ऐना रॉय	Ms. Anna Roy	8	6	09.09.2015 to 31.03.2016
श्री अनूप वधावन	Shri Anup Wadhawan	5	2	01.04.2015 to 08.09.2015
श्री एस. एस. बारिक	Shri S. S. Barik	13	8	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	Shri Sanjiv Kumar Arora	12	12	11.05.2015 to 31.03.2016

बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणामों और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की बोर्ड द्वारा स्वीकार किए जाने हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करने के पहले बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई।

स्टेक होल्डर संबंध समिति

सेबी-एलओडीआर विनियमन 2015 के विनियम 20 के प्रावधान के अनुरूप कॉर्पोरेट शासन पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने इत्यादि के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से अब तक प्राप्त सभी शिकायतों/सदंर्भों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया। संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद प्राय:सात दिनों के अंदर निवेशकों की शिकायतें पर कार्रवाई की जाती हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशकगण और दो स्वतंत्र शेयरधारक निदेशक हैं। श्री नीरज भाटिया, शेयरधारक निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री राजीव भाटिया, कंपनी सचिव, इस उद्देश्य के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने 25 शिकायतें प्राप्त की। इन सभी शिकायतों का निपटान किया गया है और यथा 31.03.2016 को एससीओआरई में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर समिति की 3 बैठकें आयोजित की गई:

27.05.2015	12.10.2015	26.02.2016

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है:

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to the placing before the Board of Directors for approval.

Stakeholders Relationship Committee :

In compliance of Regulation 20 of SEBI-LODR Regulations – 2015, Stakeholders' Relationship Committee, has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Balance Sheet, non-receipt of dividends etc. All the references/complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Executive Directors and two independent Directors. It is headed by Shri Neeraj Bhatia, Shareholder Director of the Bank.

Shri Rajeev Bhatia, Company Secretary, is the Compliance Officer of the Bank for this purpose.

During the year 2015-16, Bank has received 25 Complaints. All of these have been resolved and there are no pending complaints at SCORES as on 31.03.2016.

The Committee met 3 times during the FY 2016 on the following dates:

27.05.2015	12.10.2015	26.02.2016

The attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	अवधि Period
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	3	3	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री बि.पी.शर्मा	Shri B. P. Sharma	3	3	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री आर.पी.मराठे	Shri R. P. Marathe	3	1	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री आर.ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	3	3	15.05.2015 to 31.03.2016
श्री डी.हरीश	Shri D. Harish	1	0	01.04.2015 to 30.09.2015
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	Shri S. K. Arora	1	1	09.11.2015 to 31.03.2016

शेयर अंतरण समिति

इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 5 बैठक हुई :

Share Transfer Committee

It comprises of Managing Director & CEO, Executive Directors and two other Directors. The Committee met 5 times during the FY 2016 on the following dates:

11.05.2015	14.08.2015	02.11.2015	15.01.2016	26.02.2016

जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति

इस समिति का गठन बैंक द्वारा लिए गए समस्त जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुई :

Committee of Directors for Risk Management

This committee was formed to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. It comprises of Chairman, Managing Director & CEO, Executives Directors and two other directors. The committee met 4 times during the FY 2016 on the following dates:

27.05.2015	08.09.2015	12.12.2015	26.02.2016

ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन सितम्बर 2004 में किया गया था। समिति का कार्य अविरत आधार पर बैंक द्वारा दिये जा रहे ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाना और ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति के कार्यनिष्पादन की समीक्षा (प्रधान कार्यालय में) करना है। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, तीन कार्यपालक निदेशकगण ,भारत सरकार नामिती निदेशक और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुई।

Committee of Directors for Customer Service

As per the RBI guidelines, the Customer Service Committee of the Board was formed in September 2004. The functions of the committee are to bring about improvement in the quality of customer service provided by the Bank on an ongoing basis and to review the performance of the Standing Committee on Customer Service (at the head office). It comprises of Managing Director & CEO, three Executive Directors, GOI Nominee Director and two other directors. The committee met 4 times during the FY 2016 on the following dates:

20.06.2015	08.09.2015	12.12.2015	29.03.2016

निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। यह प्रोत्साहन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों पर आधारित स्टेटमेंट ऑफ इन्टेन्ट ऑन गोल्स एण्ड बेंचमार्क के आधार पर कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मेट्रिक्स के लिए कतिपय गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक मानदंडों पर आधारित है। उक्त निदेश के अनुपालन के लिए वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन और दी जाने /भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन रकम के लिए बोर्ड की पारिश्रमिक समिति गठित की गई।

इस समिति में अध्यक्ष ,सरकारी नामिती निदेशक, आरबीआई नामिती निदेशक और दो अन्य निदेशक हैं। समिति ने 12.12.2015 को बैठक की।

Remuneration Committee of Directors

Government of India announced Performance Linked Incentive Scheme for Whole Time Directors of Public Sector Banks. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters for Performance Evaluation Matrix on the basis of the Statement of Intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directive, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and to decide on the incentive amount to be awarded / paid during the year. It comprises of Chairman, Government Nominee Director, RBI Nominee Director and two other directors. The meeting was held on 12.12.2015

निदेशकों की नामांकन समिति

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के चयन के लिए व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गए 'फिट एवं प्रोपर' मानदंड को पूरा करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के शर्तों के अनुसार नामांकन समिति में अध्यक्ष, सरकारी नामिती निदेशक और 2 गैर कार्यपालक निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान समिति ने शेयरधारक निदेशकों के 'फिट एवं प्रोपर' स्थिति का पता लगाने के लिए एक बार 02.11.2015 को बैठक की।

Nomination Committee of Directors

Under the provisions of Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Reserve Bank of India has laid down `Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks. The Nomination Committee consists Chairman, Govt. Nominee Director and 2 other Non-Executive Directors. During the FY 2016 the committee met once on 02.11.2015 to ascertain the `Fit & Proper" status of Shareholders Directors.

कारोबार समीक्षा समिति

नियामक कैलेण्डर मदों की आवधिक समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और 02 अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित तारीखों में बैठकें हुई।

Business Review Committee

The Committee was formed to review the regulatory calendar items periodically. This committee consist of the Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors and two other Directors. During the FY 2016, it met on following dates

20.06.2015	14.08.2015	28.09.2015	12.12.2015
30.01.2016	29.03.2016		

निवेश अनुमोदन समिति

निवेश संबंधित निर्णय लेने के लिए निवेश अनुमोदन समिति का गठन किया गया। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, महाप्रबंधक-जोखिम प्रबंधन और महाप्रबंधक - वित्त हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठक हुई

27.07.2015	20.01.2016

Investment Approval Committee

The Investment Approval Committee was formed to take investment decisions. It consists of the Managing Director & CEO, Executive Directors, General Manager – Risk Management and General Manager – Finance. During the FY 2016 it met on the following dates:

27.07.2015	20.01.2016

आई.टी. कार्यनीति समिति

आई.टी. कार्यनीतियों पर निर्णय लेने के लिए तथा आई.टी. परियोजनाओं के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रेषित दिशानिर्देशों के अनुपालन में यह समिति गठित की गई। इसमें अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशकगण, सरकार नामिती निदेशक तथा दो अन्य अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक शामिल हैं। यह तिमाही के अंतराल में मिलती है। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठक हुई -

IT Strategy Committee

The committee was formed in compliance of guidelines issued by Reserve Bank of India to take decision on IT Strategies and to monitor the development in the area of IT Projects. IT Strategy Committee consists of Chairman, Executive Directors, Govt. Nominee Director and two other Non-Executive Directors. It meets on quarterly interval. During the FY 2016 it met on the following dates:

20.06.2015	08.09.2015	19.12.2015	28.03.2016

निदेशकों की पदोन्नति समिति

इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, सरकार नामिती निदेशक और आरबीआई नामिती निदेशक सदस्य हैं । वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान समिति निम्नलिखित तिथियों को मिली-

Directors Promotion Committee

The Members of this committee are the Managing Director & CEO, Government Nominee Director and RBI Nominee Director. During the year FY 2016 it met on the following dates:

02.11.2015	09.01.2016	16.01.2016	19/20.02.2016

विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

श्री बि.पी.शर्मा, श्री आर.पी. मराठे, श्री आर.ए. शंकर नारायणन, डॉ आर.एल. बिश्नोई, श्री नीरज भाटिया, श्री एस.के. अरोरा एवं श्री हरविंदर सिंह , दिनांक 20.07.2015 को हुई बैंक की पिछली अर्थात उन्निसवी वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting

Shri B. P. Sharma, Shri R. P. Marathe, Shri R. A. Sankara Narayanan, Dr. R. L. Bishnoi, Shri Neeraj Bhatia Shri S K Arora and Shri Harvinder Singh attended the last i.e., Nineteen Annual General Meeting of the Bank held on 20.07.2015

शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

शेयर अंतरण, लाभांश/ ब्याज का भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी कार्यकलापों पर कार्रवाई हमारे पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायत/ कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्नलिखित पते पर संपर्क करने का अनुरोध है :

इक्विटी शेयर और बॉन्ड/ डिबेंचर के लिए
बिगशेयर सर्विसेस प्रा.लि
ई-2, अनसा इंडस्ट्रियल एस्टेट, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व) मुंबई- 400072
फोन -022-4043200, फैक्स 022-28475207 ई मेल : investor@bigshareonline.com

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं:

स्टार हाउस, 8 वीं मंजिल, पूर्वीखण्ड, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051, फोन 022-66684444, फैक्स- 022-66684491,
ई-मेल: headoffice.share@bankofindia.co.in

Share Transfers and Redressal of Shareholders`/Investors` Grievances :

Share Transfers, Dividend / interest payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgement of any of these documents and for queries/ complaints /grievances, shareholders and investors are requested to contact

For Equity Shares and Debentures/ Bonds
Bigshare Services Pvt. Ltd.,
E-2, Ansa Industrial Estate, Sakinaka, Andheri (E),
Mumbai 400 072 Phone 022-40430200, Email: investor@bigshareonline.com

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Investor Relations Department at

Star House, 8th Floor, East Wing, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051, Phone 022-66684444, Fax- 022-66684491,

E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in

आम सभा की बैठकें : General Body Meetings

	बैठक का स्वरूप	Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	विशेष संकल्प Special Resolution
1	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	29.03.2016 पूर्वाह्न 10.30 बजे 29.03.2016 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	1. प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि 2. नए शेयर और टियर-1 और टियर-2 बॉन्ड/अधिमानी शेयर जारी करना । 3. जनरल इन्श्युरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को शेयर जारी करना । 1. Increase in Authorised Capital 2. Issue of Fresh Shares and Tier-1 and Tier-2 Bonds/ Preference Shares 3. Issue of Shares to General Insurance Corporation of India
2	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	21.12.2015 पूर्वाह्न 10.30 बजे 21.12.2015 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	अधिमानी आधार पर भारत सरकार को शेयर जारी करना Issue of Shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis
3	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	28.09.2015 पूर्वाह्न 10.30 28.09.2015 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	नए शेयर और टियर-1 और टियर-2 बॉन्ड/अधिमनी शेयर जारी करना । Issue of Shares to Government of India on preferential basis
4	उन्नसवीं वार्षिक आम बैठक	Nineteenth Annual General Meeting	20.07.2015 पूर्वाह्न 11.00 बजे 20.07.2015 11.00 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	नए शेयर और टियर-1 और टियर-2 बॉन्ड/अधिमनी शेयर जारी करना । Issue of Fresh Shares and Tier-1 and Tier-2 Bonds/ Preference Shares
5	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	07.03.2015 पूर्वाह्न 11.00 बजे 07.03.2015 11.00 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	अधिमानी आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम और न्यू इंडिया एशुरेंस कार्पोरेशन को शेयर जारी करना Issue of Shares to Life Insurance Corporation of India and New India Assurance Corporation of India on preferential basis
6	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	17.10.2014 पूर्वाह्न 10.30 बजे 17.10.2014 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	शेयरधारकों में से निदेशकों का चुनाव Election of Directors amongst Shareholders
7	अठारहवीं वार्षिक आम बैठक	Eighteenth Annual General Meeting	10.07.2014 अपराह्न 3.00 बजे 10.07.2014 3.00 P.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	नए शेयर और टियर-1 और टियर-2 बॉन्ड/अधिमनी शेयर जारी करना Issue of Fresh Shares and Tier-1 and Tier-2 Bonds/ Preference Shares
8	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	03.12.2013 पूर्वाह्न 11.00 बजे 03.12.2013 11.00 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	अधिमानी आधार पर भारत सरकार को शेयर जारी करना Issue of Shares to Government of India on preferential basis
9	सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक	Seventeenth Annual General Meeting	29.06.2013 पूर्वाह्न 11.00 बजे 29.06.2013 11.00 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	

प्रकटन:

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत बैंक शासित है। सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि विनियम 15(2) के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाएं जो कंपनियां नहीं है किंतु कार्पोरेट निकाय हैं या अन्य संविधि के विनियम के अधीन है कतिपय विनियमन के तहत यथा निर्दिष्ट कारपोरेट शासन प्रणाली के प्रावधान उस सीमा तक लागू है जहां उनके संबन्धित प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा संबंधित संविधि का उल्लंघन न हो रहा हो।

i) निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक अशासकीय निदेशकों को बैठक शुल्क, जो कि निम्नलिखित है, के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है:

बोर्ड बैठकों के लिए : ₹ 20,000/- प्रति बैठक

समिति बैठकों के लिए : ₹ 10,000/- प्रति बैठक

ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो। बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, मंडल और मंडल की उप समितियों की उन चर्चाओं में भाग नहीं लेते जब उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो।

iii) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमान्य निर्गमों आदि की आगम राशियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंक ने निम्न ईक्विटी शेयर और टियर-II बॉन्ड जारी किए हैं :-

आबंटन की तारीख	विवरण (इनवेस्टर)	शेकारों की संख्या	प्रति शेयर निर्गम मूल्य	राशि (₹ करोड़ में)
30.09.2015	भारत सरकार	12,70,04,655	193.30	2455
05.01.2016	भारतीय जीवन बीमा निगम	2,00,00,000	132.06	364
30.03.2016	जनरल इंशोरेन्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया	46,39,294	86.22	40
*	भारत सरकार (एप्लिकेशन मनी 30.03.2016 प्राप्त हुई)	10,14,82,527	113.32	1150
*	भारतीय जीवन बीमा निगम (एप्लिकेशन मनी 31.03.2016 प्राप्त हुई)	1,60,00,000	96.03	153.65
31.12.2015	8.52% टियर 2 बॉंड - 2025	30000	10,00,000	3000

* ये शेयर 4 मई 2016 को आबंटित किए गए।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने के लिए तथा बैंक की लंबी अवधि के स्त्रोतों को विकसित करने के लिए संवर्धित टियर I तथा II के प्राथमिक उद्देश्य सहित निधि बढ़ाई गई तथा इस उद्देश्य हेतु उसका उपयोग किया गया।

iv. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

v. सेबी एलओडीआर विनियमन-2015 के विनियम 40 (9) की आवश्यकता के अनुसार किए गए करार के द्वारा अंतरण करने, प्रेषण, उप विभाजन, समेकन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर इक्विटी शेयर्स के विनिमय के संबंध में जानकारी के साथ-साथ व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्रत्येक छ: माह में एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। यह प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर बीएसई और एनएसई को जहां इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, के वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।

vi. सेबी के परिपत्र सं. डी एवं सीसी/एफआईटीटीसी/सीआइआर-16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार विशेषागारों के साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी

Disclosures :

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI has clarified under Regulation 15 (2) that for listed entities which are not companies, but body corporates, or are subject to regulations under other statues the provisions of Corporate Governance, as specified under certain regulations shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

i) Remuneration of Directors :

The remuneration of the Managing Director & CEO and the Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the other directors exceft sitting fees which is as under:

For Board Meeting : ₹ 20,000/- per meeting

For Committee Meeting : ₹ 10,000/- per meeting

ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii) Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review, the Bank has raised the following capital by issue of Equity Shares and Tier-II Bonds

Date of Allotment	Particulars (Investors)	Number of Shares	Price per Share	Amount (₹ In Crore)
30.09.2015	Government of India	12,70,04,655	193.30	2455
05.01.2016	Life Insurance Corporation	2,00,00,000	132.06	364
30.03.2016	General Insurance Corporation of India	46,39,294	86.22	40
*	Government of India (Application money received on 30.03.2016)	10,14,82,527	113.32	1150
*	Life Insurance Corporation (Application money received on 31.03.2016)	1,60,00,000	96.03	153.65
31.12.2015	8.52% Tier 2 Bonds-2025	30000	10,00,000	3000

* These shares were allotted on 4th May 2016.

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-I&II Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

iv. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

v. As required under regulation 40(9) of the SEBI LODR Regulations-2015, a certificate is obtained every six months from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are uploaded on the web portals of BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance.

vi. In terms of SEBI's circular No.D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of capital Report is

शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव की फर्म द्वारा तिमाही आधार पर एक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जाती है। इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध रहते हैं।

vii. वर्तमान में बैंक के पास कोई भौतिक अनुषंगी नहीं है।

viii. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक - स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक 28.09.2015 को आयोजित की गयी।

ix. स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण :- वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के कारोबारी मॉडल तथा उद्योग की प्रकृति से परिचय कराने के लिए निदेशकों को निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदान किया गया -

तारीख	निदेशकों के नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम
27.11.2015 से 28.11.2015	डॉ आर.एल. बिश्नोई	एक्सेलेंट इनेबलर्स	कार्पोरेट शासन प्रणाली समिट 'गेटकिपर्स ऑफ़ गवर्नेंस'
04.07.2015	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	आईसीएआई	सीए निदेशकों का राउंड टेबल इंटर फ़ेस..
03.02.2016	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	एक्सेलेंट इनेबलर्स	विचारशील निदेशकों का विकास

x. बैंक के वेबसाइट - http://www.bankofindia.co.in/english/codeconduct.aspx पर निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता पोस्ट किया गया है ।

xi. सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पर्दाफाश करनेवाली नीति बनाई गई है। इसे बैंक के बेवसाइट http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx पर पोस्ट किया गया है।

xii. संबंधित नीति का लेनदेन : संबंधित पक्ष लेनदेन को लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट की जाती है। संबंधित पक्ष के लेनदेन पर बैंक की नीति को बैंक के वेबसाइट http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx पर पोस्ट किया गया है। संबंधित पक्ष के लेनदेन का विस्तृत वर्णन एएस-18 के अंतर्गत है।

xiii. पारिश्रमिक नीति - प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों की पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अन्य स्टाफ सदस्यों के वेतन का निर्धारण भारतीय बैंक संघ के साथ त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार होता है।

संचार - साधन :

तिमाही तथा अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित किंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अध्यधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम अंग्रेजी के इकानामिक टाइम्स/बिज़नेस स्टैंडर्ड/फाइनेन्शियल एक्सप्रेस/बिज़नेस लाइन में, मराठी में(क्षेत्रीय भाषा) सकाल/नवशक्ति/लोकसत्ता/आपला महानगर में तथा हिन्दी में नवभारत टाइम्स/नवभारत में प्रकाशित हुआ। परिणाम को बैंक के वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया है। संस्थागत निवेशकों को की गई प्रस्तुतियां भी बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सेबी तथा सूचीबद्ध करार द्वारा आवश्यकतानुसार, बैंक ऑफ़ इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंज के वेब पोर्टलों में ऑनलाइन वित्तीय तथा अन्य सूचनाएं फ़ाइल करता है।

वित्तीय कलेंडर : 1 अप्रैल, 2016 से

बैंक ऑफ़ इंड़िया का वार्षिक लेखापरीक्षा खाता तथा लाभांश अनुशंसा को विचारर्थ बोर्ड बैठक में प्रस्तुति	24 मई, 2016
20 वीं वार्षिक आम-सभा का दिनांक, समय, स्थान	14 जुलाई, 2016 अपराह्न 3.00 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडोटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई-400 051
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	18 जून, 2016 तक
बही बंद करने की तिथि	11 जुलाई, 2016 से 14 जुलाई , 2016
परोक्षी फार्म प्राप्ति की अंतिम तिथी	8 जुलाई, 2016
प्रथम तीन तिमाहियों की अलेखापरीक्षित परिणाम के विचारार्थ बोर्ड की बैठ	संबंधित तिमाही के 45 दिनों में।

conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositaries and in the physical form with the total issued/paid up equity capital of Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.

vii. At present the Bank does not have any material subsidiary.

viii. Independent Directors Meeting – The separate meeting of Independent Directors was held on 28.09.2015

ix. Training of Non-Executive Directors – During the year 2015-16 the Bank has provided the following training to Directors to familiarize them with the nature of industry and business mode of the Bank –

Date	Name of Directors	Name of Institute	Name of Course
27.11.2015 to 28.11.2015	Dr. R. L. Bishnoi	Excellent Enablers	Corporate Governance Summit 'Gatekeepers of Governance'
04.07.2015	Shri Sanjiv Kumar Arora	ICAI	Round Table Interface of CA Directors
03.02.2016	Shri Sanjiv Kumar Arora	Excellence Enablers	Developing Discerning Directors

x. Code of Conduct for Directors and Senior Management is posted on Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/codeconduct.aspx

xi. Whistle Blower Policy in terms of CVC guidelines has been formulated. The same is posted Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx

xii. Related Policy transaction – The Related party transactions are reported to Audit Committee. The Bank's policy on Related Party transaction is posted Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx. The details of related party transactions are as detailed under AS-18.

xiii. Remuneration Policy - The remuneration of the Managing Director & CEO, Executive Directors is fixed by the Government of India. Salary of the other staff members is as per the tripartite agreement of the IBA.

Means of Communication :

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the Economic Times/Business Standard/ Financial Express /Business Line in English, Sakal / Navshakti/Lokmat/ Apla Mahanagar in Marathi (Regional language) and Navbharat Times/Navbharat in Hindi. The results were also displayed on the Bank's website at www.bankofindia.co.in. The presentations made to institutional investors are also available on Bank's website

As required by SEBI and in the Listing Agreements, Bank of India, files its financial and other information online on their web portals of the stock exchange.

Financial Calendar : From 1st April, 2016 :

Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India and recommendation of dividend	24th , May, 2016
Date, Time, Venue of 20th AGM	14th July, 2016. At 3.00 P.M. Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.
Posting of Annual Report	By 18th June 2016
Book Closure dates	11th July 2016 to 14th July 2016
Last Date for receipt of proxy forms	8th July 2016
Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	Within 45 days of the relevant quarter.

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण :

बैंक के शेयरों का मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लि., नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक स्क्रिप कोड निम्नानुसार है:

दि बीएसई लि. (बीएसई)	532149/BANKINDIA
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. (एनएसई)	BANKINDIA EQ
आईएसआईएन क्रमांक	INE084A01016

उक्त दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर वचनपत्र/डिबेंचर के रूप में अपरिवर्तनीय बॉंड (टियर I एवं II पूंजी) जारी किये हैं। उनसे संबंधित ब्योरा निम्नानुसार है:

बैंक ऑफ़ इंडिया बॉंड - टियर I एवं टियर II पूंजी स्थिति यथा 31.03.2016

Listing on Stock Exchanges

The shares of the Bank are listed on The BSE Ltd. and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

The BSE Ltd. (BSE)	532149/ BANKINDIA
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA EQ
ISIN Number	INE084A01016

Annual listing fee for 2016-17 has been paid to both of the stock exchanges.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes / Debentures (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

BANK OF INDIA BOND – TIER I and TIER II CAPITAL POSITION AS ON 31.03.2016

क्र.सं. Sr.No	निर्गम का विवरण	PARTICULARS OF THE ISSUE	कुल मूल्य (₹ करोड़ में) TOTAL VALUE (₹ in Crores)	आईएसआईएन नं. ISIN NO.
1	8.00% बीओआई श्रृंखला - IX - 2016	8.00% BOI SERIES – IX –2016	200.00	INE084A09100
2	9.80% बीओआई श्रृंखला - X - 2023	9.80% BOI SERIES – X - 2023	1000.00	INE084A08037
3	9.80% बीओआई श्रृंखला - XI - 2023	9.80% BOI SERIES – XI – 2023	500.00	INE084A08045
4	8.52% बीओआई श्रृंखला - XII - 2025	52% BOI SERIES XII-2025	3000.00	INE084A08060
5	9.35% अपर टियर II श्रृंखला - I -2016	9.35% UPPER TIER II SERIES–I-2016	732.00	INE084A09118
6	11.15% अपर टियर II श्रृंखला - II - 2018	11.15% UPPER TIER II SERIES–II- 2018	500.00	INE084A09159
7	8.45% अपर टियर II श्रृंखला - III -2019	8.45% UPPER TIER II SERIES–III-2019	500.00	INE084A09175
8	8.50% अपर टियर II श्रृंखला - IV -2019	8.50% UPPER TIER II SERIES–IV-2019	500.00	INE084A09183
9	8.54% अपर टियर II श्रृंखला - V -2020	8.54% UPPER TIER II SERIES–V-2020	1000.00	INE084A09209
10	8.48% अपर टियर II श्रृंखला - VI -2020	8.48% UPPER TIER II SERIES–VI-2020	1000.00	INE084A09217
11	10.55% आईपीडीआई बांड- श्रृंखला I	10.55% IPDI Bonds-Series I	400.00	INE084A09126
12	10.45% आईपीडीआई बांड- श्रृंखला II	10.45% IPDI Bonds-Series II	100.00	INE084A09134
13	10.40% आईपीडीआई बांड- श्रृंखला III	10.40% IPDI Bonds-Series III	155.00	INE084A09142
14	8.90% आईपीडीआई बांड- श्रृंखला IV	8.90% IPDI Bonds-Series IV	400.00	INE084A09167
15	9.00% आईपीडीआई बांड- श्रृंखला V	9.00% IPDI Bonds-Series V	325.00	INE084A09191
16	9.05% आईपीडीआई बांड- श्रृंखला VI	9.05% IPDI Bonds-Series VI	300.00	INE084A09225
17	11.00% अतिरिक्त टियर I श्रृंखला I	11.00% Additional Tier I Series I	2500.00	INE084A08052
	कुल	**TOTAL**	**13,112.00**	

इन सभी बॉंडों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इं.लि. में सूचीकरण किया गया है तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2015-16 का वार्षिक शुल्क अदा किया है।

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd and the Bank has paid the Annual listing fee for 2015-2016 to the Stock Exchange.

ऋण श्रेणी निर्धारण

एजेंसी	दी गई रेटिंग
आईसीआरए द्वारा कॉर्पोरेट शासन प्रणाली हेतु रेटिंग	सीजीआर - 2
मूडीस इन्वेस्टर सर्विस (मूडीस)	बीएए3 / पी-3
स्टैंडर्ड एवं पूअर (एस एंड पी)	सीजीआर - 2
क्रेडिट एनालिसिस एवं रिसर्च लि.(सीएआरई)	सीएआरईएए
सावधि जमा कार्यक्रम हेतु निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए)	CARE AA-
बॉन्ड हेतु निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए)	MAA+
सीआरआईएसआईएल (क्रिसिल)लि.- बॉंड्स हेतु	SS+
ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा.लि.- बॉंड्स हेतु	बीडब्ल्यूआर एए+
सीआरआईएसआईएल (क्रिसिल)लि.- जमाराशियों के प्रमाण पत्र हेतु	ए1+

Credit Ratings

Agency	Rating Assigned
Corporate Governance Rating by ICRA	CGR-2
Moody's Investor Service (Moody's)	Baa3 / P-3
Standard & Poor's (S&P)	BB(+)/B
Credit Analysis & Research Limited (CARE)	CARE AA-
Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) for Term Deposit Programme	MAA+
Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) for Bonds	ICRA AA-
CRISIL Limited – For Bonds	AA+
Brickwork Ratings India Pvt Limited-For Bonds	BWR AA-
CRISIL Limited – For Certificate of Deposits	A1+

शेयरों का अमूर्तीकरण:

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डिमेट) रूप में किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडील) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है।

यथा 31/03/2016 को शेयरधारकों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप से धारित शेयरों का ब्योरा निम्नानुसार है :

Dematerialisation of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2016 are as under:

		शेयरधारकों की संख्या	शेयरो की संख्या	शेयरधारिता का %
सीडीएसएल	**CDSL**	71011	574035372	70.30
एनएसडीएल	**NSDL**	124674	222366801	27.23
मूर्त	Physical	102154	20150291	2.47
कुल	**Total**	297839	816552464	100.00

शेयरधारिता का पैटर्न यथा 31.03.2016

Shareholding Pattern as on 31.03.2016

शेकारधारकों का प्रवर्ग	Category of Shareholder	शेयरधारकों की संख्या Number of Shareholders	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding	लॉक इन के तहत शेयर Shares under Lock in	लॉक इन के तहत शेयरों का % % of Shares under lock in
केन्द्रीय सरकार (प्रवर्तक)	Central Government (Promoters)	1	555372168	68.01	555372168	68.01
म्युचुअल फंड/यूटीआई	Mutual Funds / UTI	43	6434935	0.79	–	–
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	Financial Institutions / Banks	37	2456003	0.30	–	–
बीमा कंपनियां	Insurance Companies	33	138044889	16.91	24639294	3.02
कारपोरेट निकाय	Bodies Corporate	2062	12970710	1.59	–	–
एकल व्यक्ति	Individuals	293083	60912788	7.46	–	–
अनिवासी भारतीय/ओसीबी	Non Resident Indians/ OCB	2457	3231002	0.40	–	–
विदेशी संस्थागत निवेशक	Foreign Institutional Investors	65	19037450	2.33	–	–
विदेशी पोर्टफोलिओ निवेशक	Foreign Portfolio Investors	47	17646636	2.16	–	–
विदेशी बैंक	Foreign Banks	1	16623	0.00	–	–
ट्रस्ट	Trust	10	429260	0.05	–	–
कुल	**Total**	**297839**	**816552464**	**100**	**580011462**	**71.03**

एकल व्यक्तियों (पब्लिक) की शेयरधारिता जो कुल शेयरों की संख्या में से 1% से अधिक का धारण कर रहे हैं।

Shareholding of persons (Public) holding more than 1% of the total number of shares.

शेयरधारक का नाम	Name of the Shareholder	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding
भारतीय जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation of India	119281603	14.61

शेयरधारिता का संवितरण यथा दिनांक 31 मार्च, 2016 :-

Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2016:-

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	No of Equity Shares held	फोलियों Folio		शेयर Shares	
		संख्या Nos.	प्रतिशत % age	संख्या Nos.	प्रतिशत % age
500 तक	Upto 500	280087	94.04	34691656	4.25
501 से 1000 तक	501 to 1000	10775	3.62	8138574	1.00
1001 से 5000 तक	1001 to 5000	5874	1.97	12143487	1.48
5001 से 10000 तक	5001 to 10000	555	0.19	4006401	0.49
10001 एवं इससे अधिक	10001 & above	548	0.18	757572346	92.78
कुल	**Total**	**297839**	**100.00**	**816552464**	**100.00**

शेयर मूल्य/मात्रा :

एनएसई में मासिक रूप से उच्च एवं निम्न भाव (कोटेशन) एवं शेयरों के लेन-देन की मात्रा निम्नानुसार है:-

Share Price/Volume :

The monthly high and low quotation and the volume of Shares traded on NSE are as under:-

अवधि	Period	अधिकतम ₹ Highest ₹	न्यूनतम ₹ Lowest ₹	शेयरों के लेन-देन की मात्रा Volume of Share Traded
अप्रैल, 2015	April, 2015	233.20	194.05	52401280
मई, 2015	May, 2015	225.80	188.00	65614351
जून, 2015	June, 2015	199.00	168.10	53226009
जुलाई, 2015	July, 2015	186.90	147.60	60456141
अगस्त, 2015	August, 2015	188.25	131.40	87317122
सितंबर, 2015	September, 2015	145.70	126.00	70648721
अक्तूबर, 2015	October, 2015	149.00	130.45	43326741
नवंबर, 2015	November, 2015	138.85	123.45	53004205
दिसंबर, 2015	December, 2015	132.20	113.25	45251771
जनवरी, 2016	January, 2016	117.75	90.00	63961698
फरवरी, 2016	February, 2016	105.40	80.10	92009190
मार्च, 2016	March, 2016	100.15	84.05	72505993
यथा 31.03.2016 की लेखा बंदी मूल्य	Closing Price as on 31.03.2016			₹ 97.05 (एनएसई)(NSE)
बाजार पूंजीकरण (कुल शेयरों पर आधारित)	Market Capitalisation			₹ 7924.64 करोड़ Crore

व्यापक आधारित सूचियों की तुलना में कार्यनिष्पादन

Performance in comparison to Broad Based Indices

एनएसई में बैंक ऑफ इंडिया का शेयर
Bank of India Share Price on NSE

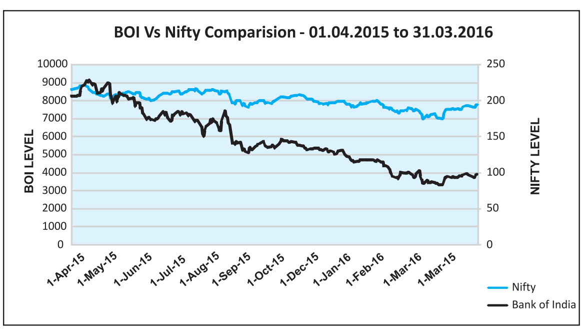

बीएसई में बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मूल्य
Bank of India Share Prise on BSE

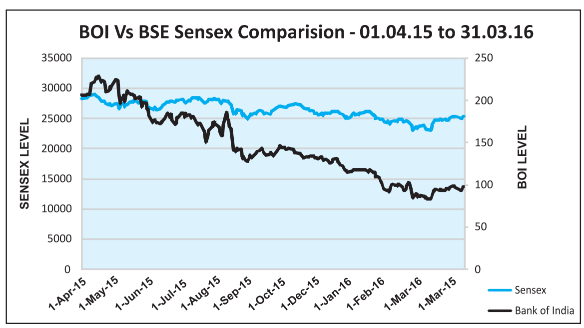

कार्पोरेट शासन के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्स्चेंज के साथ सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन प्रणाली के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

अनिवार्य/ गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन

बैंक ने सेबी सूचीबद्ध करार-2015 की अनुसूची II के भाग-ई के तहत उल्लिखित निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

Certificate of compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the practising company secretary, regarding compliance of mandatory stipulations of corporate governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.

Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements.

The Bank has complied with the following Discretionary Requirement as mentioned under Part –E of Schedule II of SEBI Listing Regulations- 2015.

क्र. सं. Sr. No.	गैर अनिवार्य अपेक्षाएं Non Mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of implementation
1	**बोर्ड -** एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए हकदार। **The Board -** A non executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expense.	अध्यक्ष का पद कार्यपालक का है और बैंक में उनका पृथक कार्यालय है। The Chairman's Position is a Non- Executive and he is having a separate office in the Bank.
2	**शेयरधारकों का अधिकार-** विगत छ: महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है। **Shareholder's Rights-** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six- months, may be sent to shareholders.	तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरण एवं प्रमुख विशेषताएं एनएसई और बीएसई को भेजी जाती है और अखबारों में प्रकाशित की जाती है तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। अत: शेयरधारकों को सूचना व्यक्तिश: नहीं भेजी जाती है। The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are sent to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website including highlights. As such, information to Shareholders is not sent individually.
3	**लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित राय(एं) -** सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखा परीक्षा राय के साथ वित्तीय विवरण की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकता है। **Modified Opinion (s) in Audit Report** –The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण असंशोधित लेखा परीक्षा राय के साथ हैं। The bank's Annual Financial Statements are with unmodified audit opinion.
4	**अध्यक्ष एवं सीईओ के पृथक पद -** सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद के लिए बैंक अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। **Separate Posts of Chairperson and Chief Executive Officer.** The listed entity may appoint Separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief executive officer.	बैंक के पास यह पद है। The Bank is having this position.

बोर्ड के निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

एम ओ रेगो

(मलविन रेगो)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक: 14.06.2016

For and on behalf of the Board of Directors

(Melwin Rego)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 14.06.2016

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली पर प्रमाणपत्र

सदस्यगण
बैंक ऑफ इंडिया
स्टार हाउस ,सी-5,जी ब्लॉक
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई-400 051

हमने 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बी.एस.ई. लिमिटेड (स्टॉक एक्स्चेंज) के साथ हुए सूचीकरण करार के खंड 49 के तहत कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों, जिनका उल्लेख सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17-27, 46 एवं अनुसूची V के प्रावधानों में किया गया है, के अनुपालन के प्रमाणीकरण के प्रयोजन से बैंक ऑफ इंडिया ("दि बैंक कंपनी") के सभी संगत अभिलेखों की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जांच कार्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी । यह प्रमाणपत्र न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक की दक्षता या प्रभावशीलता से संचालन से संबन्धित है।

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर उल्लेख किए गए सूचीकरण करार और सूचीकरण विनियमों के अनुसार बैंक ने कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों को पूरा किया है।

कृते आर. एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई विशिष्ट कोड S2007MH094000)

राजश्री पडिया
एफएससी : 6804
सीपी: 7488

स्थान: मुंबई
दिनांक: 03.05.2016

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

The Members
Bank of India
Star House, C-5, 'G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai 400 051

We have examined all relevant records of Bank of India ("the Bank/Company") for the purpose of certifying compliances of conditions of Corporate Governance under the Clause 49 of the Listing Agreement and the Corporate Governance provisions as specified in the provisions of Regulation 17-27, 46 and Schedule V of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulation,2015 and entered into with National Stock Exchange of India Ltd and Bombay Stock Exchange Limited (Stock Exchanges) for the Financial Year ended 31st March, 2016.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliances of conditions of Corporate governance. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement and Listing Regulations.

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries
(ICSI Unique Code S2007MH094000)

Rajshree Padia
FCS:6804
CP: 7488

Place: Mumbai
Date:03.05.2016

सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल
बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई
महोदय,

विषय : वर्ष 2015-16 सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन,2015 की अनुसूची 11 के भाग बी के साथ पढें विनियम 17 (8) के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :-

क. हमने वर्ष 2015-16 हेतु वित्तीय वितरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में कोई तात्विक रूप से गलत विवरण नहीं है या इनमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ा गया है या इसमें कोई ऐसे कथन नहीं हैं तो भ्रम की स्थिति पैदा करती हों।

ii. ये सभी विवरण मिलाकर बैंक की गतिविधियों का सही और उचित स्थिति दर्शाती है और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

ख हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है जो धोखाध्ड़ी पूर्ण हो, अवैध हो अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियम की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना स्वीकार करते हैं और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन अथवा डिजाइन में कमियों का प्रकटन, यदि कोई हो, लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष किया है जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को सुधारने के प्रयोजन से हमने कदम उठाए हैं या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।

घ हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समितियों को यह सूचित किया है:-

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरण कोटिप्पणियों में किया गया है।

iii. ऐसी किसी बड़ी धोखाधड़ी की हमें जानकारी मिली हो और जिसमें प्रबंधन अथवा वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला कोई कर्मचारी शामिल हो।

कृते बैंक ऑफ इंडिया

ह/	ह/
(जैन भूषण)	**(मेलविन रेगो)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
स्थान : मुंबई	दिनांक 24 मई 2016

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of India,
Mumbai
Dear Sir,

Re: CEO/CFO Certification for the year 2015-16

Pursuant to Regulation 17 (8) read with Part B, Schedule II of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statement and the cash flow statement for the year 2015-16 and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosedto the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Bank of India

Sd/-	**Sd/-**
(Jain Bhushan)	**(Melwyn Rego)**
Chief Financial Officer	Managing Director & CEO
Place: Mumbai	Date: 24th May, 2016

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए अवचरण संहिता निर्धारित की है, जिसका सार बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। निदेशक और कोर प्रबंधन ने 31 मार्च 2016 की समाप्ति के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/	ह/
(जैन भूषण)	**(मेलविन रेगो)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक 24 मई 2016

DECLARATION BY CEO

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2016.

Sd/-	**Sd/-**
(Jain Bhushan)	**(Melwyn Rego)**
Chief Financial Officer	Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date:24th May, 2016

तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता आदि की मुख्य विशेषताओं से संबंधित विवरण
यथा 31 मार्च 2016को बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त तुलन पत्र

राशि ₹ लाखों में

विवरण		एकल		समेकित	
		चालू वर्ष 31.3.2016	विगत वर्ष 31.3.2015	चालू वर्ष 31.3.2016	विगत वर्ष 31.3.2015
	पूंजी और देयताएं				
पूंजी	इक्विटि	81,729	66,565	81,729	66,565
आरक्षित निधि और अधिशेष	सांविधिक आरक्षित निधि	708,688	708,688	708,688	708,688
	पूंजी आरक्षित निधि	897,815	592,176	891,455	580,546
	शेयर प्रीमियम	881,178	620,430	889,338	628,590
	राजस्व और अन्य आरक्षित निधि	1,156,815	1,156,815	1,269,526	1,267,895
	अल्पसंख्यक हित			9,800	16,793
	लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि	(624,868)	-	(636,535)	-
	आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि	130,365	-	130,365	-
जमाराशियां	मांग जमाराशियां	2,351,707	2,147,565	2,364,654	2,168,366
	बचत बैंक जमाराशियां	10,920,744	9,713,367	10,935,962	9,725,553
	सावधि जमाराशियां	38,028,001	41,329,731	38,271,631	41,554,311
उधार	भारत में उधार				
	(क) भारतीय रिजर्व बैंक से	975,500	208,168	975,500	208,168
	(ख) अन्य बैंकों से	323,539	277,618	322,456	279,567
	(ग) अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	1,297,390	1,544,319	1,297,390	1,544,319
	भारत के बाहर से उधार	2,511,885	1,975,609	2,514,982	1,977,814
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	देय बिल	116,049	111,241	116,322	111,458
	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-	-	-
	उपचित ब्याज	227,413	266,840	228,882	268,631
	मानक आस्तियों हेतु प्रवधान	228,016	236,524	229,962	236,902
	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	0	66,899	90	66,899
	अन्य	779,427	847,222	1,060,726	1,117,409
	कुल पूंजी और देयताएं आस्तियां	60,991,393	61,869,776	61,662,923	62,528,474
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां					
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	भारत में बैंकों में शेष	3,396,161	2,717,003	3,421,372	2,749,838
	भारत में मांग एवं अल्प सूचना पर राशि	383,440	570,384	383,628	199,585
	भारत के बाहर शेष	600,000	0	600,000	-
निवेश	भारत में	5,534,528	3,980,635	5,545,472	3,999,774
	(क) सरकारी प्रतिभूतियां	10,358,618	10,199,492	10,446,183	10,269,756
	(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	116	19,816	17,542
	(ग) शेयर	88,288	121,884	166,583	209,205
	(घ) डिबेंचर और बंधपत्र	551,404	771,820	601,484	799,266
	(ङ) अनुषंगियां और/या सहायक कंपनियां	50,101	48,638	127,137	121,581
	(च) अन्य	312,666	345,222	349,548	405,887
	भारत के बाहर	523,815	492,032	551,340	496,316

Statement containing salient features of Balance Sheet and Profit & Loss Account

Abridged Balance Sheet of Bank of India as on March 31, 2016

Amt in ₹ Lakhs

	Particulars	Standalone		Consolidated	
		Current Year 31.3.2016	Previous Year 31.3.2015	Current Year 31.3.2016	Previous Year 31.3.2015
	CAPITAL AND LIABILITIES				
Capital	Equity	81,729	66,565	81,729	66,565
Reserves & Surplus	Statutory Reserves	708,688	708,688	708,688	708,688
	Capital Reserves	897,815	592,176	891,455	580,546
	Share Premium	881,178	620,430	889,338	628,590
	Revenue & Other Reserves	1,156,815	1,156,815	1,269,526	1,267,895
	Minority Interest			9,800	16,793
	Balance in Profit & Loss A/c	(624,868)	-	(636,535)	-
	Share application Money pending for allotment	130,365	-	130,365	-
Deposits	Demand Deposits	2,351,707	2,147,565	2,364,654	2,168,366
	Savings Bank Deposits	10,920,744	9,713,367	10,935,962	9,725,553
	Term Deposits	38,028,001	41,329,731	38,271,631	41,554,311
Borrowings	Borrowings in India				
	(a) from Reserve Bank of India	975,500	208,168	975,500	208,168
	(b) from other banks	323,539	277,618	322,456	279,567
	(c) from other institutions and agencies	1,297,390	1,544,319	1,297,390	1,544,319
	Borrowings outside India	2,511,885	1,975,609	2,514,982	1,977,814
Other Liabilities & Provisions	Bills Payable	116,049	111,241	116,322	111,458
	Inter-office Adjustments (net)	-	-	-	-
	Interest Accrued	227,413	266,840	228,882	268,631
	Provisions towards Standard Assets	228,016	236,524	229,962	236,902
	Deferred Tax Liability (net)	0	66,899	90	66,899
	Others	779,427	847,222	1,060,726	1,117,409
	TOTAL CAPITAL & LIABILITIES	**60,991,393**	**61,869,776**	**61,662,923**	**62,528,474**
	ASSETS				
Cash & Balance with Reserve Bank of India		3,396,161	2,717,003	3,421,372	2,749,838
Balance with banks & money at call & short notice	Balance with banks in India	383,440	570,384	383,628	199,585
	Money at call & short notice in India	600,000	-	600,000	-
	Balances outside India	5,534,528	3,980,635	5,545,472	3,999,774
Investments	In India				
	(a) Government Securities	10,358,618	10,199,492	10,446,183	10,269,756
	(b) Other approved securities	0	116	19,816	17,542
	(c) Shares	88,288	121,884	166,583	209,205
	(d) Debentures & Bonds	551,404	771,820	601,484	799,266
	(e) Subsidiaries and/or Joint ventures	50,101	48,638	127,137	121,581
	(f) Others	312,666	345,222	349,548	405,887
	Outside India	523,815	492,032	551,340	496,316

तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता आदि की मुख्य विशेषताओं से संबंधित विवरण
यथा 31 मार्च 2016 को बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त तुलन पत्र

राशि ₹ लाखों में

विवरण		एकल		समेकित	
		चालू वर्ष 31.3.2016	विगत वर्ष 31.3.2015	चालू वर्ष 31.3.2016	विगत वर्ष 31.3.2015
अग्रिम	भारत में	523,815	492,032	551,340	496,316
	(क) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	558,091	813,459	558,091	813,459
	(ख) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	11,395,962	13,454,764	11,395,962	13,454,764
	(ग) सावधि ऋण	12,935,485	13,819,771	12,935,985	13,820,122
	भारत के बाहर	11,029,357	12,114,560	11,240,151	12,350,591
अचल आस्तियां		848,031	588,553	857,285	591,449
अन्य आस्तियां	आंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	218,061	30,056	218,057	30,056
	उपचित ब्याज	264,606	250,831	268,958	254,306
	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटे गए कर (निवल)	396,217	532,891	396,318	532,897
	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	277,757	12,992	278,186	13,447
	दावों के निपटान पर अधिग्रहित गैर-बैंकिंग आस्तियां	-	-	-	-
	अन्य	1,268,805	1,004,676	1,301,367	1,026,285
	कुल आस्तियां	60,991,393	61,869,776	61,662,923	62,528,474
आकस्मिक देयताएं	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	113,512	115,931	113,512	115,931
	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	26,721,335	7,103,514	26,724,636	27,034,803
	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ	3,448,818	3,097,781	3,470,290	3,112,997
	सकार, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	2,218,795	3,901,026	2,223,589	3,901,266
	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है	2,878,473	3,231,894	2,874,310	3,244,314
वसूली के लिए बिल		35,380,932	2,641,239	2,690,210	2,642,018

जी पद्मनाभन
G Padmanabhan
अध्यक्ष
Chairman

मेलविन रेगो
Melwyn Rego
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

बि पी शर्मा
B P Sharma
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर पी मराठे
R P Marathe
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर ए शंकर नारायणन
R A Sankara Narayanan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

जैन भूषण
Jain Bhushan
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

ऐना रॉय Anna Roy
आर सबेस्टीयन R Sebastian
हरविंदर सिंह Harvinder Singh
आर एल बिश्नोई R L Bishnoi
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं
For M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)
संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
(एम. नं. 044577) M. No. 044577

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय
For J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)
अरूण मॅगॉन Arun Magon
भागीदार Partner
(एम. नं. 093323) M. No. 093323

मेसर्स डी. सिंह. एंड कं.
For D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)
सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
(एम. नं. 098641) M. No. 098641

मेसर्स ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता
For Grover Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)
पंकज बंसल Pankaj Bansal
भागीदार Partner
(एम. क्र. 502661) M. No. 502661

मेसर्स बी रतन अँड एसोशिएटस
For B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)
बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn
भागीदार Partner
(एम. क्र. 094790) M. No. 094790

मेसर्स जी डी आपटे अँड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)
सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016

Statement containing salient features of Balance Sheet and Profit & Loss Account

Abridged Balance Sheet of Bank of India as on March 31, 2016

Amt in ₹ Lakhs

	Particulars	Standalone		Consolidated	
		Current Year 31.3.2016	Previous Year 31.3.2015	Current Year 31.3.2016	Previous Year 31.3.2015
Advances	**In India**				
	(a) Bills purchased & discounted	558,091	813,459	558,091	813,459
	(b) Cash Credit, overdraft & loans repayable on demand	11,395,962	13,454,764	11,395,962	13,454,764
	(c) Term Loans	12,935,485	13,819,771	12,935,985	13,820,122
	Outside India	11,029,357	12,114,560	11,240,151	12,350,591
Fixed Assets		848,031	588,553	857,285	591,449
Other Assets	Inter Office Adjustments(net)	218,061	30,056	218,057	30,056
	Interest Accrued	264,606	250,831	268,958	254,306
	Tax paid in advance / at source	396,217	532,891	396,318	532,897
	Deferred Tax Assets (net)	277,757	12,992	278,186	13,447
	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	–	–	–	–
	Others	1,268,805	1,004,676	1,301,367	1,026,285
	TOTAL ASSETS	**60,991,393**	**61,869,776**	**61,662,923**	**62,528,474**
Contingent liabilities	Claims against the banks not acknowledged as debts	113,512	115,931	113,512	115,931
	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	26,721,335	7,103,514	26,724,636	27,034,803
	Guarantees given on account of constituents	3,448,818	3,097,781	3,470,290	3,112,997
	Acceptances, endorsements & other obligations	2,218,795	3,901,026	2,223,589	3,901,266
	Other items for which the bank is contingently liable	2,878,473	3,231,894	2,874,310	3,244,314
Bills for collection		35,380,932	2,641,239	2,690,210	2,642,018

जी पद्मनाभन
G Padmanabhan
अध्यक्ष
Chairman

मेलविन रेगो
Melwyn Rego
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

बि पी शर्मा
B P Sharma
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर पी मराठे
R P Marathe
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर ए शंकर नारायणन
R A Sankara Narayanan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

जैन भूषण
Jain Bhushan
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

ऐना रॉय Anna Roy
आर एल बिश्नोई R L Bishnoi
आर सबेस्टीयन R Sebastian
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia
हरविंदर सिंह Harvinder Singh
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं
For M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)

संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
(एम. नं. 044577) M. No. 044577

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय
For J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)

अरूण मॅगॉन Arun Magon
भागीदार Partner
(एम. नं. 093323) M. No. 093323

मेसर्स डी. सिंह. एंड कं.
For D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)

सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
(एम. नं. 098641) M. No. 098641

मेसर्स ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता
For Grover Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)

पंकज बंसल Pankaj Bansal
भागीदार Partner
(एम. क्र. 502661) M. No. 502661

मेसर्स बी रतन अँड एसोशिएटस
For B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)

बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn
भागीदार Partner
(एम. क्र. 094790) M. No. 094790

मेसर्स जी डी आपटे अँड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)

सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016

यथा 31 मार्च 2016 को बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त लाभ एवं हानि खाता

राशि ₹ लाखों में

	विवरण	एकल		समेकित	
		चालू वर्ष 31.3.2016	विगत वर्ष 31.3.2015	चालू वर्ष 31.3.2016	विगत वर्ष 31.3.2015
	आय				
अर्जित ब्याज	अग्रिमों/ बिलों पर	3,037,090	3,167,816	3,058,267	3,187,818
	निवेशों पर	895,213	939,991	897,614	942,375
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर	212,094	214,325	217,922	217,434
	अन्य	35,249	20,859	35,481	20,860
अन्य आय	कमीशन,विनिमय और दलाली	140,350	161,002	141,507	162,137
	निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ	74,955	93,094	75,493	93,481
	भूमि,भवन और अन्य आस्तियों के बिक्री पर निवल लाभ	0	0	40	2
	विनिमय संव्यवहारों पर निवल लाभ	66,207	68,642	67,006	69,423
	अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में आय	1,744	4,722	1,662	4,722
	विविध आय	81,998	95,810	81,454	98,043
	कुल आय	4,544,901	4,766,261	4,576,446	4,796,295
	व्यय				
व्यय किया गया ब्याज	जमाराशियों पर	2,692,747	2,892,141	2,709,782	2,904,988
	भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर	191,767	161,407	192,079	161,941
	अन्य	122,670	155,076	122,670	155,076
परिचालन व्यय	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	535,724	498,582	540,359	503,130
	किराया,कर और बिजली	63,929	59,835	65,701	61,390
	मुद्रण और लेखन सामग्री	7,700	7,764	7,793	7,842
	विज्ञापन और प्रचार	4,095	10,993	4,199	11,094
	बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	28,626	28,542	28,996	29,108
	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	32	15	309	233
	शाखा लेखा परिक्षकों सहित लेखा परिक्षकों की फीस और व्यय	6,723	5,154	6,827	5,249
	विधि प्रभार	2,592	2,825	2,659	3,118
	डाक व्यय,तार,टेलिफोन आदि	9,729	8,414	10,273	8,824
	मरम्मत और रख-रखाव	6,308	6,295	6,442	6,447
	बीमा	39,559	35,943	37,220	32,825
	अन्य	229,136	144,498	231,722	150,080
प्रावधान और आकस्मिकताएं	निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	35,073	(5,040)	35,073	(5,040)
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,410,192	522,743	1,440,575	523,164
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(12,840)	40,860	(12,755)	40,922
	अन्य (आय कर छोड़कर)	(49,787)	10,709	(49,820)	10,728
	कुल व्यय तथा प्रावधान	5,323,978	4,586,755	5,380,106	4,611,120

Abridged Profit & Loss Account of Bank of India for the year ended March 31, 2016

Amt in ₹ Lakhs

	Particulars	Standalone		Consolidated	
		Current Year 31.3.2016	Previous Year 31.3.2015	Current Year 31.3.2016	Previous Year 31.3.2015
	INCOME				
Interest Earned	On advances/bills	3,037,090	3,167,816	3,058,267	3,187,818
	On investments	895,213	939,991	897,614	942,375
	On balances with RBI and inter bank funds	212,094	214,325	217,922	217,434
	Others	35,249	20,859	35,481	20,860
Other Income	Commission, Exchange & Brokerage	140,350	161,002	141,507	162,137
	Net profit on sale of investments	74,955	93,094	75,493	93,481
	Net profit on sale of land building & other assets	0	0	40	2
	Net profit on Exchange Transactions	66,207	68,642	67,006	69,423
	Income by way of dividends etc. from subsidiaries/companies and/or JVs abroad/ in India	1,744	4,722	1,662	4,722
	Miscellaneous Income	81,998	95,810	81,454	98,043
	TOTAL INCOME	4,544,901	4,766,261	4,576,446	4,796,295
	EXPENDITURE				
Interest Expended	On Deposits	2,692,747	2,892,141	2,709,782	2,904,988
	On RBI/Inter bank borrowings	191,767	161,407	192,079	161,941
	Others	122,670	155,076	122,670	155,076
Operating expenses	Payment & provision for employees	535,724	498,582	540,359	503,130
	Rent Taxes & Lighting	63,929	59,835	65,701	61,390
	Printing & Stationery	7,700	7,764	7,793	7,842
	Advertisement & Publicity	4,095	10,993	4,199	11,094
	Depreciation on Bank's property	28,626	28,542	28,996	29,108
	Director's fees, Allowances & Expenses	32	15	309	233
	Auditors fees, expenses incl. branch auditors	6,723	5,154	6,827	5,249
	Law Charges	2,592	2,825	2,659	3,118
	Postage, Telegrams, Telephones, etc.	9,729	8,414	10,273	8,824
	Repairs & Maintenance	6,308	6,295	6,442	6,447
	Insurance	39,559	35,943	37,220	32,825
	Others	229,136	144,498	231,722	150,080
Provisions & Contigencies	Provision for Depreciation on Investments	35,073	(5,040)	35,073	(5,040)
	Provision towards non performing assets	1,410,192	522,743	1,440,575	523,164
	Provision towards standard assets	(12,840)	40,860	(12,755)	40,922
	Others (excluding income taxes)	(49,787)	10,709	(49,820)	10,728
	TOTAL EXPENSES AND PROVISIONS	5,323,978	4,586,755	5,380,106	4,611,120

यथा 31 मार्च 2016 को बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त लाभ एवं हानि खाता

राशि ₹ लाखों में

विवरण		एकल		समेकित	
		चालू वर्ष 31.3.2016	विगत वर्ष 31.3.2015	चालू वर्ष 31.3.2016	विगत वर्ष 31.3.2015
कर पूर्व लाभ / हानि		(779,077)	179,506	(803,661)	185,175
	चालू कर	147,110	7,077	147,143	8,945
	आस्थगित कर	(317,265)	1,536	(317,306)	1,397
कर पश्चात लाभ/हानि		(608,921)	170,892	(633,497)	174,833
सहयोगी कंपनियों में आमदनी/ (हानि) का हिस्सा		-	-	5,906	26,647
अल्पसंख्यक हित घटाए जाने से पूर्व वर्ष हेतु समेकित निवल लाभ/ हानि		(608,921)	170,892	(627,592)	201,480
घटाएं- अल्पसंख्यक हित		-	-	(7,166)	189
वर्ष के लिए समूह का समेकित निवल लाभ/हानि		(608,921)	170,892	(620,426)	201,290
आगे लाया गया लाभ / हानि		-	-	-	-
कुल		(608,921)	170,892	(620,426)	201,290
विनियोजन	सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरण	0	43,000	-	43,000
	पूंजीआरक्षित निधि को अंतरण	15,947	8,878	16,109	8,878
	अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण	0	79,042	-	109,440
	सरकार को अंतरण/प्रस्तावित लाभांश	0	39,972	-	39,972
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि	(624,868)	0	(636,535)	0

जी पद्मनाभन
G Padmanabhan
अध्यक्ष
Chairman

मेलविन रेगो
Melwyn Rego
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

बि पी शर्मा
B P Sharma
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर पी मराठे
R P Marathe
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर ए शंकर नारायणन
R A Sankara Narayanan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

जैन भूषण
Jain Bhushan
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

ऐना रॉय Anna Roy
आर एल बिश्नोई R L Bishnoi
आर सबेस्टीयन R Sebastian
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia
हरविंदर सिंह Harvinder Singh
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं
For M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)

संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
(एम. नं. 044577) M. No. 044577

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय
For J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)

अरूण मॅगॉन Arun Magon
भागीदार Partner
(एम. नं. 093323) M. No. 093323

मेसर्स डी. सिंह. एंड कं.
For D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)

सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
(एम. नं. 098641) M. No. 098641

मेसर्स ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता
For Grover Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)

पंकज बंसल Pankaj Bansal
भागीदार Partner
(एम. क्र. 502661) M. No. 502661

मेसर्स बी रतन अँड एसोशिएटस
For B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)

बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn
भागीदार Partner
(एम. क्र. 094790) M. No. 094790

मेसर्स जी डी आपटे अँड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)

सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016

Abridged Profit & Loss Account of Bank of India for the year ended March 31, 2016

Amt in ₹ Lakhs

Particulars		Standalone		Consolidated	
		Current Year 31.3.2016	Previous Year 31.3.2015	Current Year 31.3.2016	Previous Year 31.3.2015
Profit/Loss before Tax		(779,077)	179,506	(803,661)	185,175
	Current Tax	147,110	7,077	147,143	8,945
	Deferred Tax	(317,265)	1,536	(317,306)	1,397
Profit / Loss after Tax		(608,921)	170,892	(633,497)	174,833
Share of Earning/(Loss) in associates		-	-	5,906	26,647
Consolidated Net Profit/loss for the year before deducting minority Interest		(608,921)	170,892	(627,592)	201,480
Less - Minority Interest		-	-	(7,166)	189
Consolidated Net Profit/Loss for the year attributable to Group		(608,921)	170,892	(620,426)	201,290
Profit / Loss brought forward		-	-	-	-
Total		(608,921)	170,892	(620,426)	201,290
Appropriations	Transfer to statutory reserves	0	43,000	-	43,000
	Transfer to Capital Reserve	15,947	8,878	16,109	8,878
	Transfer to other reserves	0	79,042	-	109,440
	Transfer to Government/proposed dividends	0	39,972	-	39,972
	Balance carried forward to Balance Sheet	(624,868)	0	(636,535)	0

जी पद्मनाभन
G Padmanabhan
अध्यक्ष
Chairman

मेलविन रेगो
Melwyn Rego
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

बि पी शर्मा
B P Sharma
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर पी मराठे
R P Marathe
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर ए शंकर नारायणन
R A Sankara Narayanan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

जैन भूषण
Jain Bhushan
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

ऐना रॉय Anna Roy
आर एल बिश्नोई R L Bishnoi

आर सबेस्टीयन R Sebastian
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia

हरविंदर सिंह Harvinder Singh
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं
For M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)
संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
(एम. नं. 044577) M. No. 044577

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय
For J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)
अरूण मॅगॉन Arun Magon
भागीदार Partner
(एम. नं. 093323) M. No. 093323

मेसर्स डी. सिंह. एंड कं.
For D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)
सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
(एम. नं. 098641) M. No. 098641

मेसर्स ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता
For Grover Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)
पंकज बंसल Pankaj Bansal
भागीदार Partner
(एम. क्र. 502661) M. No. 502661

मेसर्स बी रतन अँड एसोशिएटस
For B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)
बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn
भागीदार Partner
(एम. क्र. 094790) M. No. 094790

मेसर्स जी डी आपटे अँड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)
सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016

यथा 31 मार्च 2016 को बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त नकदी प्रवाह विवरण पत्र

राशि ₹ लाखों में

विवरण	एकल		समेकित	
	चालू वर्ष 31.3.2016	विगत वर्ष 31.3.2015	चालू वर्ष 31.3.2016	विगत वर्ष 31.3.2015
क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह	2,202,452	1,084,453	1,831,079	1,463,820
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	(42,713)	(84,167)	(60,869)	(75,466)
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	486,370	129,507	486,370	129,507
नकद और नकदी समतुल्य में निवल बढ़त (एबीइसी)	2,646,108	1,129,793	2,256,580	1,517,861
नकद और नकदी समतुल्य यथा 1 अप्रैल	**7,268,022**	**6,138,229**	**7,693,892**	**6,176,031**
नकद और नकदी समतुल्य यथा 31 मार्च	**9,914,130**	**7,268,022**	**9,950,472**	**7,693,892**

Abridged Cash Flow Statement of Bank of India

₹ in Lakhs

Particulars	Standalone		Consolidated	
	Year ended 31.3.2016	Year ended 31.3.2015	Year ended 31.3.2016	Year ended 31.3.2015
A. Cash Flow from operating Activities	2,202,452	1,084,453	1,831,079	1,463,820
B. Cash Flow from Investing Activities	(42,713)	(84,167)	(60,869)	(75,466)
C. Cash Flow from Financing Activities	486,370	129,507	486,370	129,507
Net Increase in Cash & Cash Equivalents(A+B+C)	2,646,108	1,129,793	2,256,580	1,517,861
Cash & Cash equivalents as at April 1	**7,268,022**	**6,138,229**	**7,693,892**	**6,176,031**
Cash & Cash equivalents as at March 31	**9,914,130**	**7,268,022**	**9,950,472**	**7,693,892**

जी पद्मनाभन
G Padmanabhan
अध्यक्ष
Chairman

मेलविन रेगो
Melwyn Rego
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

बि पी शर्मा
B P Sharma
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर पी मराठे
R P Marathe
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर ए शंकर नारायणन
R A Sankara Narayanan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

जैन भूषण
Jain Bhushan
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

ऐना रॉय Anna Roy
आर सबेस्टीयन R Sebastian
हरविंदर सिंह Harvinder Singh
आर एल बिश्नोई R L Bishnoi
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं
For M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)

संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
(एम. नं. 044577) M. No. 044577

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय
For J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)

अरूण मॅगॉन Arun Magon
भागीदार Partner
(एम. नं. 093323) M. No. 093323

मेसर्स डी. सिंह. एंड कं.
For D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)

सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
(एम. नं. 098641) M. No. 098641

मेसर्स ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता
For Grover Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)

पंकज बंसल Pankaj Bansal
भागीदार Partner
(एम. क्र. 502661) M. No. 502661

मेसर्स बी रतन अँड एसोशिएटस
For B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)

बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn
भागीदार Partner
(एम. क्र. 094790) M. No. 094790

मेसर्स जी डी आपटे अँड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)

सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016

संक्षिप्त वित्तीय विवरणियों के भाग स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

1. तैयार करने का आधार:

संक्षिप्त एकल तथा समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ इंडिया (दि बैंक) के लेखापरीक्षित एकल तथा समेकित वित्तीय विवरण से तैयार किए गए हैं जो इसके बाद दिए गए लेखांकन पद्धतियों के आधार पर तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण प्रचलित विचार धारा का पालन करते हुए, परंपरागत लागत आधार पर भारत में सामान्यत: अपनाए जाने वाले लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) पर तैयार किए गए हैं, जिसमें लागू सांविधिक उपबंध, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक शर्ते भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और भारत के बैंकिंग उद्योग में विद्यमान लेखांकन पद्धति शामिल हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित विदेशों में प्रचलित सांविधिक उपबंधों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया है, सिवाय उनके जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट लागू संविधिक प्रावधान तथा विनियामक शर्तों का उस हद तक अनुपालन किया गया है जहां तक यह संयुक्त उद्यम / अनुषंगियों/ सहायक कंपनियों को समेकित करने के लिए लागू है ।

2. प्राक्कलन का प्रयोग:

वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय विवरण की तिथि को रिपोर्ट किए गये आस्ति तथा देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गये आय और व्ययों के सुविचारित अनुमानों तथा धारणों को प्रबंधन पूरा करे। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किए गये अनुमान यथोचित तथा ठीक है। तथापि प्राक्कलन से असल परिणाम में अंतर हो सकता है। लेखा प्राक्कलन में किसी संशोधन को चालू और भविष्य अवधि को ध्यान में रखकर मान्यता दी जाती है।

3. राजस्व निर्धारण:

3.1 बैंकिंग कंपनियां:

(क) सामान्यत: आय/व्यय का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में उस संबंधित देश के स्थानीय कानून के अनुसार आय निर्धारित की जाएगी।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सिवाय (ग) (अनुत्पादक आस्तियों पर ब्याज, के जिसका निर्धारण वसूली होने पर किया जाता है, समय अनुपात के आधार पर ब्याज आय का निर्धारण किया जाता है।

(ग) बैंक गारंटी और साख पत्र जारी करने पर कमीशन का उपचय बीजी/ एलसी के कार्यकाल पर होता है।

(घ) अन्य सभी कमीशन और विनिमय, ब्रोकरेज, शुल्क तथा अन्य प्रभारों के वसूली पर आय के रूप में निर्धारण किया जाता है।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF ABRIDGED FINANCIAL STATEMENTS:

1. BASIS OF PREPARATION:

The abridged Standalone and Consolidated Financial Statements have been prepared from the audited Standalone and Consolidated financial statements of the Bank of India ('the Bank') for the year ended 31st March, 2016, which are prepared based on the accounting policies hereinafter appearing.

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

In addition to above, for preparation of the consolidated financial statements applicable statutory provisions and regulatory norms prescribed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) and Companies Act, 2013 have been followed to the extent these are applicable to the Joint ventures/subsidiaries/ associates being consolidated.

2. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. REVENUE RECOGNITION:

3.1 Banking entities:

(a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income is recognised as per local laws of host country.

(b) Interest income is recognised on time proportion basis except interest on Non-performing Assets, which is recognised on realisation, in terms of the RBI guidelines.

(c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is accrued over the tenure of BG/LC.

(d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

(ङ) परिपक्वता तक धारित श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अलावा) उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त छूट पर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :

1. ब्याज देने वाली प्रतिभूतियों पर केवल बिक्री/रीडेम्पशन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।

2. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों पर निरंतर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति के शेष परिपक्वता काल पर इसका लेखांकन किया जाता है।

(च) निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत निवेशों की बिक्री में लाभ की स्थिति में करों के निवल और सांविधिक राजस्व में अंतरण के लिए आवश्यक राशि के समान राशि को 'पूंजी राजस्व खाते' में विनियोजित किया जाता है।

(छ) लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश का निर्धारण किया जाता है।

(ज) मूल्यांकन आदेश पास करने के वर्ष में आयकर- रिफंड पर ब्याज का निर्धारण किया जाता है।

(झ) एनपीए खातों से की गई वसूली का विनियोजन पहले उधारकर्ता के खाते में डेबिट किए गए अप्राप्त ब्याज/आय, किए गए व्यय/आउट ऑफ पॉकेट व्यय उसके बाद बकाया मूलधन और अंत में अप्रभारित ब्याज में विनियोजित की जाती है।

3.2 गैर-बैंकिंग कंपनी:

बीमा:

क) प्रीमियम आय:

प्रीमियम (सेवा कर का निवल) जब देय हो तब आय के रूप में पहचानी जाती है। संबद्ध कारोबार के लिए सहायक इकाइयां निर्मित की जाती हैं तब प्रीमियम की पहचान की जाती है। टॉप-अप प्रीमियमों को एकल प्रीमियम के रूप में जाना जाता है। व्यपगत पॉलिसियों को प्रीमियम आय के रूप में पहचाना जाता है, जब इस प्रकार की पॉलिसियाँ पुन:प्रारंभ हो जाती हैं।

ख) संबद्ध निधियों से आय:

संबद्ध निधियों से आय वह हैं जिसमें पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, नीति प्रशासकीय प्रभार, मृत्यु दर प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार आदि सम्मिलित हों जिसे जारी नीतियों के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और वसूली होने पर उनकी पहचान की जाती है।

ग) पुनर्बीमा प्रीमियम:

पुन: बीमाकर्ता के साथ संगत संधिपत्रों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय की पहचान के समय सत्तान्तरित पुनर्बीमा प्रीमियम का लेखाकरण होता है।

(e) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

1. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

2. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

(f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount, net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves, is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

(g) Dividend is recognised when the right to receive the dividend is established.

(h) Interest on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

(i) The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income debited to borrowers accounts, expenditure/out of pocket expenses incurred, then principal dues and lastly towards uncharged interest.

3.2 Non Banking entities:

Insurance

a) Premium Income:

Premium net of service tax is recognised as income when due. For linked business, premium is recognised when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

b) Income from linked funds:

Income from linked funds which includes policy administrative charges, mortality charges, fund management charges, etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policy and recognised when recovered.

c) Reinsurance Premium:

Reinsurance Premium ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers.

घ) प्रदत्त लाभ (दावों सहित) :

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ तथा दावा समझौता लागत, यदि कोई हो, जुड़ा है।

पॉलिसीधारक से सूचना की प्राप्ति पर मृत्यु, संशोधन तथा अभ्यर्पण दावे लेखाकृत किए जाते हैं। जब सहयोगी इकाइयां निरस्त हो जाती हैं तब संबंधित योजनाओं में पॉलिसी संबद्ध आहरण तथा सुपुर्दगी का लेखाकरण किया जाता है। देय होने पर उत्तरजीविता लाभ दावे तथा परिपक्वता दावे लेखाकृत किए जाते हैं।

जिस अवधि में दावों का निपटान किया जाता है, उसी में दावों पर पुनर्बीमा वसूलियों का लेखांकन किया जाता है।

ङ) अधिग्रहण लागत:

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो मुख्य रूप से बीमा करार के अधिग्रहण से संबंधित होती है और उनके अनुरुप अलग-अलग होती हैं तथा जिस अवधि में उपचित होती है खर्च की जाती है।

प्रथम वर्ष प्रदत्त कमीशन हेतु भविष्य में यदि कोई कर लगाकर वसूली होती है, तो जिस वर्ष में वह वसूल किया जाता है उसी वर्ष में उसका लेखांकन किया जाता है।

च) जीवन बीमा हेतु देयताएं:

प्रभावी जीवन बीमा पॉलिसियों तथा वह पॉलिसी जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है किंतु देयताएं हैं, हेतु बीमांकिक देयताओं का निर्धारण, भारतीय सनदी बीमांकिकी संस्थान के नियमों तथा आईआरडीए विनियम बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, स्वीकृत बीमांकिकी व्यवहार्य के अनुसरण में अप्राप्त बीमा आरक्षित प्रणाली समूह कारोबार के मामले में सकल प्रीमियम प्रणाली का उपयोग करते हुए नियुक्त बीमांकिकी द्वारा, किया जाता है।

संबद्ध देयताओं में पॉलिसी के निधि मूल्य दर्शाते हुए इकाई देयता और बीमा दावा इत्यादि के लिए गैर इकाई देयता शामिल है। यह नियुक्त बीमांकिकी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

गैर-बैंकिंग गतिविधीयाँ परिचालनों से राजस्व

परिचालनों से राजस्व म्युचुअल फण्ड योजना से प्रबंधन शुल्क का लेखांकन निवेश प्रबंधन करार के अनुरूप उपचय आधार पर किया जाता है और वे बीओआई एक्सा म्युचुअल फण्ड की योजनाओं द्वारा रिकॉर्ड किए अनुसार निवल आस्ति मूल्य पर आधारित होते हैं।

अन्य आय उपचय आधार पर ब्याज आय अंकित की जाती है। निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को, व्यापार की तारीख पर लाभ/हानि खाते में अंकित किया जाता है और एकल प्रतिभूति हेतु भारित औसत आधार पर उसका परिकलन किया जाता है।

d) Benefits paid (including claims):

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation from the policy holder. Withdrawal and surrender under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled.

Survival benefit claims and maturity are accounted for when due.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for in the period in which claims are settled.

e) Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

Claw back in future, if any, for the first year commission paid, is accounted for in the year in which it is recovered.

f) Liability for life policies:

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business Unearned Premium Reserve Method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA Regulations and the stipulations of the Institute of Actuaries of India.

Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims, etc. This is based on an actuarial valuation carried out by the Appointed Actuary.

Non-Banking Activities – Mutual Fund

Revenue from Operations Management fees from the scheme of mutual fund are accounted on an accrual basis in accordance with the investment management agreement and are dependent on the net asset value as recorded by the schemes of BOI AXA Mutual fund.

Other Income: Interest income is recorded on accrual basis. Profit or Loss on sale of investment is recognised in the P&L Account on the trade date and determined on weighted average basis for individual security.

4. **अग्रिम:**

(क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसरण में अग्रिम को उत्पादक और अनुत्पादक अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को आगे अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान बैंक की नीति के अनुसार विशेषकर एनपीए का त्वरित प्रावधानीकरण के अनुसार किया गया है जिसका दर निम्नानुसार है।

4. **ADVANCES:**

(a) Advances are classified into “Performing” and “Non-Performing Advances” (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

(b) NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

(c) In respect of domestic branches, Provisions in respect of NPAs is made as per policy of the bank particularly in accelerated provisioning table for NPAs which is at the rate given as under:

एनपीए वर्ग	Category of NPAs	% of net outstanding advance
अवमानक*	Sub Standard:*	
क) एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती है	a) Exposures, which are unsecured ab initio	25%
ख) अन्य	b) Others	15%
संदिग्ध :	Doubtful:	
जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	a) Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- एक वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	40%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
गैर जमानती हिस्सा	b) Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगी जो भी कड़े हों।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनुत्पादक आस्तियां, अवसूलीकृत ब्याज, इसीजीसी दावा निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाए जाते हैं।

(च) पुनर्निधारित/पुन:संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित ब्याज पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेच देने के मामले में यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त राशि को रखा जाता है और एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री में होनेवाली कमी/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है। यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से नीचे है (अर्थात् रखे गए प्रावधान से कम बकाया) तो कमी को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि अतिरिक्त राशि उपलब्ध है तो ऐसी कमी को उसमें खपाया जाएगा। 26.02.2014 को अथवा उसके बाद एनपीए की बिक्री से उत्पन्न किसी भी कमी को यदि अतिरिक्त राशि में खपाया नहीं जाता है तो उसे दो वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा।

एनपीए की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाएगा जब आस्ति का निवल बही मूल्य प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी के उस हद तक सीमित होगी।

(ज) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान किया जाता है।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक देश के एक्सपोज़र के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

* on the outstanding advance

(d) In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc. are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

(f) In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

(g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However, if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any such shortfall arising due to sale of NPA on or after 26/02/2014 will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPA’s are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

(h) Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines.

(i) Provision for net funded country exposures is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

5. **अस्थायी प्रावधान:**

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली अस्थायी प्रावधान की प्रमात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

6. **डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट:**

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान बीमांकिक आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

7. **निवेश:**

अ. सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को निपटान तिथि पर मान्यता प्रदान की जाती है और अन्य सभी निवेशों को व्यापार की तिथि पर मान्यता प्रदान की जाती है।

ब. निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित', 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री हेतु धारित' श्रेणियों में किया गया है। भारत में किए गए निवेशों के प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार छः वर्गों के तहत वर्गीकृत किया जाता है जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, शेयर, डिबेंचर और बॉंड, अनुषंगियों और सहायक कंपनियों और अन्य में निवेश। भारत के बाहर निवेशों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित), विदेश में अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम और अन्य निवेश।

(क) <u>वर्गीकरण का आधार</u>

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है।

i) **परिपक्वता पर धारित**

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

ii) **कारोबार के लिए धारित**

इसमें ऐसे निवेश है जिन्हें अल्प मीयादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जन किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इसका कारोबार किया जाता है।

iii) **बिक्री के लिए उपलब्ध**

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण 'परिपक्वता तक धारित' अथवा 'कारोबार के लिए धारित' रूप में नहीं किया है, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

5. **FLOATING PROVISION:**

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

6. **DEBIT/CREDIT CARD REWARD POINTS:**

Provision for reward points in relation to the debit card holders of the bank is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

7. **INVESTMENTS:**

A. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other Investments are recognised on trade date.

B. Investments are categorised under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure of investments in India, these are classified, in accordance with RBI guidelines, under six classification viz. Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Investment in Subsidiaries and Associates and Others. In respect of investments outside India, these are classified, in accordance with RBI guidelines, under four categories viz. Government Securities (including local authorities), Subsidiaries/Joint Ventures abroad and Other Investments.

(a) <u>Basis of categorisation</u>

Categorisation of an investment is done at the time of its acquisition.

i) **Held to Maturity**

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

ii) **Held for Trading**

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

iii) **Available for Sale**

These comprise investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

ख) निवेश का अधिग्रहण लागत

i) ईक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूतियों का संव्यवहार कर इत्यादि लागत में शामिल है।

ii) ब्रोकरेज, कमीशन, ऋण निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता।

iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

iv) निवेश की लागत भारित औसत लागत पद्धति द्वारा निर्धारित की जाती है।

ग) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में धारित निवेशों का संबंधित विदेशी देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य के कम पर अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

ट्रेज़री बिल और वाणिज्यिक कागजातों का रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

i) परिपक्वता तक धारित:

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन के निवल, यदि कोई हो, पर लिया गया है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन प्रणाली का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन आय में 'निवेश पर ब्याज' शीर्ष के तहत समायोजित की जाती है।

2. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश को परंपरागत लागत में मूल्यांकित की जाती है सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के जिन्हें रखाव लागत पर (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर प्रत्येक निवेश के लिए अलग अलग ह्रास (diminutions) के लिए प्रावधान किया जाता है।

(b) Acquisition Cost of Investment

i) Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as income/ expense and is excluded from cost/sale consideration.

iii) Brokerage and Commission received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

iv) Cost of investments is determined at weighted average cost method.

(c) Method of valuation

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

i) Held to Maturity:

1 Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period to maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

2 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर मार्किंग टू मार्केट के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

2. कारोबार के लिए धारित और बिक्री के लिए उपलब्ध प्रवर्ग में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन हेतु बाजार दर/स्टॉक एक्सचेंज भाव/भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई)/निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है:

सरकारी/प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार विश्लेषित मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू बॉड्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड निधि (बीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरिक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएबी अथवा ब्रेक अप एनएबी । यदि एनएबी / लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो रु. 1 प्रति बीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएबी पर

घ) प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण

प्रवर्गों के मध्य किसी प्रतिभूति के अंतरण का, अंतरण दिवस पर अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम है के रूप में, लेखा किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्य-ह्रास, यदि है तो पूर्ण प्रावधान किया गया है।

ङ) गैर - निष्पादक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन

1. निवेशों को निष्पादक और गैर-निष्पादक में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामक द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित है।

ii) Held for Trading / Available for Sale

1 Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

2 For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and “Available for Sale” categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	At break-up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise ₹1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital Funds (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at ₹ 1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation Companies

(d) Transfer of Securities between Categories

The transfer of securities between categories are carried out at the least of acquisition cost / book value /market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

(e) Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof

1. Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

2. गैर-निष्पादक निवेश के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

च) रेपो/रिवर्स रेपो

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक उधार और उधार लेने के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है और ऐसी प्रतिभूतियां रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग से रिफ्लेक्ट होती हैं। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन जैसा भी मामला हो ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक में शेष, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

8) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव):

वर्तमान में बैंक फॉरेक्स / अग्रिम संविदा ब्याज दर एवं करेंसी व्युत्पन्न का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर व्युत्पन्न रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, अग्रणी दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किया जा रहा मुद्रा व्युत्पन्न विकल्प, करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, व्युत्पन्न को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

(क) हैज/नॉन हैज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग से रिकार्ड किए जाते हैं।

(ख) हैज़िग व्युत्पन्न पर आय/व्यय उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

(ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार को चिन्हित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

(घ) व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार व्यूत्पन्न के अलावा ब्याज दर व्यूत्पन्न और मुद्रा व्यूत्पन्न को बाजार को चिन्हित (एमटीएम) किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो,पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

(ङ) व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार व्यूत्पन्न का विनिमय द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है।

(च) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय/व्यय के रुप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा पदनामित आस्तियाँ/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।

(छ) विकल्प संविदा के परिपक्वता काल पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

2. In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(f) Repo/Reverse Repo

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

8. DERIVATIVE:

The Bank presently deals in Forex Forward Contracts, interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

(b) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(c) Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

(d) Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

(e) Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(f) Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(g) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

9. अचल आस्तियां

(क) अचल आस्तियों को परंपरागत लागत में बताया जाता है, सिवाय पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर बताया जाता है । पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है।

(ख) लागत में खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले जगह की तैयारी, संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग किए जा रहे आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा जब ऐसे आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

(ग) परिसर की लागत में स्वयं की एवं पट्टाधारी भूमि की लागत दोनों शामिल हैं।

10 . अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास :

क. आस्तियों पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को मिलाकर) बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य पर प्रभारित किया गया है, कम्प्यूटरों को छोड़कर। कम्प्यूटरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधे रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ख. इसमें परिवर्धन का पूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया जाता है तथा इसमें आस्ति के उपयोग करने की तारीख को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि किसी आस्ति की खरीद/निपटान के वर्ष में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है।

ग. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यन आरक्षित के निमित्त समायोजित किया जाता है।

घ. जहाँ भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं की जा सकती है, संपूर्ण लागत पर मूल्यह्रास का प्रावधान, भवन पर लागू दर पर किया जाता है।

ड. पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम, पट्टे की अवधि हेतु परिशोधित की जाती है।

च. घरेलू परिचालन के संबंध में आस्तियों पर मूल्य ह्रास के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

9. FIXED ASSETS:

(a) Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which is stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

(b) Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees etc. incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

(c) Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

10. DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

a. Depreciation on assets is charged on the Written Down Value at the rates determined by the Bank, except in respect of computers where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by RBI.

b. In respect of additions, depreciation is provided for the full year, irrespective of the date on which the assets were put to use whereas, depreciation is not provided in the year of sale/disposal of an asset.

c. Depreciation on the revalued portion of assets is adjusted against the Revaluation Reserve.

d. Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

e. Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.

f. Depreciation on assets in respect of domestic operations are provided as under:

क्र. सं.	विवरण	Sr. No.	Particulars	Rate of Depreciation
1.	परिसर	1.	Premises	5.00%
2.	अन्य अचल आस्तियां	2.	Other Fixed Assets	
क	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	a.	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	10.00%
ख	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	b.	Air-conditioning plants, etc. and business machines.	15.00%
ग	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	c.	Motor cars, Vans & Motor cycles	20.00%
घ	कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग है ।	d.	Computers and Computer Software forming integral part of hardware.	33.33%
ड	कम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग नहीं है ।	e.	Computer Software, not forming integral part of hardware	100.00%

छ. भारत के बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान विनियामक की आवश्यकताओं/अथवा संबंधित देशों/उद्यम में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार किया गया है।

11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा वाले संव्यवहारों का लेखांकन, लेखामानक (एएस)11 ''विदेशी विनिमय दरों में प्रभावी परिवर्तन" के अनुरुप किया गया है।

क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण : भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

i) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है जो भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा सूचित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें फेडाई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती हैं।

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो परम्परागत लागत के अनुसार की जाती हैं उन्हें संव्यवहार की तारीख में विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट की जाती हैं।

iv) विदेशी मुद्रा में रखे गए आकस्मिक देयताओं को फेडाई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है।

v) बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi) कारोबार हेतु बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा का क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय के रूप में परिशोधित किया जाएगा।

vii) मौद्रिक मदों के निपटान में आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

viii) मुद्रा वादा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

g. Depreciation on fixed assets outside India is provided based on the estimated useful life determined by each centre.

11. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates".

a) Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the daily closing rate as available from Cogencis/Reuter's page.

ii) Foreign currency monetary items are reported using the FEDAI closing spot rates.

iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the Profit and Loss account.

ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण: विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर आंका/स्पष्ट किया जाता है।

i) आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा सूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर स्पष्ट किया जाता है।

ii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते "विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व" में संचित किया जाता है।

iii) विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

12. कर्मचारी लाभ:

i. अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की अनडिस्काउन्टेड रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि, जिनका भुगतान कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले किया जाता है, इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ii. नियोजन के पश्चात लाभ:

क. परिनिश्चित लाभ योजना

क. उपदान (ग्रेच्युटी)

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान विनियम में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो, के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होता है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जो वार्षिक रूप में एक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

12. EMPLOYEE BENEFITS:

i. Short Term Employee Benefit:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

ii. Post Employment Benefit:

A. Defined Benefit Plan

a) Gratuity

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or BOI (Employee) Gratuity Regulation, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

ख. पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियम के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है।नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10ã मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है जो वार्षिक रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

ख. परिनिश्चित अंशदान योजना:

क. भविष्य निधि

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10ã के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ख. पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में परिनिश्चित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी परिनिश्चित दर पर मासिक अंशदान करता है। ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को अंतरित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे परिनिश्चत अंशदान तक सीमित है।

iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

क . छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिनिश्चित लाभ दायित्व है, एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ख . अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

b) Pension

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of BOI (Employees) Pension regulations. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

B. Defined Contribution Plan:

a. Provident Fund

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

b. Pension

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

iii. Other Long term Employee Benefit:

a) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

b) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

ग. विदेशी शाखाओं और कार्यालयों के संबंध में, जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं हैं उनके अलावा के कर्मचारियों के लाभ को महत्व दिया जाता है और संबंधित प्रदेश में प्रचलित कानून के अनुसार परिकलित किया जाता है।

13. प्रति शेयर अर्जन :

क. एएस 20 '"अर्जन प्रति शेयर"" के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या द्वारा निवल से भाग कर गणना की जाती है।

ख. प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर गणना की जाती है।

14. आय पर कर :

क. एएस-22 ''आय पर करों के लिए लेखांकन"" के अनुरूप आयकर में वर्ष के दौरान चालू कर प्रावधान और आस्तियों या देयताओं पर आस्थगित कर में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। चालू करों का निर्धारण लेखांकन मानक 22 के प्रावधान और विदेशी कार्यालय के करों का लेखा लेते हुए भारत में लागू कर कानूनों पर किया जाता हैं जो संबंधित अधिकार क्षेत्र के कर कानूनों पर आधारित है। आस्थगित कर समायोजन में अवधि के दौरान आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन शामिल है।

ख. आय तथा व्यय की मदें जो एक समय आती है और जो परवर्ती एक या अधिक वर्षो में रिवर्सल की जा सकती है के संबंध में आस्थगित कर के लिए विवेकपूर्ण विचार करने के अध्यधीन मान्यता है।

ग. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का मापन तुलनपत्र की तिथि पर या बाद में लागू किए गए कर दरों और कर कानूनों पर किया जाता है।

घ. आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में मान्यता दी जाती है और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है जो वसूली को समुचित रूप से निश्चित माने जाने हेतु प्रबंधन की राय पर आधारित है। आस्थगित कर आस्तियों को आगे लाए गए अनावशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों पर केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह पूर्णत: निश्चित हो कि आस्थगित कर आस्तियों की भविष्य लाभ से वसूली हो सकती है।

15. आस्तियों का ह्रास

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि यदि कोई हो को एएस 28 के आस्तियों का ह्रास अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां"" के अनुसार मूल बैंक प्रावधानों को भी मान्यता देता है। जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो, यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

c) In respect of overseas branches and offices the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

13. EARNINGS PER SHARE:

a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

b) Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

14. TAXES ON INCOME:

a) Income Tax comprises the current tax provision and net change in deferred tax assets or liabilities during the year, in accordance with AS 22 "Accounting for Taxes on Income". Current taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.

b) Deferred Tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent years.

c) Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

d) Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered reasonably certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

15. IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

16. PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण की बात आ सकती है जबकि वह कभी भी वसूल नहीं हो पाती।

17. शेयर जारी करने हेतु व्यय:

जिस वर्ष में शेयर जारी की जाती है, शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण से संबंधित लेखागत नीति

1. समेकन का आधार:

1. समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्न आधार पर तैयार किए गए हैं: बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) एवं उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखागत मानक (एएस) 21 समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है और उनके साथ ऐसी मदें जैसे आस्तियां, देयताएं, आय और व्यय जोड़ दी जाती हैं और अन्तर ग्रुप संव्यवहारों, शेष राशि बिना वसूले गये लाभ/हानि को उसमें से निकाल दिया जाता है और इसके साथ-साथ ऐसे आवश्यक समायोजन भी किए जाते हैं, जो लेखागत नीति के अनुरुप उन्हें बनाने के लिए आवश्यक हों।

2. अनुषंगियों में निवेश की मूल लागत और अनुषंगियों में इक्विटी के मूल हिस्से के बीच के अंतर को साख/आरक्षित पूंजी के रुप में मान्यता दी जाती है यदि कोई साख है तो इसकी मान्यता प्राप्त होने पर तुरंत बट्टे खाते डाल दी जाती है।

3. समेकित वित्तीय विवरण पत्र में अल्पसंख्यक हित अनुषंगियों की निवल इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर के रुप में है।

4. सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 23, समेकित वित्तीय विवरणपत्रों में सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन के अनुसार इक्विटी तरीके के तहत किया गया है।

5. संयुक्त उद्यम में निवेशों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 27, संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग में विहित किए गए अनुसार समानुपात आधार पर समेकित है।

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

17. SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares.

Accounting policy relevant to consolidated financial Statement

1) BASIS OF CONSOLIDATION:

Consolidated financial statements of the group have been prepared on the basis of:

1. The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 “Consolidated Financial Statements” issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments wherever required to conform to uniform accounting policies except in case of overseas subsidiaries/associates, where, the financial statements are prepared based on local regulatory requirement/International Financial Reporting Standards (IFRS). Impact of such adjustments not being material is not given in consolidated financial statements. The financial statements of the subsidiaries are drawn upto the same reporting date as that of Parent Bank i.e. 31st March, 2016.

2. The difference between cost to the parent bank of its investment in the subsidiaries and Parent bank’s share in the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/ capital reserve. Goodwill, if any, is written off immediately on its recognition.

3. Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.

4. Accounting for Investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements”, issued by ICAI.

5. Accounting for Investments in Joint Venture are consolidated on “Proportionate basis” as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, “Financial Reporting of Interests in Joint Ventures” issued by ICAI.

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे ₹ करोड़ों में हैं
कोष्टक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं

संक्षिप्त वित्तीय विवरणियों के भाग स्वरूप टिप्पणियां

1. संक्षिप्त वित्तीय विवरण में बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यक सभी प्रकटन शामिल नहीं हैं। अत: संक्षिप्त वित्तीय विवरण बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण का एवजी नहीं है।

2. बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी राय परिवर्तित किए बिना वित्तीय विवरण के निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित किया है:

   ए. स्टैण्ड अलोन वित्तीय विवरणों का नोट नं.4 और अनुसूची 18 के समेकित वित्तीय विवरणों का नोट नं. 9 जिसमें निम्नानसार कहा गया है :-

   वर्ष के दौरान मूल बैंक ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है और संदिग्ध (प्रतिभूतीकृत अंश) - के रूप में वर्गीकृत एनपीए के संबंध में - एक वर्ष से तीन वर्ष, निवल अतिदेय अग्रिम का प्रावधानीकरण 60% (त्वरित प्रावधान) से 40% (न्यूनतम प्रावधान) किया है जो नियामक न्यूनतम है । यदि पहले की लेखांकन नीति का प्रयोग किया होता,तो वर्ष के लिए एनपीए हेतु प्रावधान ₹ 2835.68 करोड अधिक होता और परिणाम स्वरूप वर्ष के लिए निवल हानि (कर का निवल) ₹ 1854.31 करोड अधिक हुई है ।

   बी. अनुसूची 18 के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण का नोट सं.9(बी) और समेकित वित्तीय विवरण का नोट सं.12(ए) जो निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

   भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्रसं. डीबीआर : बीपी:17252:21:04:048:2014-15 दिनांक 13 मई, 2015 के अनुसारण में बैंक द्वारा एआरसी को 26 फरवरी, 2014 और 31 मार्च, 2015 के बीच बिक्री की गई वित्तीय आस्तियोंसे आने वाली कमी का जिस तिमाही में आस्ति बेची गई उससे लेकर 8 तिमाहियों की अवधि के दौरान परिशोधन किया जाएगा । तदनुसार बैंक ने वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में ₹ 369.49 करोड़ प्रभारित किया है और ₹ 214.24 करोड़ की शेष राशि का भविष्य अवधि के लाभ और हानि खाते में प्रभारित करने के लिए आगे ले जाया गया है ।

   सी अनुसूची 18 के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण का नोट सं.9(सी) और समेकित वित्तीय विवरण का नोट सं.12(बी) जो निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

   भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं.डीबीआर:सं. बीपी.13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में, बैंक ने पंजाब सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए खद्य ऋण के तहत मौजूदा अतिदेय ₹ 2206.11 यथा 31.03.2016 के 7.5 % के रूप में ₹ 165.40 की राशि प्रदान की है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्देशित, उस तिथिको अतिदेय राशि पर 7.5% का अतिरिक्त प्रावधान जून, 2016 में किया जाएगा ।

   डी अनुसूची 18 के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण का नोट सं.9(एफ) और समेकित वित्तीय विवरण का नोट सं.12(सी) जो निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

   बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 के अनुच्छेद 35 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के अनुसार बैंक ने कुछ अग्रिमों के संबंध में पुन: वर्गीकरण किया है/ अतिरिक्त प्रावधान किया है।

All figures are in ₹ Crores unless specifically stated
Figures in brackets relate to previous year

NOTES FORMING PART OF ABRIDGED FINANCIAL STATEMENTS

1. The abridged financial statements do not contain all the disclosures required by the Accounting Standards applied in the preparation of the audited financial statements of the Bank. The abridged financial statements, therefore, is not a substitute of the audited financial statements of the Bank.

2. The Statutory Auditors of the Bank, without modifying their opinion have drawn attention to the following notes to the Financial Statements:

   a. Note No. 4 of the Standalone Financial Statements and Note No. 9 of consolidated Financial Statements of Schedule 18 which reads as under:

   During the year, the Bank has changed its accounting policy of provisioning in respect of NPAs classified as doubtful category (Secured Portion) - one year to three year, from 60% (accelerated provision) to 40% (minimum provision) of net outstanding advances which is the regulatory minimum. Had the earlier accounting policy been followed, the provision for NPAs would have been higher by ₹ 2835.68, with consequential increase in Net Loss for the year (net of tax) by ₹ 1854.31 for the year.

   b. Note No. 9(b) of the Standalone Financial Statements and Note No. 12(a) of consolidated Financial Statements of Schedule 18 which reads as under:

   Pursuant to Reserve Bank of India Letter No. DBR:BP:17252:21.04.048:2014-15 dated 13th May, 2015, the bank has amortized the shortfall arising out of sale of financial assets to ARCs, sold between 26th February, 2014 and 31st March, 2015, over a period of 8 quarters from the quarter in which the asset was sold. Consequently, the bank has charged ₹ 369.49 to Profit & Loss Account for the year and the balance amount of ₹ 214.24 is being carried forward to be charged to Profit & Loss Account of future periods.

   c. Note No. 9(c) of the Standalone Financial Statements and Note No. 12(b) of consolidated Financial Statements of Schedule 18 which reads as under:

   In compliance to the RBI Letter No. DBR. No.BP.13018/21.04.048/2015-16 dated 12th April, 2016, the Bank has provided a sum of ₹ 165.46 being 7.5% of existing outstanding of ₹ 2206.11 as on 31.03.2016 under food credit availed by Government of Punjab. Additional provision of 7.5% shall be made in June 2016 on the amount outstanding as on that date, as directed by the RBI.

   d. Note No. 9(f) of the Standalone Financial Statements and Note No. 12(c) of consolidated Financial Statements of Schedule 18 which reads as under:

   Pursuant to the Asset Quality Review (AQR) conducted by the RBI under section 35 of the Banking Regulations Act, 1949, the Bank has reclassified/made additional provisions in respect of certain advances.

ई अनुसूची 18 के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण का नोट सं.9(एच) तथा 9 (आई) और समेकित वित्तीय विवरण का नोट सं.12(ई), 12(एफ) और 12(जी) जो निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

वर्ष के दौरान बैंक ने अपने कर परामर्शदाता की विशेषज्ञ सलाह के आधार पर अपने लंबित आयकर मूल्यांकनों की सुक्ष्मता से समीक्षा की और विभिन्न मामलों, जिसमें अशोध्य और संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, बट्टे खाते लिखे गए अशोध्य ऋण, विदेशी शाखाओं के लाभ का व्यवहार और आयकर अधिनियम, 1961के यू/एस 14 ए का अस्वीकार शामिल है, पर पिछले वित्तीय वर्षों के लिए मौजूदा कर देयता के लिए प्रावधान पुन: निर्धारित किए हैं, परिणामत: पूर्व के वर्षों की मौजूदा कर देयता के प्रति ₹308.63 का अतिरिक्त प्रावधान हुआ है। ऐसी समीक्षा के परिणाम स्वरूप परोक्ष यथार्थता की जांच की आवश्यकता होते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आगे लाई गई हानि / अनावशोषित मूल्यहास की बैंक को अपेक्षा नहीं है।

उपरोक्त सूक्ष्म समीक्षा के आधार पर, बैंक ने भविष्य की करयोग्य आय का अनुमान लगाया है जिसके निमित्त अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों के कारण पाए गए समय भेद का संज्ञान हो सके और तदनुसार बैंक ने, जिसके निमित्त ऐसी आस्थगित कर आस्तियों का संज्ञान लिया जा सके, ऐसी भविष्य की कर योग्य आय की उपलब्धता की उचित सुनिश्चितता के आधार पर ऐसे समय-भेद पर ₹ 3172.65 की आस्थगित कर आस्तियों को संज्ञान में लिया है।

एफ. अनुसूची 18 के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण का नोट सं.9(जे) और समेकित वित्तीय विवरण का नोट सं.12(एच) जो निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

बैंक ने मार्च-2015 से कतिपय एनपीए के संबंध में ₹ 709.31 और कतिपय एनपीए की बिक्री पर ₹ 403.21 की हानि के प्रावधान को आस्थगित किया है, जिनका जून, 2015 से 3 तिमाहियों की अवधि के लिए परिशोधन किया जाना है। तदनुसार, वर्ष के दौरान ₹ 709.31 का परिशोधन किया गया और ₹ 403.21 का ऐसे एनपीए की विक्री पर हानि के रूप में संज्ञान लिया गया है।

जी अनुसूची 18 के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण का नोट सं.9(के) और समेकित वित्तीय विवरण का नोट सं.12(आय) जो निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय की उदय योजना (उदय उज्जवल डिस्कॉम एश्योरन्स योजना) के अनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान ऊर्जा संवितरक कंपनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय टर्नअराउंड के लिए बैंक ने राजस्थान सरकार, हरयाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के क्रमश: ₹2198.72, ₹881.78 और ₹457.15 राशि के गैर एसएलआर, एसडीएल बांड्स सब्स्क्राइब किए हैं । आरबीआई के अनुदेशों का पालन करते हुए, बैंक ने निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:

i. ₹727.60 के 15% के रूप मे 31 मार्च, 2017तक ऋण /बांड के संबंध में ₹109.14 को राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में परिवर्तित करने पर विचार नहीं किया गया है।

ii. ऋण/बांडस के उचित मूल्य में ह्रास के पक्ष में ₹ 24.11।

e. Note No. 9(h) and 9(i) of the Standalone Financial Statements and Note No. 12(e), 12(f) and 12(g) of consolidated Financial Statements of Schedule 18 which reads as under:

During the year, the Bank has undertaken a thorough review of its pending income tax assessments based on the expert advice of Bank's Tax Consultant and has re-worked provision for Current Tax liability for the past financial years on various issues which inter-alia includes provision for Bad & Doubtful Debts, Bad Debts written off, treatment of profit of foreign branches and disallowance u/s 14A of the Income Tax Act, 1961, which has resulted into additional provision of ₹ 308.63 towards current tax liability of earlier years. Consequent to such review, the bank does not expect to have any carry forward losses/unabsorbed depreciation as per Income Tax Act, 1961, requiring testing of virtual certainty.

Based on the thorough review as mentioned in above, the Bank has estimated future taxable income against which timing difference arising on account of provisions for Bad & Doubtful Debts can be realised and accordingly during the year, the Bank has recognised deferred tax assets of ₹ 3172.65 on such timing difference based on reasonable certainty of availability of future taxable income against which such deferred tax assets can be realised.

f. Note No. 9(j) of the Standalone Financial Statements and Note No. 12(h) of consolidated Financial Statements of Schedule 18 which reads as under:

The Bank had deferred provision of ₹ 709.31 in respect of certain NPAs and loss of ₹ 403.21 on sale of certain NPAs from March 2015, to be amortized over a period of 3 quarters commencing from June 2015. Accordingly, during the year ₹ 709.31 was amortised towards such NPAs and ₹ 403.21 has been recognised as loss on sale of such NPAs.

g. Note No. 9(k) of the Standalone Financial Statements and Note No. 12(i) of consolidated Financial Statements of Schedule 18 which reads as under:

In accordance with UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojana) Scheme of Government of India, Ministry of Power for operational and financial turnaround of Power Distribution Companies (DISCOM) during FY 2015-16, the bank has subscribed to Non-SLR SDL Bonds of Government of Rajasthan (GOR), Government of Haryana (GOH) and Government of Uttar Pradesh (GoUP) amounting to ₹ 2198.72, ₹ 881.78 and ₹ 452.15 respectively. Pursuant to the RBI instructions, the bank has made following provisions:

i. ₹ 109.14 in respect of loans/bonds not envisaged to be converted into State Development Loans (SDLs) by 31st March 2017 being 15% of ₹ 727.60.

ii ₹ 24.11 towards diminution in the fair value of loans/ bonds.

3. निम्नलिखित जानकारी का भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन किया गया है:

3.1. पूंजी:

3. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

3.1. Capital:

Sr. No.	विवरण	Particulars	Standalone		Consolidated	
			31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
i)	सामान्य इक्विटी टियर १ पूंजी अनुपात (CET1) (%)	**Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%)**				
	बासेल-II	Basel-II	NA	NA	NA	NA
	बासेल -III	Basel-III	7.97%	7.18%	8.34%	7.59%
ii)	**टियर १ पूंजी अनुपात (%)**	**Tier I Capital ratio (%)**				
	बासेल-II	Basel-II	7.57%	8.23%	8.06%	8.71%
	बासेल -III	Basel-III	9.03%	8.17%	9.41%	8.63%
iii)	**टियर II पूंजी अनुपात (%)**	**Tier II Capital ratio (%)**				
	बासेल-II	Basel-II	4.48%	3.19%	4.51%	3.24%
	बासेल -III	Basel-III	2.98%	2.56%	2.96%	2.59%
iv)	**कुल पूंजी अनुपात (CRAR) (%)**	**Total Capital ratio (CRAR) (%)**				
	बासेल-II	Basel-II	12.05%	11.42%	12.57%	11.95%
	बासेल -III	Basel-III	12.01%	10.73%	12.37%	11.22%
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India	68.01%	64.43%	68.01%	64.43%
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्त इक्विटी पूंजी राशि	Amount of Equity Capital Raised during the year	2759.12	642.00	2759.12	642.00
vii)	शेयर आवेदन राशी आंबटन हेतू लम्बित	Share application money pending for allotment*	1303.65	0.00	1303.65	0.00
viii)	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में प्राप्त राशि (IPDI)	Amount of Additional Tier 1 capital raised during the year i.e. IPDI	0.00	2500.00	0.00	2500.00
ix)	वर्ष के दौरान प्राप्त टियर-II राशि अर्थात डेट कैपिटल इंस्ट्रुमेंट	Amount of Tier-II capital raised i.e. Debt Capital Instruments, during the year	3000.00	0.00	3000.00	0.00

आरबीआई के पत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.12254/21.01.002/2015-16 दिनांक 30.03.2016 और आरबीआई के पत्र सं. डीबीआर. नं. बीपी. 12711/21.01.002/2015-16 दिनांक 06.04.2016 के अनुसार सीआरएआर उद्देश्य के लिए यह राशि सीईटी-1 पूंजी मानी जाएगी।

* The amount is treated as CET 1 Capital for CRAR purpose as per RBI letter No. DBR.No. BP.12254/21.01.002/2015-16 dated 30.03.2016 and RBI letter No. DBR.No.BP.12711/21.01.002/2015-16 dated 06.04.2016.

टियर I पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया नवोन्मेष सतत ऋण लिखत(आईपीडीआई) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना
2006-07	आईपीडीआई	566.19 (यूएसडी 85 मिलियन)	339.71
2007-08	आईपीडीआई	655.00	393.00
2008-09	आईपीडीआई	400.00	240.00
2009-10	आईपीडीआई	325.00	195.00
2010-11	आईपीडीआई	300.00	180.00
2014-15	एटी-1	2500.00	2500.00

Details of outstanding Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)/AT-1 raised to augment Tier I capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2006-07	IPDI	566.19 (USD 85 Million)	339.71
2007-08	IPDI	655.00	393.00
2008-09	IPDI	400.00	240.00
2009-10	IPDI	325.00	195.00
2010-11	IPDI	300.00	180.00
2014-15	AT-1	2500.00	2500.00

टियर II पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया टियर छ लिखतों के ब्यौरे निम्नानसार:

वर्ष स्वरूप में	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना
2005-06	लोअर टियर II	200.00	0.00
2006-07	अपर टियर II	1,597.09 (यूएसडी 240 मिलीयन)	958.25
2006-07	अपर टियर II	732.00	439.20
2008-09	अपर टियर II	500.00	300.00
2009-10	अपर टियर II	2000.00	1200.00
2010-11	अपर टियर II	1000.00	600.00
2013-14	अपर टियर II	1500.00	1500.00
2015-16	अपर टियर II	3000.00	3000.00

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर. सं.बीपी. 13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2016 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती और आस्थगित कर पर विचार किया है। तद्नुसार, मौजूदा वर्ष के आंकडे/अनुपात की इस संबंध में पिछले वर्ष के आंकडों के साथ तुलना नहीं की जा सकती।

बी. वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी अचल आस्तियों को भागरूप समस्त परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया। ऐसे पुनर्मूल्यांकन से पैदा हुए अधिशेष ₹ 2901 को आरक्षिती एवं अधिशेष 9 के तहत पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती 9 में क्रेडिट किया गया । भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती को सीईटी-1 पूंजी हेतु माना गया है।

3.2 निवेश

क्र. सं.			विवरण	यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
1			निवेश का मूल्य		
	i)		निवेशों का सकल मूल्य	120308.41	120860.46
		क)	भारत में	114475.50	115354.25
		ख)	भारत के बाहर	5832.91	5506.21
	ii)		मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	1459.50	1068.41
		क)	भारत में	864.74	482.52
		ख)	भारत के बाहर	594.76	585.89
	iii)		संक्रामण	118848.91	119792.05
		क)	भारत में	113610.76	114871.73
		ख	भारत के बाहर	5238.15	4920.32
2			निवेश पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों की स्थिति		
	i)		प्रारंभिक शेष	1068.41	1095.30
	ii)		जोडें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	350.73	-

Details of outstanding Tier II Instruments raised to augment Tier II capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2005-06	Lower Tier II	200.00	0.00
2006-07	Upper Tier II	1,597.09 (USD 240 Million)	958.25
2006-07	Upper Tier II	732.00	439.20
2008-09	Upper Tier II	500.00	300.00
2009-10	Upper Tier II	2000.00	1200.00
2010-11	Upper Tier II	1000.00	600.00
2013-14	Upper Tier II	1500.00	1500.00
2015-16	Upper Tier II	3000.00	3000.00

a. Pursuant to RBI circular No. DBR. NO.BP.13018/21.04.048/2015-16 dated 1st March 2016, the bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratio as on 31st March 2016. As such, figures/ratios of current year are not comparable with the figures of previous year to that extent.

b. During the year, bank has revalued all premises forming part of its fixed assets. Surplus arising on such revaluation aggregating to ₹ 2901 is credited to 'Revaluation Reserves', under 'Reserves & Surplus'. The Revaluation Reserve has been reckoned for CET I capital as per extant RBI guidelines.

3.2. Investments

Sr. No.			Particulars	As at 31.03.2016	As at 31.03.2015
1			Value of Investments		
	i)		Gross Value of Investments	120308.41	120860.46
		a)	In India	114475.50	115354.25
		b)	Outside India	5832.91	5506.21
	ii)		Provisions for Depreciation	1459.50	1068.41
		a)	In India	864.74	482.52
		b)	Outside India	594.76	585.89
	iii)		Net Value of Investments	118848.91	119792.05
		a)	In India	113610.76	114871.73
		b)	Outside India	5238.15	4920.32
2			Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	i)		Opening balance	1068.41	1095.30
	ii)		Add: Provisions made during the year	350.73	-

क्र. सं.		विवरण	यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
	iii)	घटाएं : बट्टेखाते डालना/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक	-	50.40
	iv)	अंतिम शेष	40.36	23.51
	v)	जमा शेष	1459.50	1068.41

Sr. No.		Particulars	As at 31.03.2016	As at 31.03.2015
	iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	-	50.40
	iv)	Add/(Less): Adjustments on account of exchange difference	40.36	23.51
	v)	Closing balance	1459.50	1068.41

₹15,064.56 (पिछले वर्ष ₹ 22509.11) राशि की सरकारी प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य) को मार्जिन/प्रतिभूति निपटान के पक्षमें आरबीआई, सीसीआइएल, समाशोधन गृह और विनिमयों के पास मार्जिन के रूप में रखा गया है।

Government Securities (Face Value) amounting to ₹ 15,064.56 (previous year ₹ 22509.11) are kept as margin with RBI, CCIL, Clearing Houses and Exchanges towards margins/security settlement.

3.2.1 वर्ष के दौरान किए गए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य पर):

3.2.1 Repo Transactions (in face value terms) undertaken during the year:

विवरण	Particulars	वर्ष को दौरान अधिकतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Maximum outstanding during the year	बकाया यथा ३१ मार्च, २०१६ Daily Average outstanding during the year	बकाया यथा ३१ मार्च, २०१६ Outstanding as on March 31, 2016
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	0.00 (0.00)	10723.27 (4731.66)	1100.79 (800.93)	9755.00 (3131.67)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	35.16 (140.40)	0.10 (0.38)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	0.00 (0.00)	9015.00 (4000.00)	1439.19 (241.77)	6000.00 (0.00)
ii)) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

इसमें भरतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) अंतर्गत किए गए सौदे शामिल है (मार्जिन को छोड़कर).

The above include transactions undertaken under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI (net of margin).

3.2.2. गैर-एसएलआर:

3.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

क्र.सं. Sr. No.	जारीकर्ता	Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आबंटन Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूति आबंटन Extent of 'Below Investment Grade' Securities*	अश्रेणीकृत प्रतिभूति आबंटन Extent of 'Unrated' Securities*	असूचीबद्ध आबंटन Extent of 'Un-listed' Securities*
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम	PSUs	2,030.58 (2,946.87)	1,519.68 (1,890.74)	0.00 (0.00)	1202.60 (0.00)	0.00 (0.00)
ii.	वित्तीय संस्थाएं	FIs	1,819.01 (2,364.98)	1,794.01 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (144.90)	261.60 (144.90)
iii.	बैंक	Banks	736.94 (1,035.92)	405.01 (100.00)	17.32 (0.00)	7.32 (0.00)	165.64 (156.25)
iv.	निजी कॉर्पोरेट	Private Corporates	2,371.22 (2,726.07)	1,923.90 (1,986.27)	945.20 (621.01)	166.37 (133.67)	142.42 (83.57)

क्र.सं. Sr. No.	जारीकर्ता	Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आबंटन Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूति आबंटन Extent of 'Below Investment Grade' Securities*	अश्रेणीकृत प्रतिभूति आबंटन Extent of 'Unrated' Securities*	असूचीबद्ध आबंटन Extent of 'Un-listed' Securities*
v.	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	Subsidiaries/ Joint Ventures**	1204.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			(1,034.60)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
vi.	अन्य	Others	8,379.15	4,651.56	106.86	261.80	125.10
			(5,419.02)	(4,160.01)	(0.00)	(142.92)	(19.38)
	उप-जोड	**Sub-total**	**16,541.10**	**10,294.16**	**1,069.38**	**1,638.09**	**694.76**
			(15,527.46)	**(8,137.02)**	**(621.01)**	**(421.49)**	**(404.10)**
vii.	घटाएं: मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान	Less: Provision held towards Depreciation	1457.77	0.00	0.00	0.00	0.00
			(1,054.79)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	कुल	**Total**	**15,083.33**	**10,294.16**	**1,069.38**	**1,638.09**	**694.76**
			(14,472.67)	**(8,137.02)**	**(621.01)**	**(421.49)**	**(404.10)**

* इक्विटी में निवेश, इक्विटी अभिविन्यस्त म्युचुअल फंड, जोखिम पूंजी, वर्गीकृत आस्ति समचित प्रतिभूति, केंद्र सरकारकी प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूति रसीद, इत्यादि को इन श्रेणियों के तहत भिन्न नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें वर्गीकरण/सूचीकरणदिशानिर्देशों से छूट दी गई है।

* अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहायकों में निवेश को विभिन्न श्रेणियों में पृथक नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों के तहत कवर नहीं किया गया है।

i. अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

विवरण	2015-16	2014-15
प्रारंभिक शेष	974.63	810.21
वर्ष के दौरान परिवर्धन	118.48	239.36
वर्ष के दौरान कटौतियां	366.76	74.94
इतिशेष	33.50	0.00
धारित कुल प्रावधान	759.85	974.63
धारित कुल प्रावधान	648.91	717.50

* विनिमय अंतर शामिल

3.2.3. बिक्री तथा एचटीएम श्रेणी को/से हस्तांतरण:

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष के प्रारंभ मे एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के बहि मूल्य के 5% से अधिक मूल्य	शून्य	शून्य

* Investment in Equity, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets Backed Securities, Central Govt. Securities, Security Receipts, etc. are not segregated under these categories as these are exempt from rating/listing guidelines.

** Investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI guidelines.

i. Non-performing Non-SLR Investments

Particulars	2015-16	2014-15
Opening balance	974.63	810.21
Additions during the year	118.48	239.36
Reductions during the year	366.76	74.94
Add/(Less): Exchange difference	33.50	0.00
Closing balance *	759.85	974.63
Total provisions held	648.91	717.50

* Including Exchange Difference

3.2.3. Sale and transfers of securities to/from HTM Category:

Particulars	2015-16	2014-15
Value in excess of 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year	Nil	Nil

3.3 डेरिवेटिव

3.3.1 वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	15778.39	17788.62
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	632.71	552.01
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक प्रतिभूति	स्वैप के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की जरत नहीं है क्योंकि काउन्टर पार्टी या तो बैंक अथवा प्रीमियर कार्पोरेट है.	
iv)	स्वैप से आए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।	
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	14.00	557.02

3.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखित वार)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	यथा 31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेविरेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखित वार)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि और जो उच्च प्रभावी नहीं हो (लिखित वार)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो उच्च प्रभावी नहीं हो (लिखित वार)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

3.3.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन

i. **गुणात्मक प्रकटन**

बैंक तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली और मुद्रा तथा परस्पर लेन देन की मुद्रा का विकल्प या व्यापार के उद्देश्य हेतु ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा ऐसे संव्यवहारों से आय बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं की निरंतर आधार पर अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख

3.3. Derivatives

3.3.1 Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2016	As at 31.03.2015
i)	The notional principal of swap agreements	15778.39	17788.62
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	632.71	552.01
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	No collaterals were required for the swaps as counterparties were either banks or premier Corporate.	
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year.	
v)	The fair value of the swap book	14.00	557.02

3.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2016	As at 31.03.2015
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument-wise)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument-wise)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

3.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

i. Qualitative Disclosure

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate derivatives, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk, etc.

Risk management is an integral part of bank’s business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an on-going basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control

नियंत्रण सीमाएं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। डेरिवेटिव परिचालन में व्यापार क्रिया कलापों के ऋण जोखिमों की पर्याप्त जानकारी है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अध्यक्षता में बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है।

हैज/नान-हैज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को भिन्न रूप से रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग व्यूत्पन्नी पर आय/खर्च को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

फोरेक्स फोरवर्ड संविदाओं को बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामत: लाभ और हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार व्यूत्पन् के अलावा ब्याज दर व्यूत्पन्न और मुद्रा व्यूत्पन्न को बाजार को चिन्हित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई, को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है। निवल लाभ, यदि कोई, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार व्युत्पन्न का विनिमय द्वारा दिए गए दर के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है ।

व्यापार स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/खर्च के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैन की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा पदनामित आस्तियों/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।

विकल्प संविदा के परिपक्वता काल पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है ।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न पहलूओं पर स्पष्ट डेरिवेटिव दिशा-निर्देश है। डेरिवेटिव लेन देन समवर्ती आंतरिक, सांविधिक और नियामक लेखा परीक्षा के शर्तों के अध्यधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कार्पोरेट्स ईकाइयां हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय डेरिवेटिव लेन-देनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारत वर्तमान ऋण जोखिम विधि अपनाई है। वर्तमान ऋण जोखिम विधि में वर्तमान ऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम का जोड़ है।

वर्तमान ऋण एक्सपोज़र इन संविदाओं के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कतिपत मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वप का गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Managing Director & CEO.

The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately. Income/expenditure on hedging derivatives is accounted on accrual basis.

Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

Interest rate derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit, if any, is ignored.

Exchange traded derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit & Loss account.

Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board of Director. The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instrument.

अवशिष्ट परिपक्वता	कुल अनुमानित मूल राशि पर लागू परिवर्तनकारक तत्व	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष या उससे कम	0.50%	2.00%
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	1.00%	10.00%
पाँच वर्ष से अधिक	3.00%	15.00%

ऋण जोखिम की गणना करते समय "बिक्रीगत विकल्पो" को वहाँ छोड दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम / शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त / वसूली होती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार के अनुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर ऋण जोखिम की गणना की जाती है। इस पर "मानक" श्रेणी के ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान जरतें भी लागू है। वर्तमान में जोखिमवाली आस्तियों पर 0.4% प्रावधान किया जाना है। हमारे खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

Residual Maturity	Conversion factor applied on Notional Principal Amount	
	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.50%	2.00%
Over one year to five years	1.00%	10.00%
Over five years	3.00%	15.00%

While computing the credit exposure, "sold options" are excluded wherever the entire premium/fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the "Standard" category, of the concerned counterparty. At present the provision is to be maintained at 0.4% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

ii. Quantitative Disclosures

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives		ब्याजदर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	
1	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	क) हेजिंग हेतु	a) For hedging	19080.22		14553.39	
			(18627.06)		(17588.61)	
	ख) कारोबार हेतु	b) For trading	3138.34		1225.00	
			(2094.09)		(200.00)	
2	ब्याज दर पर स्थितियां	Marked to Market Positions [1]				
	क) आस्ति (+)	a) Asset (+)	235.58		636.76	
			(123.19)		(720.77)	
	ख) देकाता (-)	b) Liability (-)	26.17		73.25	
			(196.10)		(186.98)	
3	क्रेडिट एक्सपोजर [2]	Credit Exposure [2]	911.59		716.72	
			(555.31)		(275.28)	
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से होने वाला संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	a) On hedging derivatives	2.48		0.05	
			(2.37)		(45.81)	
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	b) On trading derivatives	0.00		28.80	
			(0.02)		(0.75)	
5	वर्ष के दौरान देखी गई 100*पीवी01 की अधिकतम एवं न्यूनतम	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year	**Max.**	**Min.**	**Max.**	**Min.**
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	a) On hedging	2.26	2.48	45.85	28.80
			(2.43)	(1.81)	(79.34)	(45.81)
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	b) On trading	0.44	1.43	0.05	0.00
			(0.02)	(0.01)	(0.92)	(0.75)

3.4 आस्ति गुणवत्ता

(अ) अनर्जक आस्तियां

विवरण	2015-16	2014-15
(i) निवल अग्रिमों में से निवल एनपीए (%)	7.79%	3.36%
(ii) एनपीए (सकल) का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	22193.24	11868.60
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	38606.23	16651.47
ग) वर्ष के दौरान कमी	10920.34	6326.83
घ) अंतिम शेष	49879.13	22193.24
(iii) निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	13517.57	7417.23
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	20371.62	10186.17
ग) वर्ष के दौरान कमी	5892.79	4085.83
घ) अंतिम शेष	27996.40	13517.57
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
क) आरंभिक शेष	7434.31	3564.31
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	16346.05	6327.37
ग) बट्टे खाते में/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैंक	3786.18	2457.37
घ) अंतिम शेष	19994.18	7434.31

(ख) अनर्जक आस्तियां

विवरण	2015-16	2014-15
(i) निवल निवेश पर निवल एनपीआई (%)	0.09%	0.21%
(ii) एनपीआई (सकल) का प्रवाह		
क) आरंभिक शेष	974.63	810.21
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	118.48	239.36
ग) वर्ष के दौरान कमी	333.26	74.94
घ) अंतिम शेष	759.85	974.63
(iii) निवल एनपीआई का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	257.13	262.28
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	56.18	30.13
ग) वर्ष के दौरान कमी	202.37	35.28
घ) अंतिम शेष	110.94	257.13
(iv) एनपीआई के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
क) आरंभिक शेष	717.50	547.93
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	62.30	209.23
ग) अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैंक/बट्टे खाते में	130.89	39.66
घ) अंतिम शेष	648.91	717.50

3.4. Asset Quality

(a) Non performing Advances

Particulars	2015-16	2014-15
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	7.79%	3.36%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening balance	22193.24	11868.60
b) Additions during the year	38606.23	16651.47
c) Reductions during the year	10920.34	6326.83
d) Closing balance	49879.13	22193.24
(iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening balance	13517.57	7417.23
b) Additions during the year	20371.62	10186.17
c) Reductions during the year	5892.79	4085.83
d) Closing balance	27996.40	13517.57
(iv) Movement of provision for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
a) Opening balance	7434.31	3564.31
b) Provisions made during the year	16346.05	6327.37
c) Write-off/write-back of excess provisions	3786.18	2457.37
d) Closing balance	19994.18	7434.31

(b) Non performing Investments

Particulars	2015-16	2014-15
(i) Net NPIs to Net Investment (%)	0.09%	0.21%
(ii) Movement of NPIs (Gross)		
a) Opening balance	974.63	810.21
b) Additions during the year	118.48	239.36
c) Reductions during the year	333.26	74.94
d) Closing balance	759.85	974.63
(iii) Movement of Net NPIs		
a) Opening balance	257.13	262.28
b) Additions during the year	56.18	30.13
c) Reductions during the year	202.37	35.28
d) Closing balance	110.94	257.13
(iv) Movement of provision for NPIs		
a) Opening balance	717.50	547.93
b) Provisions made during the year	62.30	209.23
c) Write-off/write-back of excess provisions	130.89	39.66
d) Closing balance	648.91	717.50

(क) पुनर्गठित खातों का विवरण (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित और लेखा परिक्षकों द्वारा आश्रित)

(a) **Particulars of Accounts Restructured** (As compiled by the management and relied upon by the Auditors)

3.4.2 2015-16 के दौरान पुनर्गठित किए जाने के अध्यधीन ऋण आस्तियों का ब्यौरा

3.4.2 Details of Loan assets subjected to restructuring during 2015-16

अनु. क्र. Sr. No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एमएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					अन्य Others					कुल Total				
	आस्तियों का विवरण Assets Classification		वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global				
	ब्यौरे Details		मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्तीय वर्ष के यथा 1 अप्रैल को पुनर्गठीत वाले (प्रारंभिक आंकडे) Restructured Account As on April 1 of FY (Opening Figure)	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	29 (42)	17 (16)	16 (1)	0 (0)	62 (59)	102 (127)	37 (22)	37 (8)	1 (1)	177 (158)	31847 (28689)	6147 (1225)	509 (396)	7 (1)	38510 (30311)	31978 (28858)	6201 (1263)	562 (405)	8 (2)	38749 (30528)
		बकाया राशि Amount Outstanding	4125.32 (4810.86)	1423.17 (1377.97)	2018.47 (632.08)	0.00 (0.0)	7566.96 (6820.91)	757.93 (816.16)	325.08 (191.11)	343.32 (51.96)	1.72 (1.72)	1428.05 (1060.95)	12352.48 (7930.45)	1838.39 (750.97)	2423.41 (390.97)	223.01 (190.69)	16837.29 (9263.09)	17235.74 (13557.48)	3586.64 (2320.05)	4785.19 (1075.01)	224.73 (192.41)	25832.30 (17144.95)
		उसपर प्रावधान Provision thereon	343.16 (424.23)	59.93 (108.84)	95.23 (1.96)	0.00 (0.0)	498.32 (535.03)	23.64 (16.16)	2.93 (6.61)	11.18 (3.68)	0.00 (0.0)	37.75 (26.45)	624.48 (436.56)	67.33 (25.19)	90.07 (15.60)	6.97 (0.0)	788.86 (477.35)	991.29 (876.95)	130.19 (140.64)	196.48 (21.24)	6.97 (0.0)	1324.93 (1038.83)
2	वर्ष के दौरान ताजा पुर्नगठित Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	3 (10)	0 (5)	7 (9)	0 (0)	10 (24)	5 (43)	1 (8)	1 (1)	0 (0)	7 (52)	16887 (17006)	69 (204)	47 (72)	0.00 (2)	17003 (17284)	16895 (17059)	70 (217)	55 (82)	0 (2)	17020 (17360)
		बकाया राशि Amount Outstanding	142.53 (1633.32)	0.00 (455.62)	1059.90 (1213.84)	0.00 (0.0)	1202.43 (3302.77)	55.36 (456.62)	15.57 (64.54)	29.45 (24.12)	0.00 (0.0)	100.38 (545.28)	2850.12 (7572.83)	975.71 (888.61)	518.61 (636.26)	0.00 (11.25)	4344.44 (9108.95)	3048.01 (9662.77)	991.28 (1408.77)	1607.96 (1874.22)	0.00 (11.25)	5647.25 (12957.01)
		उसपर प्रावधान Provision thereon	2.40 (73.73)	0.00 (19.11)	17.16 (47.31)	0.00 (0.0)	19.56 (140.15)	0.07 (15.21)	0.00 (1.76)	0.00 (-1.71)	0.00 (0.00)	0.07 (15.26)	88.70 (251.97)	1.37 (29.02)	35.72 (12.58)	0.00 (0.24)	125.79 (293.81)	91.17 (340.91)	1.37 (49.89)	52.88 (58.18)	0.00 (0.24)	145.42 (449.22)
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुर्नगठित मानक प्रवर्ग में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	0 (4)	0 (-4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	-2 (-2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (6)	-5 (-4)	0.00 (-2)	0 (0)	0 (0)	7 (12)	-7 (-10)	0 (-2)	0 (0)	0 (0)
		बकाया राशि Amount Outstanding	0 (386.25)	0.00 (-256.93)	-13.68 (0.0)	0.00 (0.0)	-13.68 (129.32)	6.93 (6.71)	-6.93 (-6.51)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.20)	99.02 (63.92)	-105.40 (-65.77)	0.00 (-10.58)	0.00 (0.0)	-6.38 (-12.43)	105.95 (456.88)	-112.33 (-329.21)	-13.68 (-10.58)	0 (0.0)	-20.06 (117.09)
		उसपर प्रावधान Provision thereon	0.00 (32.96)	0.00 (-36.55)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (-3.59)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	3.33 (2.97)	-3.33 (-3.16)	0.00 (-0.42)	0.00 (0.0)	0.00 (-0.61)	3.33 (35.93)	-3.33 (-39.71)	0.00 (-0.42)	0 (0.0)	0.00 (-4.20)

अनु. क्र. Sr. No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एमएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					अन्य Others					कुल Total				
	आस्तियों का विवरण Assets Classification		वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global				
	ब्यौरे Details		मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
4	ऐसे पुनर्गठित मानक अग्रिम जिनपर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उन्नत प्रावधानीकरण और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद है और इसलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष की प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	3 (11)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (11)	13 (19)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	13 (19)	13155 (9053)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	13155 (9053)	13171 (9083)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	13171 (9083)
		बकाया राशि Amount Outstanding	447.70 (607.11)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	447.70 (607.11)	52.83 (83.78)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	52.83 (83.78)	1704.33 (653.49)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	1704.33 (653.49)	2204.86 1344.38	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2204.86 (1344.38)
		उसपर प्रावधान Provision thereon	50.50 (47.62)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	50.50 (47.62)	0.40 (0.24)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.40 (0.24)	276.71 (16.24)	0.00 (0.00)	0.00 (0.0)	0.0 (0.0)	276.71 (16.24)	327.61 (64.10)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	327.61 (64.10)
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का डाऊनग्रेडेशन Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	-15 (-13)	-17 (6)	32 (7)	0 (0)	0 (0)	-29 (-39)	-20 (11)	49 (28)	0 (0)	0 (0)	-1691 (-4780)	1387 (4730)	305 (46)	1 (4)	2 (0)	-1735 (-4832)	1350 (4747)	386 (81)	1 (4)	2 (0)
		बकाया राशि Amount Outstanding	-2938.51 (-945.51)	-1423.17 (265.17)	4361.68 (804.63)	0.00 (0.0)	0.00 (124.29)	-349.21 (-357.28)	-169.45 (98.66)	518.66 (268.39)	0 (0)	0.00 (9.77)	-2213.94 (-1735.14)	-330.97 (506.43)	2635.71 (1506.02)	63.80 (35.01)	154.61 (312.32)	-5501.65 (-3037.93)	-1923.59 (870.26)	7516.05 (2579.04)	63.80 (35.01)	154.61 (446.38)
		उसपर प्रावधान Provision thereon	-227.43 (-64.15)	-59.93 (-9.41)	287.36 (47.92)	0.00 (0.0)	0.00 (-25.64)	-18.07 (-6.73)	-0.90 (-5.44)	18.97 (9.21)	0.00 (0.0)	0.00 (-2.96)	-91.82 (-85.80)	9.44 (14.76)	82.38 (57.33)	0.00 (0.03)	0.00 (-13.68)	-337.32 (-156.68)	-51.39 (-0.09)	388.71 (114.46)	0.00 (0.03)	0.00 (-42.28)

अनु. क्र. Sr. No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिज़म के तहत Under CDR Mechanism					एमएसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					अन्य Others					कुल Total				
	आस्तियों का विवरण Assets Classification		वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global				
	ब्यौरे Details		मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	1 (3)	0 (6)	1 (1)	0 (0)	2 (10)	16 (12)	2 (2)	4 (0)	1 (0)	23 (14)	8 (17)	5 (7)	16 (3)	5 (0)	34 (27)	25 (32)	7 (15)	21 (4)	6 (0)	59 (51)
		बकाया राशि Amount Outstanding	38.92 (1132.13)	0.00 (418.66)	172.15 (632.08)	0.00 (0.0)	211.07 (2182.87)	129.31 (80.50)	20.77 (22.72)	46.49 (1.15)	1.72 (0.0)	198.29 (104.37)	2668.29 (31.09)	31.44 (241.85)	175.52 (34.22)	26.03 (-13.94)	2901.28 (293.21)	2836.52 (1243.72)	52.21 (683.23)	394.16 (667.45)	27.75 (-13.94)	3310.64 (2580.45)
		उनपर प्रावधान Provision thereon	31.50 (82.91)	0.00 (22.06)	272.50 (1.96)	0.00 (0.0)	304.00 (2106.93)	1.40 (0.76)	1.53 (0.0)	24.66 (0.0)	0.00 (0.0)	27.59 (0.76)	131.39 (26.42)	36.50 (8.66)	149.00 (4.35)	0.27 (0.0)	317.16 (39.43)	164.29 (110.09)	38.03 (30.72)	446.16 (6.31)	0.27 (0.0)	648.75 (147.12)
7	वित्तीय वर्ष के यथा 31 मार्च को पुनर्गठित खातें (लेखाबंदी आंकडे) Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	13 (29)	0.00 (17)	54 (16)	0 (0)	67 (62)	51 (102)	14 (37)	83 (37)	0 (1)	148 (177)	33877 (31847)	7593 (6147)	845 (509)	3 (7)	42318 (38510)	33941 (31978)	7607 (6201)	982 (562)	3 (8)	42533 (38749)
		बकाया राशि Amount Outstanding	840.96 (4125.32)	0.00 (1423.17)	7254.21 (2018.47)	0.00 (0.0)	8095.18 (7566.96)	288.87 (757.93)	143.50 (325.08)	844.94 (343.32)	0.00 (1.72)	1277.31 (1428.05)	6601.95 (12352.48)	2356.47 (1838.39)	5411.55 (2423.41)	267.49 (223.01)	14637.45 (16837.29)	7731.78 (17235.74)	2499.97 (3586.64)	13510.70 (4785.19)	267.49 (224.73)	24009.94 (25832.30)
		उनपर प्रावधान Provision thereon	29.21 (336.24)	0.00 (59.93)	127.25 (95.23)	0.00 (0.00)	156.46 (491.40)	3.84 (23.64)	0.50 (2.93)	5.49 (11.18)	0.00 (0.0)	9.83 (37.75)	155.15 (563.04)	28.13 (57.15)	49.84 (80.74)	0.00 (0.27)	233.12 (701.20)	188.20 (922.92)	28.63 (120.01)	182.58 (187.15)	0.00 (0.27)	399.41 (1230.35)

3.4.3. आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

क.

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2014-15
i.	खातों की संख्या	0.00	20
ii.	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	0.00	1847.29
iii.	कुल प्रतिफल	0.00	1809.24
iv	विगत वर्षों में अंतरित खातों मे वसूल किया हुआ अतिरिक्त प्रतिफल	16.00	0.00
v	निवल बही मूल्य पर कुल आय/(हानि)	-117.89	-38.05

ख.

विवरण	एनपीए के समर्थन से बैंक द्वारा अंतर्निहीत रूप में बेचा गया		एनपीए के समर्थन से अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थानों/ एनबीएफसी द्वारा बेचा गया		कुल	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
प्रतिभूतियों की प्राप्ति में निवेश का बही मूल्य	2824.39	2753.06	0.00	0.00	2824.39	2753.06

ग. एनपीए की बिक्री से लाभ

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	एनपीए की बिक्री के संबंध में वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया गया लाभ	0.00	15.58*

* वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान एनपीए की बिक्री के कारण ₹11.83 करोड़ रुपये शामिल हैं

3.4.4. खरीदी गई / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा (अन्य बैंकों से/को)

3.4.4.1 खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

विवरण	2015-16	2014-15
1 (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2 (क) इनमें से वर्ष के दौरान कितने खातों का पुनर्गठन किया गया	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

3.4.4.2 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा:

विवरण	2015-16	2014-15
1. बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2. कुल बकाया	शून्य	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

3.4.3. Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

A.

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
i.	Number of accounts	0.00	20
ii.	Aggregate value (net of provision) of accounts sold to SC/RC	0.00	1847.29
iii.	Aggregate consideration	0.00	1809.24
iv	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	16.00	0.00
v	Aggregate gain/(loss) over net book value	-117.89	-38.05

B.

Particulars	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/NBFC		Total	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Book Value of investments in securities receipts	2824.39	2753.06	0.00	0.00	2824.39	2753.06

C. Profit from sale of NPA:

Sr. No.	Particular	2015-16	2014-15
1	Profit booked in FY 2015-16 in respect of sale of NPA	0.00	15.58*

* includes ₹11.83 on account of Sale of NPA during FY 2013-14

3.4.4. Details of non-performing financial assets purchased/ sold (from/to other banks)

3.4.4.1 Details of non-performing financial assets purchased:

Particulars	2015-16	2014-15
1 (a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2 (a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

3.4.4.2 Details of non-performing financial assets sold :

Particulars	2015-16	2014-15
1. No. of accounts sold	NIL	NIL
2. Aggregate outstanding	NIL	NIL
3. Aggregate consideration received	NIL	NIL

3.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

विवरण	यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (आरबीआई के मुताबिक)	2285.85	2373.50

3.5 कारोबार अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(i)	औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का प्रतिशत	6.49%	6.81%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय का प्रतिशत	0.57%	0.66%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ का प्रतिशत	0.94%	1.17%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	-0.94%	0.27%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि+अग्रिम)	17.96	20.69
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ	-0.122	0.037

3.4.5 Provisions on Standard Assets

Particulars	As at 31.03.2016	As at 31.03.2015
Provisions towards Standard Assets (in terms of RBI)	2285.85	2373.50

3.5 Business Ratios

Sr. No.	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(i)	Interest Income as a percentage to average Working Funds	6.49%	6.81%
(ii)	Non-interest income as a percentage to average Working Funds	0.57%	0.66%
(iii)	Operating Profit as a percentage to average Working Funds	0.94%	1.17%
(iv)	Return on Assets	-0.94%	0.27%
(v)	Business per employee (deposits plus advances)	17.96	20.69
(vi)	Profit per employee	-0.122	0.037

3.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता प्रकार यथा 31 मार्च, 2016

3.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31st March 2016

विवरण	Details	1 दिन (01/04/2015) Day 1 (01/04/2015)	2 से 7 दिन (02/04/2015) से (07/04/2015) 2 to 7 days (02/04/2015 To 07/04/2015)	8 से 14 दिन (08/04/2015) से (14/04/2015) 8 TO 14 DAYS (08/04/2015 to 14/04/2015)	15 से 28 दिन (15/04/2015) से (28/04/2015) 15 TO 28 DAYS (15/04/2015 to 28/04/2015)	28 दिन से अधिक 3 महीने तक (29/04/2015) से (30/06/2015) Over 28 days up to 3 months (29/04/2015 to 30/06/2015)	3 महिनों से अधिक एवं 6 महीनों तक (01/07/2015) से (30/09/2015) Over 3 months and up to 6 months (01/07/2015 to 30/09/2015)	6 महिनों से अधिक एवं 1 वर्ष तक (01/10/2015) से (31/03/2016) Over 6 months and up to 1 year. (01/10/2015 to 31/03/2016)	1 वर्ष से अधिक एवं 3 3 वर्षों तक (01/10/2015) से (31/03/2016) Over 1 year and upto 3 years. (01/04/2016 to 31/03/2018)	1 वर्ष से अधिक एवं 3 3 वर्षों तक (01/10/2015) से (31/03/2016) Over 3 years and up to 5years. (01/04/2018 to 31/03/2020)	5 वर्ष से अधिक कुल (31/03/2015) के पश्चात Over 5 years (After 31/03/2020)	कुल TOTAL (1 TO 10)
जमाराशियां	Deposits	20,372.21	21,303.09	12,195.09	21,663.09	72,096.16	65,130.24	48,779.98	74,427.65	57,489.20	119,547.81	513,004.52
		(18,112.66)	(13,706.78)	(9,288.04)	(36,887.25)	(79,294.73)	(72,329.84)	(56,696.76)	(70,994.66)	(55,937.27)	(118,658.64)	(531,906.63)
अग्रिम	Advances	27,047.98	7,613.87	5,899.67	14,138.51	66,557.08	42,577.50	35,190.67	52,309.32	39,407.40	68,446.96	359,188.96
		(32,281.12)	(7,626.26)	(5,952.95)	(10,646.74)	(99,215.82)	(50,016.17)	(41,391.00)	(43,839.89)	(43,112.72)	(67,942.88)	(402,025.55)
निवेश	Investments	112.40	14.89	1,920.92	174.00	5,000.59	2,067.69	5,931.52	20,672.81	14,951.37	68,002.72	118,848.91
		(155.29)	(295.47)	(90.82)	(771.70)	(2,772.68)	(1,318.43)	(1,433.71)	(20,128.57)	(24,740.09)	(68,085.29)	(119,792.05)
उधार	Borrowings	4,693.25	11,459.27	1,992.79	226.92	5,040.69	2,725.81	208.05	5,784.63	11,951.28	7,000.45	51,083.14
		(458.52)	(5,110.01)	(1,379.33)	(2,119.90)	(6,705.00)	(6,717.61)	(3,221.77)	(3,965.52)	(10,379.02)	(0.46)	(40,057.14)
क. विदेशी मुद्रा आस्तियां	(a) Foreign Currency Assets	6,193.50	3,912.34	4,394.41	11,942.66	24,579.91	21,793.02	21,066.12	16,936.21	11,784.22	8,047.18	130,649.57
		(3,189.74)	(5,478.63)	(3,981.09)	(7,340.12)	(30,964.76)	(21,341.57)	(20,452.88)	(22,742.64)	(15,644.83)	(5,920.11)	(137,056.37)
ख.विदेशी मुद्रा देयताएं	(b) Foreign Currency Liabilities	9,480.79	22,421.43	7,508.24	9,748.05	49,709.49	41,298.49	40,094.26	13,600.46	10,499.67	1,808.51	206,169.39
		(4,802.01)	(7,532.77)	(6,063.42)	(10,596.01)	(52,001.86)	(41,213.56)	(38,223.70)	(9,800.79)	(3,124.04)	(1,166.42)	(174,524.58)

3.7 एक्सपोज़र

3.7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोज़र

क्र. सं.		प्रवर्ग	यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
ए.		प्रत्यक्ष एक्सपोज़र	25900.86	35010.19
	(i)	आवासीय बंधक	17891.74	24370.20
		जिसमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के गृह ऋण	8606.77	12688.53
	(ii)	व्यवसायिक रियल इस्टेट	7638.78	10639.39
	(iii)	गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर में निवेश	370.34	0.00
		आवासीय	46.80	0.00
		व्यवसायिक रियल इस्टेट	323.54	0.00
ब		अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	5477.00	12501.18
		नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीज्) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर	5477.00	12501.18
		रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर	31377.86	47511.37

3.7.2 पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर

क्र. सं.	प्रवर्ग	यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्युचुअल फण्ड में निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया गया;	969.73	910.47
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों(आईपीओ/ईएसओपीएस सहित) परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम;	10.89	12.88
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	8.57	4.96
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की युनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूति शेयरों/ परिवर्तनीय बाण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम;	49.08	210.80
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ;	2225.69	2569.35

3.7 Exposures

3.7.1 Exposure to Real Estate Sector

Sr. No.		Category	As at 31.03.2016	As at 31.03.2015
a)		Direct Exposure	**25900.86**	**35010.19**
	(i)	Residential Mortgages	17891.74	24370.20
		Out of which Priority Sector housing loans	8606.77	12688.53
	(ii)	Commercial Real Estate	7638.78	10639.39
	(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised Exposures	370.34	0.00
	a)	Residential	46.80	0.00
	b)	Commercial Real Estate	323.54	0.00
b)		Indirect Exposure	**5477.00**	**12501.18**
		Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	5477.00	12501.18
Total exposure to Real Estate Sector			**31377.86**	**47511.37**

3.7.2 Exposure to Capital Market

Sr. No	Category	31.03.2016	31.03.2015
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	969.73	910.47
ii)	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs),convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	10.89	12.88
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	8.57	4.96
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	49.08	210.80
v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	2225.69	2569.35

क्र. सं.	प्रवर्ग	यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
vi)	संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण;	0.00	0.00
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण;	0.00	0.00
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	0.00	0.00
ix)	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	0.00	0.00
x)	उद्यम के लिए पूंजी निधि हेतु समस्त एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	434.38	592.18
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र	**3698.34**	**4300.64**

3.7.3 जोखिम प्रवर्ग वार देश का एक्सपोज़र

क्र. सं.	जोखिम प्रवर्ग	यथा दिनांक 31.03.2016		यथा दिनांक 31.03.2015	
		एक्सपोज़र (निवल)	धारित प्रावधान	एक्सपोज़र (निवल)	धारित प्रावधान
1	नगण्य	42,088.27	49.79	65,483.08	72.96
2	न्यून	26,978.77	40.39	32,375.71	20.80
3	साधारण	3,528.22	–	3,510.95	0.00
4	उच्च	1,295.97	–	1,282.68	0.00
5	बहुत उच्च	0.69	–	111.13	0.00
6	प्रतिबंधित	–	–	0.36	0.00
7	ऑफ क्रेडिट	–	–	12.68	0.00
	कुल	73,891.92	90.18	1,02,776.61	93.76

3.7.4 यथा 31 मार्च, 2016 बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के ब्यौरे

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर सीमा	स्वीकृत सीमा	यथा 31.03.2016 को बकाया
1.	एकल उधारकर्ता			
	कोई नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
2.	सामूहिक उधारकर्ता			
	कोई नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

एमएसपीजीसी पर एक्सपोज़र, आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए विवेकाधिकार के अंतर्गत है (विवेकपूर्ण सीमाओं के ऊपर, पूंजीगत निधियों का 5%)

Sr. No	Category	31.03.2016	31.03.2015
vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii)	Bridge loans to Companies against expected equity flows/ issues;	0.00	0.00
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	434.38	592.18
	Total Exposure to Capital Market	**3698.34**	**4300.64**

3.7.3. Risk Category wise Country Exposure

Sr. No.	Risk Category	As at 31.03.2016		As at 31.03.2015	
		Exposure (Net)	Provision held	Exposure (Net)	Provision held
1	Insignificant	42,088.27	49.79	65,483.08	72.96
2	Low	26,978.77	40.39	32,375.71	20.80
3	Moderate	3,528.22	–	3,510.95	0.00
4	High	1,295.97	–	1,282.68	0.00
5	Very High	0.69	–	111.13	0.00
6	Restricted	–	–	0.36	0.00
7	Off credit	–	–	12.68	0.00
	Total	**73,891.92**	**90.18**	**1,02,776.61**	**93.76**

3.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank as on 31st March, 2016:

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2016
1.	Single Borrower			
	None	NIL	NIL	NIL
2.	Group Borrower			
	None	NIL	NIL	NIL

Exposure on MSPGC is within the discretion given to Banks by RBI (additional 5% of capital funds, over prudential limits)

यथा 31 मार्च, 2016 बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसवीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीवीएल) के ब्यौरे

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर सीमा	स्वीकृत सीमा	यथा 31.03.2016 को बकाया
1.	एकल उधारकर्ता			
	कोई नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
2.	सामूहिक उधारकर्ता			
	कोई नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

नोट: प्रकटन हर माह के अंत में बकाया स्थिति की बैंक द्वारा निगरानी पर आधारित है। प्रत्येक माह के अंत में सभी उधारकर्ता समूह पर बैंक का एक्स्पोज़र विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत थे।

3.7.5 गैर-जमानती अग्रिम

विवरण	2015-16	2014-15
अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि.	1,030.55	2,203.04
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य	706.14	2,154.53

3.8. विविध

3.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए प्रावधान की राशि

विवरण	2015-16	2014-15
आयकर के लिए प्रावधान	1615.09	989.48
आस्थागित कर के लिए प्रावधान	-3316.64	-903.35
कुल	-1701.55	86.13

3.8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगायी गई शास्तियों (पेनल्टीज़) का प्रकटन

Particulars	2015-16	2014-15
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत लगाई गई शास्तियां (पेनल्टी)	0.17	0.18

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति दि. 29.04.2015 के माध्यम से बैंक को सचेत किया था और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) से संबंधित उचित उपाय करने तथा भविष्य में इसकी आवश्यकताओं के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर इसकी समीक्षा करने की सूचना दी थी।

4. लेखांकन मानकों (एएस) के अनुसार अपेक्षित प्रकटन जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने लेखे पर टिप्पणियों के प्रकटन मदों के विषय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं:

4.1 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

वर्ष के दौरान बैंक ने एलआईसी 1994-96 टेबल, जिसका कर्मचारी लाभ के संबंध में पिछले वर्ष तक अनुसरण किया जाता था, के स्थान पर आईएएलएम 2006-08 का स्वीकार किया। मोर्टालिटी टेबल में इस प्रकार के परिवर्तन के कारण, वास्तविक लाभ और हानि की सीमा तक लेखा अनुमानों में ऐसे परिवर्तन के असर के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए ₹ 909.77 (कर के असर को छोड़कर) की हानि की परिणामी वृध्दि के साथ परिचालन खर्च में ₹ 1391.25 की वृध्दि हुई है।

Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank as on 31st March, 2015:

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2015
1.	Single Borrower			
	None	NIL	NIL	NIL
2.	Group Borrower			
	None	NIL	NIL	NIL

Note: Disclosure is based on monitoring by the Bank of outstanding at the end of each month. Exposures on all Borrower groups were within the prudential norms at the end of each month.

3.7.5. Unsecured Advances:

Particulars	2015-16	2014-15
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority, etc.	1,030.55	2,203.04
Estimated value of such intangible collateral securities	706.14	2,154.53

3.8. Miscellaneous

3.8.1. Amount of Provisions made for Income-tax during the year

Particulars	2015-16	2014-15
Provision for Income Tax	1615.09	989.48
Provision for Deferred Tax	-3316.64	-903.35
Total	**-1701.55**	**86.13**

3.8.2. Disclosures of Penalties imposed by RBI

Particulars	2015-16	2014-15
Penalty imposed under Section 46(4) of The Banking Regulation Act, 1949	0.17	0.18

The RBI vide press release dated 29.04.2015 have cautioned the bank and asked that appropriate measures on Know Your Customer (KYC)/Anti Money Laundering(AML) be put in place and reviewed from time to time to ensure strict compliance of the requirements in future.

4. Extracts of Disclosures as per Accounting Standards (AS) where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items for Notes to Accounts:

4.1 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

During the year, the Bank has adopted to IALM 2006-08 table instead of LIC 1994-96 which was followed till last year in respect of employees' benefits. The impact of such change in accounting estimate to the extent of actuarial gain or loss, due to change in mortality table, has resulted in increase in operating expenses by ₹ 1391.25 with consequential increase in Net Loss by ₹ 909.77 (net of tax impact) for the year.

4.2 लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग
भाग - क : कारोबार खण्ड

4.2 Accounting Standard 17 - Segment Reporting
Part A: Business Segment

कारोबार खंड	Business Segment	कोषगार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		अन्य बैंकिंग (*)Other Banking Operations		कुल Total	
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व	Revenue	12,066.32	12,921.95	20,059.30	21,934.90	14,231.44	12,789.01	0.00	0.00	46,357.06	47,645.86
गैर-आबंटित राजस्व	Unallocated revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(737.20)	140.50
अंतर खंड राजस्व	Inter segment revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(170.85)	(123.75)
कुल राजस्व	Total Revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45,449.01	47,662.61
परिणाम	Results	1,002.04	1,509.96	(7,420.77)	750.07	(104.30)	131.79	0.00	0.00	(6523.03)	2,391.82
गैर-आबंटित व्यय	Unallocated Expenses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(1267.73)	(596.76)
परिचालन लाभ	Operating Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(7790.76)	1,795.05
आयकर	Income Tax	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(1701.55)	86.13
असाधारण लाभ/हानि	Extraordinary Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0.00	0.00
निवल लाभ	Net Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(6089.21)	1,708.92
अन्य जानकारी	**Other Information :**										
खंड आस्तियां	Segment Assets	2,01,769.92	1,86,936.02	2,82,837.56	3,17,373.16	1,11,820.01	99,965.15	0.00	0.00	5,96,427.49	6,04,274.33
गैरआबंटित आस्तियां	Unallocated Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13,486.44	14,423.42
कुल आस्तियां	Total Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6,09,913.93	6,18,697.75
खंड देयता	Segment Liabilities	1,94,677.31	1,79,582.90	2,72,439.64	3,04,581.81	1,08,453.79	96,273.30	0.00	0.00	5,75,570.74	5,80,438.01
गैर आबंटित आस्तियां	Unallocated Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2025.97	6,813.01
कुल आस्तियां	Total Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5,77,596.71	5,87,251.02

(*) बैंक का कोई अर्थपूर्ण "अन्य बैंकिंग परिचालन" नहीं है।

(*) The Bank does not have any significant "Other Banking Operations".

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण	Particulars	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व	Revenue	40363.59	42650.53	5085.42	5012.08	45449.01	47662.61
आस्तियां	Assets	438459.73	455336.49	171454.20	163361.27	609913.93	618697.76

बैंक ने लेखांकन मानक (एएस) 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिक रिपोर्टिंग वाले खंडों और गौण खंड के रूप में भौगोलिक खंडों को मान्यता दी है।

प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) **कोषागार परिचालन:** खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) **थोक बैंकिंग:** थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग:** खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर: अधिकतम कुल एक्सपोजर ₹ 5 करोड़ तक ।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

Primary Segment: Business Segments

a) **Treasury Operations:** 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) **Retail Banking :** Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5.

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का विनियोजन

क) विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

ख) विशेष खण्ड को सीधे न प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

4.3. लेखांकन मानक 18 संव्यवहारों से संबंधित पक्षकार : प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया

I) संबंधित पक्षकारों की सूची

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ : श्री मेलविन ओ. रेगो (14.08.2015 से)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक : श्रीमती वी.आर.अय्यर (31.05.2015 तक)
कार्यपालक निदेशक गण : श्री बि.पी. शर्मा
श्री अरूण श्रीवास्तव (14.05.2015 तक)
श्री आर.पी. मराठे
श्री आर.ए. शंकरनारायण (15.05.2015 से)

(ख) अनुषंगियाँ :

(i) बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड
(ii) बीओआई एक्सा इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि.
(iii) बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि.
(iv) बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि. (31.10.2014 से)
(v) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके
(vi) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि.
(vii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.
(viii) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.
(ix) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि

(ग) सहायक कंपनियां :

(i) एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड
(ii) एएसआरईसी (इंडिया) लि.
(iii) इंडो-जाम्बिया बैंक लि.
(iv) बैंक द्वाराप्रायोजित 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  (क) आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पहले आर्यावर्त ग्रामीण बेंक के रूप में जाना जाता था)
  (ख) झारखण्ड ग्रामीण बैंक
  (ग) नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक
  (घ) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

(घ) संयुक्त उद्यम

(i) स्टार यूनियन दाई ईची जीवन बीमा कंपनी लि.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

Allocation of Costs

a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

4.3 Accounting Standard 18 - Related Party Transactions (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)

I) List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personnel :

Managing Director & CEO : Shri Melwyn O Rego (w.e.f. 14.08.2015)
Chairperson & Managing Director : Smt. V.R. Iyer (up to 31.05.2015)
Executive Directors : Shri B. P. Sharma
Shri Arun Shrivastava (upto 14.05.2015)
Shri R.P. Marathe
Shri R.A. Sankarnarayanan (w.e.f. 15.05.2015)

(b) Subsidiaries :

(i) BOI Shareholding Limited
(ii) BOI AXA Investment Managers Private Limited
(iii) BOI AXA Trustee Services Private Limited
(iv) BOI Merchant Bankers Ltd
(v) PT Bank of India Indonesia Tbk
(vi) Bank of India (Tanzania) Limited
(vii) Bank of India (New Zealand) Limited
(viii) Bank of India (Uganda) Limited
(ix) Bank of India (Botswana) Limited

(c) Associates :

(i) STCI Finance Limited
(ii) ASREC (India) Limited
(iii) Indo-Zambia Bank Limited
(iv) 4 Regional Rural Banks sponsored by the Bank
  (a) Gramin Bank of Aryavart (Formerly known as Aryavart Kshetriya Gramin Bank)
  (b) Jharkhand Gramin Bank
  (c) Narmada Jhabua Gramin Bank
  (d) Vidharbha Konkan Gramin Bank

(d) Joint Venture:

(i) Star Union Dai–Ichi Life Insurance Co. Ltd.

II) क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

II) a) Transactions with Related Parties (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)

विवरण	Particulars	अनुषंगियाँ/ सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम के साथ WITH SUBSIDIARIES/ ASSOCIATES/JOINT VENTURES		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel		कुल TOTAL	
		2015–16	2014–15	2015–16	2014–15	2015–16	2014–15	2015–16	2014–15
संव्यवहार	**Transactions**								
प्राप्त ब्याज	Interest Received	9.98	23.66	–	–	–	–	9.98	23.66
प्रदत्त ब्याज	Interest Paid	53.96	1.99	0.07	0.03	0.01	0.01	54.04	2.03
लाभांश	Dividend	12.55	9.11	–	–	–	–	12.55	9.11
अन्य आय	Other Income	62.39	73.73	–	–	–	–	62.39	73.73
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री विलों / बांडों की बिक्री	Sale of Govt. Securities/Treasury Bills	43.50	279.19	–	–	–	–	43.50	279.19
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री विलों / बांडों की खरीद	Purchase of Govt. Securities/ Treasury Bills	967.36	1,110.34	–	–	–	–	967.36	1,110.34
कार्पोरेट बॉंड और अन्य मुद्रा बाजारों उपकरणों की खरीद	Purchase of Corporate Bonds and Other money market instruments	–	10.37	–	–	–	–	–	10.37
जमा	Deposits	0.89	7.55	–	–	–	–	0.89	7.55
परिपक्व जमा	Matured Deposits	–	11.40	–	–	–	–	–	11.40
प्रदान किए गए ऋण	Loans Provided	2,782.77	1,948.68	–	–	–	–	2,782.77	1,948.68
चुकाए गए ऋण	Loans Repaid	3,178.94	1,938.07	–	–	–	–	3,178.94	1,938.07
एनपीए की बिक्री	Sale of NPA	–	–	–	–	–	–	–	–
निवेश	Investments	–	–					–	–
बकाया शेष	**Outstanding balance**								
देय	Payable	–	–	–	–	–	–	–	–
जमा	Deposits	119.68	67.62	0.99	0.41	0.08	0.15	120.74	68.18
उधार	Borrowing	–	–	–	–	–	–	–	–
ऋण	Loans	99.76	495.92	–	–	–	–	99.76	495.92
जमा की नियुक्ति	Placement of the Deposits	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य देयताएं	Other Liabilities	3.80	1.84	–	–	–	–	3.80	1.84
प्राप्तियाँ (अग्रिम)	Receivables (Advances)	–	–	–	–	–	–	–	–
निवेश	Investments	297.68	297.69	–	–	–	–	297.68	297.69
गैर वित्तपोषित प्रतिबद्धता	Non Funded Commitment	–	–	–	–	–	–	–	–
पट्टे पर/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया गया	Leasing / HP arrangements availed	–	–	–	–	–	–	–	–
पट्टे पर/एचपी व्यवस्था प्रदान की गयी	Leasing / HP arrangements provided	–	–	–	–	–	–	–	–
अचल संपत्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	–	–	–	–	–	–	–	–
अंचल संपत्तियों की बिक्री	Sale of fixed assets	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य अस्तियाँ	Other Assets	6.51	7.98	–	–	–	–	6.51	7.98

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक: प्रदत्त पारिश्रमिक (₹ में)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	2015-16	2014-15
1	श्री मेलविन रेगो	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	1,847,503	0.00
2	श्रीमती वी. आर. अय्यर	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	7,78,874	26,01,414
3	श्री बि. पी. शर्मा	कार्यपालक निदेशक	20,70,928	21,50,109
4	श्री आर.पी.मराठे	कार्यपालक निदेशक	18,08,012	1,13,939
5	श्री आर. ए. शंकरनारायणन	कार्यपालक निदेशक	17,04,520	0.00
6	श्री अरुण श्रीवास्तव	पूर्व कार्यपालक निदेशक	2,25,656	19,55,812
7	श्री आर.कोटीस्वरन	पूर्व कार्यपालक निदेशक	-	15,40,052

सहायक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संव्यवहार राज्य नियंत्रित होने के कारण एएस-18 के पैरा 9 की दृष्टि में प्रकटन नहीं किए गए हैं जोकि आईसीएआई द्वारा संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए जारी किए हैं जिसमें इन पार्टियों के दूसरे पक्षकारों के साथ, जो भी राज्य नियंत्रित उद्यम है, संव्यवहारों को प्रकटन न करने की छूट है।

4.4 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1.	आधारभूत और तनुकृत*	(83.01)	26.57

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2014-15
(क)	इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ	(6089.21)	1,708.92
(ख)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	73.35	64.31
(ग)	मूलभूत प्रति शेयर आय (ए/बी) (₹)	(83.01)	26.57
(घ)	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

* आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है।

b) Key Management Personnel: Remuneration paid (in ₹)

Sr. No.	Name	Designation	2015-16	2014-15
1	Shri Melwyn O Rego	MD & CEO	1,847,503	0.00
2	Smt. V. R. Iyer	Ex-Chairperson & Managing Director	7,78,874	26,01,414
3	Shri B. P. Sharma	Executive Director	20,70,928	21,50,109
4	Shri R. P. Marathe	Executive Director	18,08,012	1,13,939
5	Shri R.A. Sankarnarayanan	Executive Director	17,04,520	0.00
6	Shri Arun Shrivastava	Executive Director	2,25,656	19,55,812
7	Shri R. Koteeswaran	Ex- Executive Director	–	15,40,052

The transactions with the subsidiaries and regional rural banks, being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS-18 on Related party disclosure issued by the ICAI exempting "State Controlled Enterprises" from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also "State Controlled Enterprises".

4.4. Accounting Standard 20 - Earnings per Share in ₹

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
1.	Basic & Diluted *	(83.01)	26.57

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
(A)	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders	(6089.21)	1,708.92
(B)	Weighted Average Number of Equity shares (in Crores)	73.35	64.31
(C)	Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	(83.01)	26.57
(D)	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

* Basic & Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

4.4.क लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

4.4.A Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
			स्टैण्ड-अलोन Standalone		समेकित Consolidated	
	आस्थगित कर आस्तियां	**Deferred Tax Assets**				
i.	प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provisions	4025.32	1083.85	4027.78	1291.98
ii.	अन्य	Others	599.66	129.92	601.52	130.22
	कुल आस्थगित कर आस्तियां	**Total Deferred Tax Assets**	**4624.98**	**1417.62**	**4629.30**	**1422.20**
	आस्थगित कर देयता	**Deferred Tax Liabilities**				
i.	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of Depreciation on fixed assets	120.55	81.18	121.47	81.20
ii.	निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	On account of Depreciation on investment	228.34	345.83	228.34	345.83
iii.	प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due	724.30	772.63	724.30	772.63
iv.	आयकर अधिनियम 1961 के 36(1)(viii) के तहत कटौती	On account of deduction u/s 36(1) (viii) of the Income Tax Act 1961	750.99	750.99 *	750.99	750.99 *
v.	अन्य	Others	23.23	5.04	22.73	5.55
	कुल आस्थगित कर देयताएं	**Total Deferred Tax Liabilities**	**1847.41**	**1956.18**	**1847.82**	**1956.20**
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**2777.57**	**(538.56)**	**2781.47**	**(533.99)**

*पिछले आरक्षित निधी से ₹ 431.67 करोड तथा लाभ से बाहर शेष

* ₹ 431.67 Crores out of past reserves and balance out of profit

4.5 आस्तियों का ह्रास (लेखांकन मानक 28) : रू. शून्य

4.6 लेखांकन मानक 29 : प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियाँ:

क. देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढ़ाव

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं	
	2015-16	2014-15
प्रारंभिक शेष	28.20	26.95
वर्ष के दौरान प्रावधान	13.48	1.25
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	0.00	0.00
अंतिम शेष	41.68	28.20
बहिर्गमन का समय / अनिश्चितताएं	समझौते/ क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	समझौते/ क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन

ब. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/न्यायालयके बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें,विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामलाहो पर क्रमश: निर्भर करता है। इस मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

4.5 Impairment of Assets (Accounting Standard 28) : ₹ Nil

4.6 Accounting Standard 29: "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

A. Movement of Provisions for contingent liabilities

Particulars	Legal cases/contingencies	
	2015-16	2014-15
Opening Balance	28.20	26.95
Provided during the year	13.48	1.25
Amounts used during the year	0.00	0.00
Closing Balance	41.68	28.20
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / Crystallization	Outflow on settlement / Crystallization

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

5. अतिरिक्त देयताएं

5.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं

लाभ और हानि खाते में दिखाए गए "प्रावधान और आकस्मिकताएं" का ब्रेक-अप निम्नानुसार है:

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
निवेश के मूल्यह्रास पर प्रावधान	350.73	(50.40)	350.73	(50.40)
एनपीए हेतु प्रावधान	14,101.92	5,227.43	14405.75	5231.64
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	(128.40)	408.60	(127.55)	409.22
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(1,701.56)	86.13	(1722.63)	103.42
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं				
पुनर्गठित खातों में त्याग हेतु प्रावधान	(531.30)	107.95	(531.30)	107.95
देशीय जोखिम हेतु प्रावधान	(3.58)	23.59	(3.58)	23.59
अन्य प्रावधान	37.02	(24.46)	57.68	(24.26)
कुल..	12,124.83	5,778.85	12429.10	5801.16

* पिछले वर्ष के लिए ₹ 308.63 प्रावधान शामिल है।

5.2 अस्थिर प्रावधान (काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर)

विवरण	2015-16	2014-15
फ्लोटिंग प्रोविजन खाते में प्रारम्भिक शेष मात्रा	232.22	364.43
लेखाकंन वर्ष में किए गए फ्लोटिंग प्रावधानों की प्रमात्रा	0.00	100.00
लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	0.00	232.21
अस्थिर प्रावधान खाते में अंतिम शेष	232.22	232.22

5.3 रिजर्व्स से ड्रॉ डाउन

वर्ष के दौरान /पिछले वर्ष के दौरान रिजर्वस से कोई ड्रॉ डाउन नहीं किया है।

5.4 शिकायतों का प्रकटन

i) **ग्राहकों की शिकायतें:** (प्रबंधन द्वारा समेकित व लेक्षापरीक्षकों द्वारा सहमत)

क्र. सं	विवरण	2015-16	2014-15
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	110	64
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	15085	9757
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	14976	9711
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	219	110

5 Additional Disclosures

5.1 Provisions and Contingencies

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Profit and Loss Account is as under:

Particulars	Standalone		Consolidated	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Provision for Depreciation on Investment	350.73	(50.40)	350.73	(50.40)
Provision towards NPA	14,101.92	5,227.43	14405.75	5231.64
Provision towards Standard Assets	(128.40)	408.60	(127.55)	409.22
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)*	(1,701.56)	86.13	(1722.63)	103.42
Other Provision & Contingencies				
• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	(531.30)	107.95	(531.30)	107.95
• Provision for Country Risk	(3.58)	23.59	(3.58)	23.59
• Other Provisions	37.02	(24.46)	57.68	(24.26)
Total	**12,124.83**	**5,778.85**	**12429.10**	**5801.16**

* including ₹ 308.63 provision for earlier years.

5.2 Floating Provisions (Countercyclical provisioning buffer)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening Balance in the floating provisions account	232.22	364.43
The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	100.00
Amount of draw down made during the accounting year	0.00	232.21
Closing Balance in the floating provisions account	232.22	232.22

5.3 Draw Down from Reserves

There is no drawdown from reserves made during the year/ previous year.

5.4 Disclosure of complaints

i) **Customer Complaints** (As compiled by the management and relied upon by the auditors)*:*

Sr. No	Particulars	2015-16	2014-15
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	110	64
(b)	No. of complaints received during the year	15085	9757
(c)	No. of complaints redressed during the year	14976	9711
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	219	110

ii) **एटीएम से संबंधित शिकायतें** : (प्रबंधन द्वारा समेकित व लेखापरीक्षकों द्वारा सहमत)

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष के आरंभ में लम्बित एटीएम से संबंधित शिकायतें	4426	2042
वर्ष के दौरान प्राप्त एटीएम से संबंधित शिकायतें	353698	151435
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	352761	149051
वर्ष के अंत में लम्बित एटीएम से संबंधित शिकायतें	5363	4426

iii) **बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :**

क्र. स.	विवरण	2015-16	2014-15
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	0	3
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	2	0
(ग)	वर्ष के दौरान लागू किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	2	3
(घ)	वर्ष के अंत में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

5.5 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसीज्) पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रित)

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किए हैं। वर्ष 2011-2012 के दौरान, बैंक ने अपने पूर्णतया स्वामित्व की सहायक संस्था बैंक ऑफ़ इंडिया (बीटीडब्ल्यू) लि. के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ़ बोत्स्वाना को वचनपत्र जारी किया है कि वित्तीय वायदा देय होने पर पूरा किया जाएगा।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अपने पूर्णतया स्वामित्व की सहायक संस्था बीओआई (न्यूजीलैंड) लि. के लिए न्यूजीलैंड के रॉयल बैंक के पक्ष में बैंक ने वित्तीय वायदा यदि देय होने पर पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी किया है।

तथापि यथा 31.03.2016 में उपर्युक्त वायदों में कोई वित्तीय दायित्व नहीं है।

5.6 प्रावधानीकरण कवरेज़ अनुपात (पीसीआर)

यथा 31 मार्च 2016 को बैंक के सकल अनर्जक आस्तियों पर प्रावधानीकरण 51.14% है (पिछले वर्ष: 52.40%)

5.7 बैंक एश्योरेंस कारोबार से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक

विवरण	2015-16	2014-15
जीवन बीमा पॉलिसी	60.65	42.22
गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	19.79	17.62
कुल	**80.44**	**59.84**

ii) **ATM Complaints** (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)

Particulars	2015-16	2014-15
No. of ATMs complaints pending at beginning of the year	4426	2042
No. of ATMs complaints received during the year	353698	151435
No. of ATMs complaints redressed during the year	352761	149051
No. of ATMs complaints pending at the end of the year	5363	4426

iii) **Awards passed by the Banking Ombudsman:**

Sr. No	Particulars	2015-16	2014-15
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	3
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	2	0
(c)	No. of Awards implemented during the year	2	3
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

5.5 Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)

During current year, the bank has not issued any letter of comforts. During the year 2011-12 the bank has issued and undertaking to the governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (BTW) Ltd., to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11 the bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2016 no financial obligations have arisen on the above commitments.

5.6 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The Provisioning to Gross Non-Performing Assets of the Bank as on 31st March 2016 is 51.14% (Previous year: 52.40%)

5.7 Fees, remuneration received from Bancassurance business:

Particulars	2015-16	2014-15
Life Insurance Policies	60.65	42.22
Non-Life Insurance Policies	19.79	17.62
Total	**80.44**	**59.84**

5.8 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेंद्रण (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

5.8.1 जमाओं का संकेंद्रन

विवरण	2015-16	2014-15
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां	31,771	42,011
बैंक की कुल जमाराशियाँ में से बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	6.19%	7.90%

5.8.2 अग्रिमों का संकेंद्रन

विवरण	2015-16	2014-15
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	54,732	56,378
बैंक के का कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	12..22%	11.53%

5.8.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रण:

विवरण	2015-16	2014-15
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	62,529	57,734
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपो. जर में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	11.01%	9.47%

5.8.4 एनपीए संकेंद्रण (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

विवरण	2015-16	2014-15
चार शीर्ष एनपीए खातों का कुल एवमसपोज़र	7,593.27	1,895

5.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

5.8.1 Concentration of Deposits

Particulars	2015-16	2014-15
Total Deposits of twenty largest depositors	31,771	42,011
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	6.19%	7.90%

5.8.2 Concentration of Advances

Particulars	2015-16	2014-15
Total Advances to twenty largest borrowers	54,732	56,378
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	12.22%	11.53%

5.8.3 Concentration of Exposures

Particulars	2015-16	2014-15
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	62,529	57,734
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	11.01%	9.47%

5.8.4 Concentration of NPAs (as compiled by management)

Particulars	2015-16	2014-15
Total Exposure to top four NPA accounts	7,593.27	1,895

5.9 क्षेत्रवार अग्रिम (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित) (न्यायोचित/तकनिकी बट्टे खाते सहित)

5.9 Sector-wise Advances (Including Prudential/Technical write off) (As compiled by the management)

क्र. स. Sr. No.	क्षेत्र	Sector	2015-16			2014-15		
			बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**Priority sector**						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	Agriculture & allied activities	39972.63	2636.41	6.60	35942.53	1797.23	5.00
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	26263.03	4431.30	16.87	29955.74	3621.81	12.09
3	सेवाएं	Services	16740.69	1680.57	10.04	13860.35	1048.58	7.57
4	व्यक्तिगत ऋण	Personal loans	6256.61	348.22	5.57	5591.68	174.23	3.12
	उपयोग (क)	**Sub-total (A)**	**89232.96**	**9096.50**	**10.19**	**85350.28**	**6641.85**	**7.78**
B	**गैर प्राथमिकता क्षेत्र**	**Non Priority Sector**						

क्र. स. Sr. No.	क्षेत्र	Sector	2015-16			2014-15		
			बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	Agriculture & allied activities	1432.26	118.15	8.25	572.33	64.53	11.28
2	उद्योग	Industry	157087.94	31659.45	20.15	189231.40	16468.15	8.70
3	सेवाएं	Services	64555.91	3751.31	5.81	72774.51	3533.76	4.86
4	व्यक्तिगत ऋण	Personal loans	45621.24	697.87	1.53	50904.30	432.53	0.85
	उपयोग (ख)	**Sub-total (B)**	**268697.35**	**36226.78**	**13.48**	**313482.54**	**20498.96**	**6.54**
	योग (क+ख)	**Total (A+B)**	**357930.31**	**45323.28**		**398832.86**	**27140.83**	

5.10 एनपीए का उतार-चढाव

विवरण	2015-16	2014-15
सकल एनपीए यथा 01.04.2015 को (प्रारंभिक शेष)	22193.24	11868.60
वर्ष के दौरान (नए एनपीए) परिवर्धन	34510.58	16651.47
उप-जोड़ (ए)	56703.82	28520.07
घटाएं :-		
(i) अपग्रेडेशन	1984.41	2380.66
(ii) वसूलीयाँ - अपग्रेडेड खातों से की गई वसूली को छोड़कर	2511.86	2688.38
(iii) तकनीकी प्रुडेंशियल राईट ऑफ	1206.42	706.92
(iv) बट्टे खाते लिखाई, उक्त 3 के अंतर्गत छोडकर	1122.00	550.87
उप-जोड़ (बी)	6824.69	6326.83
सकल एनपीए यथा 31.03.2016 (अंतिम शेष) (ए-बी)	49879.13	22193.24

5.11 तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों का मूवमेंट (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

विवरण	2015-16	2014-15
तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में प्रारंभिक शेष	6206.09	6081.22
जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते लिखाई	1953.23	1312.90
उप-जोड (ए)	**8159.32**	**7394.12**
घटाएं :- पूर्व में तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में की गई वसूली (बी)	739.59	1188.03
अंतिम शेष (ए-बी)	7419.73	6206.09

5.10 Movement of NPAs

Particulars	2015-16	2014-15
Gross NPAs as on 01.04.2015 (Opening Balance)	22193.24	11868.60
Additions(Fresh NPAs) during the year	34510.58	16651.47
Sub-total(A)	56703.82	28520.07
Less:		
(i) Up gradations	1984.41	2380.66
(ii) Recoveries-excluding recoveries made from upgraded accounts	2511.86	2688.38
(iii) Technical/Prudential Write Offs	1206.42	706.92
(iv) Write offs other those under 3 above	1122.00	550.87
Sub-total (B)	6824.69	6326.83
Gross NPAs as on 31.03.2016 (Closing Balance) (A-B)	49879.13	22193.24

5.11 Movement of Technical/Prudential written-off accounts

Particulars	2015-16	2014-15
Opening Balance of Technical/prudential written-off accounts	6206.09	6081.22
Add: Technical/prudential written-offs during the year	1953.23	1312.90
Sub-total(A)	8159.32	7394.12
Less:-Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year(B)	739.59	1188.03
Closing Balance (A-B)	7419.73	6206.09

5.12 विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

क्र. स.	विवरण	2015-16	2014-15
1	कुल आस्तियां	1,71,454.20	1,63,361.27
2	कुल एनपीए	8,239.85	1,948.28
3	कुल राजस्व	5,084.21	5,012.08

5.13 एसपीवीज् स्पॉन्सर ऑफ बैलेन्स शीट

स्पॉन्सर किए गए एसपीवी का नाम	
स्वदेश	विदेशी
शून्य	शून्य

5.14 प्रतिभूतिकरण से सम्बद्ध प्रकटन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्लोट नहीं किया है।

5.15 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के साथ व्यवहार शुरू नहीं किया है।

5.16 अंतर समूह एक्स्पोज़र (प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा समर्थित)

5.12 Overseas Assets, NPAs and Revenue

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
1	Total Assets	1,71,454.20	1,63,361.27
2	Total NPAs	8,239.85	1,948.28
3	Total Revenue	5,084.21	5,012.08

5.13 Off-Balance Sheet SPVs sponsored

Name of the sponsored SPV	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

5.14 Disclosure relating to Securitisation

The Bank has not floated any Special purpose Vehicle (SPV) during the Financial Year 2015-16.

5.15 Credit Default Swaps

The bank has not started dealing with Credit Default swaps up to end of the financial year 2015-16.

5.16 Intra-Group Exposures (As compiled by the management and relied upon by the Auditors)

क्र. स. Sr. No	इकाई का नाम	Name of the Entity	अग्रिम Advances				निवेश INVESTMENTS		कुल Total	
			निधी आधारित Fund Based		गैर निधी आधारित NFB					
			सीमा Limits	शेष O/s	सीमा Limits	शेष O/s	सीमा Limits	शेष O/s	सीमा Limits	शेष O/s
1	बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	BOI Shareholding Limited	8.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.00)	0.10 (0.00)	8.86 (1.02)	8.86 (1.02)	16.96 (1.02)	8.96 (1.02)
2	पीटी बैंक ऑफ इंडोनेशिया टीबीके	PT Bank of India Indonesia TBK	186.50 (156.25)	185.53 (156.26)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	335.15 (335.15)	335.15 (335.15)	521.65 (491.40)	520.68 (491.41)
3	बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड	Bank of India (Tanzania) Limited	90.26 (55.98)	27.68 (24.87)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	50.12 (50.12)	50.12 (50.12)	140.38 (106.10)	77.80 (74.99)
4	बैंक ऑफ इंडिया (न्यूज़िलैंड) लिमिटेड	Bank of India (New Zealand) Limited	1 (1)	0.37 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	176.91 (176.91)	176.91 (176.91)	177.91 (177.91)	177.28 (176.91)
5	बैंक ऑफ इंडिया (यूगांडा) लिमिटेड	Bank of India (Uganda) Limited	53.61 (31.11)	39.87 (31.11)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	57.74 (57.74)	57.74 (57.74)	111.35 (88.85)	97.61 (88.85)
6	बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लिमिटेड	Bank of India (Botswana) Limited	21.86 (0.00)	21.86 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	33.82 (33.82)	33.82 (33.82)	55.68 (33.82)	55.68 (33.82)
7	बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट लि;	BOI Axa Investment Managers Private Limited	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	49.48 (42.70)	49.48 (42.70)	49.48 (42.70)	49.48 (42.70)
8	बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्राइवेट लि.	BOI Axa Trustee Services Private Limited	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
9	बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि.	BOI Merchant Bankers Limited	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	10.00 (10.00)	10.00 (10.00)	10.00 (10.00)	10.00 (10.00)
10	स्टार यूनियन दाई-ची लाईफ इन्शूनस कं. लि.,	Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	120.00 (120.00)	120.00 (120.00)	120.00 (120.00)	120.00 (120.00)
11	एसटीसीआई फाईनांस लि.	STCI Finance Limited	500.00 (500.00)	99.76 (495.92)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	130.10 (130.10)	130.10 (130.10)	630.10 (630.10)	229.86 (626.02)
12	एएसआरईसी (इंडिया) लि;	ASREC (India) Limited	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	27.60 (27.60)	27.60 (27.60)	27.60 (27.60)	27.60 (27.60)

क्र. स. Sr. No	इकाई का नाम	Name of the Entity	अग्रिम Advances				निवेश INVESTMENTS		कुल Total	
			निधी आधारित Fund Based		गैर निधी आधारित NFB					
			सीमा Limits	शेष O/s	सीमा Limits	शेष O/s	सीमा Limits	शेष O/s	सीमा Limits	शेष O/s
13	इंडो-झाम्बिया बैंक लि;	Indo-Zambia Bank Limited	0.00 (18.75)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	47.59 (47.59)	47.59 (47.59)	47.59 (66.34)	47.59 (47.59)
14	ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त	Gramin Bank of Aryavart	36.50 (30.45)	32.45 (8.2442)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	32.18 (32.18)	32.18 (32.18)	68.68 (62.63)	64.63 (40.42)
15	झारखंड ग्रामीण बैंक	Jharkhand Gramin Bank	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	39.44 (39.44)	39.44 (39.44)	39.44 (39.44)	39.44 (39.44)
16	नर्मदा मालवा झबुवा ग्रामीण बैंक	Narmada Malva Jhabua Gramin Bank	394.88 (428)	170.44 (283.2551)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	40.69 (40.69)	40.69 (40.69)	435.57 (468.69)	211.13 (323.94)
17	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	Vidharbha Konkan Gramin Bank	0.00 (134.1)	0.00 (91.4611)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	42.67 (42.67)	42.67 (42.67)	42.67 (176.77)	42.67 (134.13)
18	अलाईड बैंक ऑफ नायजेरिया लि;	Allied Bank of Nigeria Ltd	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	1.87 (1.87)	1.87 (1.87)	1.87 (1.87)	1.87 (1.87)
	अंतरसमह्र एक्स्पोजर की कुल राशि	**Total amount of Intra Group Exposure**	1292.61 (1355.64)	577.96 (1091.12)	0.10 (0.00)	0.10 (0.00)	1204.20 (1189.58)	1204.20 (1189.58)	2496.91 (2545.22)	1782.26 (2280.70)

ग.		
	बैंक का कुल एक्सपोजर	898,362.41
	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर का इंट्रा ग्रुप एक्स्पोजर में %	0.28 %
घ.	यथा 31.03.2016 तक इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन नहीं .	

5.17 जमाकर्ताओं का शिक्षा और जागरूकता फंड में अंतरण (डीईएएफ)

विवरण	2015-16	2014-15
डीईएएफ में अंतरित प्रारंभिक शेष राशि	38.54	0.00
जमा : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि	75.18	38.54
घटाएं :दावों के तहत डीईएएफ द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति	0.00	0.00
डीईएएफढ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	113.72	38.54

5.18 अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

क्र. स.	विवरण	2015-16	2014-15
क	प्रारंभिक शेष प्रावधानों के खाते	83.20	0.00
ख	लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों की मात्रा	6.46	**83.20**
ग	लेखा वर्ष के दौरान राशि रिवर्स	16.08	0.00
घ	प्रावधानों के खाते में समापन संतुलन	73.58	**83.20**

यथा 31.03.2016, उपलब्ध डाटा और उधारकताओंसे जहां-जहां प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, बैंक ने कुल ₹ 73.58 का प्रावधान किया है। इस एक्सपोज़र पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए ₹ 1287.83 है, जोकि अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता ₹ 115.90 के निमित है।

C.		
	Total Exposure of the Bank	898,362.41
	% of Intra group Exposure to total exposure on Borrowers/Customers	0.28%
D.	There is no breach of intra group exposure limit as on 31.03.2016.	

5.17 Transfers to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening balance of amounts transferred to DEAF	38.54	0.00
Add : Amounts transferred to DEAF during year	75.18	38.54
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.00	0.00
Closing balance of amounts transferred to DEAF	113.72	38.54

5.18 Unhedged Foreign Currency Exposure

Sr. No.	Particulars	2015-16	2014-15
a	Opening balance provisions account	83.20	0.00
b	The quantum of provisions made in the accounting year	6.46	83.20
c	Amount Reversed during the accounting year	16.08	0.00
d	Closing balance in the provisions account	73.58	83.20

As on 31.03.2016, based on available data and declaration from the borrowers, wherever received, the Bank has created total provision of ₹ 73.58. The additional RWA on this exposure is ₹ 1287.83, as against this additional minimum capital requirement is ₹ 115.90.

6. चलनिधि कवरेज अनुपात

मात्रात्मक प्रकटन

6. Liquidity Coverage Ratio

Quantitative Disclosure

	विवरण Particulars	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value(average)
उच्च् स्तरीय चलनिधि आस्तियाँ HIGH QUALITY LIQUID ASSETS			
1	कुल उच्च स्तरीय आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Assets(HQLA)		61786.45
नकदी बाह्य प्रवाह **CASH OUTFLOW**			
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों की , जिसमें से Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	339,339.09	33,610.35
(i)	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	6,476.05	324.05
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	332,863.04	33,286.30
3	अप्रतिभूत थोक निधियां, जिसमें से: Unsecured wholesale funding of which:	89,564.67	43,561.91
(i)	परिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	27,838.57	9,585.16
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non -operational deposits (all counterparties)	55,471.05	27,721.70
(iii)	अप्रतिभूत ऋण unsecured debts	6,255.05	6,255.05
4	जमानती थोक निधियन Secured wholesale funding		-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से Additional requirements, of which	17,928.45	6,209.24
(i)	ब्युत्पन्न एक्सपोज़र से संबंधित बहिर्गमन Outflows related to derivative exposures and other collateral requirement	581.20	581.20
(ii)	त्रुण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	-	-
(iii)	त्रुण तथा चलनिधि सुविधाएं Credit and liquidity facilities	17,347.24	5,628.04
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व Other contractual funding obligations	8,942.68	7,936.45
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other contingent funding obligations	43,144.31	2,157.22
8	कुल नकदी बहिर्गमन TOTAL CASH OUTFLOWS		93,475.17
नकदी अंतर प्रवाहCASH INFLOW			
9	प्रतिभूत उधार (उदा:रिवर्स रेपो) Secured lending(e.g. reverse repos)	4,829.40	2,901.55
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से अंतर प्रवाह Inflows from fully performing exposures	28,447.53	20,089.11

	विवरण Particulars	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value(average)
11	अन्य नकदी अंतरप्रवाह Other cash inflows	9,808.54	6,428.85
12	कुल नकदी अंतरप्रवाह TOTAL CASH INFLOWS	43,085.47	29,419.51
			Total Adjusted Value 3
	कुल एचक्यूएलए TOTAL HQLA		61,786.45
	कुल निवल नकदी बहिर्गमन TOTAL NET CASH OUTFLOWS		64,055.66
	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		96.46

एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटन

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रभावी तिथि 1ली जनवरी, 2015 तक बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देशों को कार्यन्वित किया।

एलसीआर का मानक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को यथोचित स्तर पर अनुरक्षित करता है अत्यधिक चलनिधि दबाव परिदृश्य के अन्तर्गत 30 कलेंडर दिन सीमा के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचक्यूएलए को नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियां}}{\text{अगले 30 कलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$$

यहाँ ,

- एचक्यूएलए लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं, दूसरे शब्दों में यह नकदी हैं या नकदी मदों के करीब हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर बाज़ार में आसानी से उपयोग किया जा सकता है/भुनाया जा सकता है।
- भारिबैं/बासेल द्वारा परिभाषा के अनुसार दबाव की स्थिति के अन्तर्गत कुल बहिर्गमन पर कुल आगमन का निवल नकदी बहिर्गमन अधिक रहता है। निवल नकदी बहिर्गमन पर पहुंचने के लिए, आगमन को पूर्व परिभाषित मार्जिन के साथ लेना चाहिए तथा बहिर्गमन को पूर्व परिभाषित निकालना पैक्टर पर लेना चाहिए।
- प्रभावि तिथि 01.01.2015 से, अविरत आधार पर 60% एलसीआर को बनाए रखना बैंकों के लिए आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष 10% वृद्धि के साथ 01.01.2019 तक यह 100% तक पहुंच जाए।

वर्णन	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

एलसीआर का मुख्य संचालक: उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) खुदरा ग्राकों से उच्च निधियन स्रोत के न्यून निवल नकदी प्रवाह एलसीआर के मुख्य संचालक हैं। एचक्यूएलए का प्रचुर स्टॉक एलसीआर विकसित करने में बैंक का सहायक होता है क्योंकि अधिक एसएलआर के प्रचुर राशि को बैंक बनाए रखता है।

आंतर अवधि परिवर्तन साथ ही साथ ओवरटाइम परिवर्तन: चालू वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ,मासिक एलसीआर स्थिति निम्नवत है :-

Qualitative disclosures with regard to LCR

W.e.f. 1st January 2015, the Bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) as directed by Reserve bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. At a minimum, the stock of liquid assets should enable the bank to survive until day 30 under a severe liquidity stress scenario.

$$\text{LCR} = \frac{\textbf{H}\text{igh }\textbf{Q}\text{uality }\textbf{L}\text{iquid }\textbf{A}\text{ssets}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

Here,

- HQLA comprises of level 1 and level 2 assets, in other words these are cash or near to cash items which can be easily used / discounted in the market in case of need.
- Net cash outflows are excess of total inflows over total outflows under stressed situation as defined by BCBS / RBI. While arriving at the net cash outflow, the inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run-off factors.
- In case stressed inflows are more than the stressed outflows, 25% of total outflows shall be taken as total net cash outflows to arrive at the LCR.
- With effect from 01.01.2015, Banks are required to maintain minimum LCR on an on-going basis as given below:

Details	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

Main Drivers of LCR: Main drivers of the LCR is adequacy of High Quality Liquid Assets (HQLA) and lower net cash outflow on account of higher funding sources from retail customers. Adequate stock of HQLA helps the Bank to maintain comfortable LCR position as the Bank maintains significant amount of excess SLR.

Intra-period changes as well as changes over time: For the current financial year 2015-2016, monthly LCR positions were as below:

महीना	एलसीआर %	महीना	एलसीआर %
अप्रैल'2015	117.01	अक्तूबर' 2015	98.32
मई' 2015	122.23	नवम्बर' 2015	96.75
जून'2015	105.70	डिसेंबर' 2015	82.75
जुलाई'2015	107.13	जनवरी' 2016	84.99
अगस्त'2015	75.79	फरवरी' 2016	92.56
सितंबर' 2015	80.32	मार्च' 2016	111.74

सभी रिपोर्टिंग महीनों में, एलसीआर की स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक की शर्तों के अनुसार थी। अगस्त 2015 माह में एलसीआर स्थिति जुलाई 2015 की 107.13% से गिर कर 75.79% अतिरिक्त एसएलआर की स्थिति और खुदरा जमा में कमी के कारण हुई है, लेकिन यह 60% की नियामक आवश्यकता से अभी भी अधिक था। फरवरी 2016 के महीने के बाद से एलसीआर में वृद्धि एफएएलएलसीआर के तहत एनडीटीएल के 3% एचक्यूएलए (तरलता कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि लाभ के लिए सुविधा) के कारण है जिसकी अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी है और मार्च, 2016 में अतिरिक्त एसएलआर में वृद्धि हुई है।

एचक्यूएलए की संरचना: उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की संरचना में प्रमुखतया नकदी शेष, अधिक एसएलआर, अधिक सीआरआर तथा एफएएलएलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि सुविधा प्राप्त करना) प्रमुखतया होता है।

आज की तिथि तक चक्यूएलए संरचना का प्रकटन निम्नलिखित है:

हाथ में नकदी	10.26%
अधिक सीआरआर शेष	2.30%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूतियाँ	31.43%
एफएएलएलसीआर (एमएसएफ के लिए अनुमत वर्तमान में एनडीटीएल का 7 प्रतिशत तक) सहित एमएसएफ के अन्तर्गत भारिबैं द्वारा अनुमत अनुसार न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूतियां	48.84%
बासेल II के मानक दृष्टिकोण के अन्तर्गत 0%, जोखिम के विदेशी सार्वभौम द्वारा जारी या रारंटीकृत प्रतिभूतियां	7.17%

निधियन स्रोत का संकेन्द्रीकरण: बैंक का अधिकांश निधियन स्रोत खुदरा ग्राहकों से है (लगभग 60%) अतएव बहिर्गमन दबाव तुलनात्मक ढंग से कम है। यद्यपि, मियादी जमाराशियों के लिए किसी अप्रतिदेय विकल्प के अभाव में भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार बहिर्गमन अनुभाग के अन्तर्गत लगभग सभी जमाराशियों को बैंक ने गौर किया। किसी महत्वपूर्ण पक्षकार से निधियन सकेन्द्रण बैंक का नहीं था। बैंक के कुल देयताओं का 1% से अधिक के लिए सकल लेखाप्रणाली हेतु संबंधित समूह या सम्बद्ध प्रतिपक्षकारों अथवा कल प्रतिपक्षकार के रूप में एक उल्लेखनीय प्रतिपक्षकार को परिभाषित किया गया है।

व्यत्पन्नी एक्सपोज़र तथा संभाव्य संपार्श्विक कॉल: डेरिवेटिव कारोबार में बैंक का घरेलू परिचालन में बहुत कम क्सपोज़र है। यद्यपि, विदेशी परिचालन में व्यत्पन्नी कारोबार कम है तथा अत्यधिक उल्लेखनीय नहीं है।

एलसीआर में मुद्रा बेमेल: भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसरण में क महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जिसमें उस मुद्रा में कुल मूल्यवर्गित देयताएं बैंक की कुल देयताएं का 5 प्रतिशत या अधिक हो। हमारे मामले में यूएसडी एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्रा है अतएव हम एलसीआर का परिकलन येसडी मुद्रा में करते हैं। भारिबैं द्वारा यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि हम एलसीआर को एक निश्चित स्तर तक क उल्लेखनीय मुद्रा में ही परिकलित किया जाए। यथा 31 मार्च, 2016 बैंक के यूएसडी मूल्यवर्गित मुद्रामें एलसीआर की स्थिति 2227.32% है।

चलनिधि प्रबंधन की संकेन्द्रीकरण के डिग्री का वर्णन तथा समूह के इकाईयों में पारस्परिक क्रिया: उद्यम स्तर पर बैंक का तरलता प्रबंधन, बोर्ड स्तरीय कार्य है तथा बोर्ड (आर.कॉम) की एक अलग उप-समिति इसपर निगाह रखती है। नियमित अंतराल पर एएलसीओ के चलनिधि प्रबंधन की नियमित निगरानी की जाती है। संपूर्ण

Month	LCR% age	Month	LCR% age
April'2015	117.01	October'2015	98.32
May'2015	122.23	November'2015	96.75
June'2015	105.70	December'2015	82.75
July'2015	107.13	January'2016	84.99
August'2015	75.79	February'2016	92.56
September'2015	80.32	March'2016	111.74

In all the reporting months, LCR positions were within the RBI stipulations. LCR position in the month of August 2015 dropped to 75.79% from 107.13% in July 2015 due to decrease in excess SLR position and retail deposits but the same was still above the regulatory requirement of 60%. The increase in LCR from the month of February 2016 onwards is on account of increase in HQLA by 3% of NDTL under FALLCR (Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio) as allowed by RBI and increase in excess SLR in Mar'2016.

Composition of HQLA: The composition of High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of cash balances, excess SLR, excess CRR and FALLCR (Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio).

The composition of HQLA as on date of disclosure is given below:

Cash in hand	10.26%
Excess CRR balance	2.30%
Government securities in excess of minimum SLR Requirement	31.43%
Government securities within the mandatory SLR Requirement, to the extent allowed by RBI under MSF including FALLCR (presently to the extent of 10 percent of NDTL as allowed for MSF)	48.84%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk weight under Basel II standardised approach	7.17%

Concentration of funding sources: Majority of Bank's funding sources are from retail customers, therefore the stressed outflows are comparatively lower. However, in absence of any non-callable option for term deposits, the Bank has considered almost all deposits under outflow section as per RBI guidelines. Bank also does not have funding concentration from any significant counterparty. A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

Derivative Exposures and potential collateral calls: Domestic operation of the Bank has very little exposure in derivative business. However, there is small derivative business in overseas operations but the same is not very significant.

Currency mismatch in the LCR: In terms of RBI guidelines, a significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. In our case, USD is the only significant currency therefore we also calculate LCR in USD currency. There is no such stipulation given by the RBI to maintain the LCR in significant currency up to a certain level. As on 31st March 2016, Bank's LCR position in USD denominated currency is 227.32%.

Description of the degree of centralisation of liquidity management and interaction between the group's units: The liquidity management of the Bank at enterprise level is a Board level function and a separate sub-committee of the Board (R.Com.) keeps close watch on that. The periodical monitoring of the liquidity

चलनिधि प्रबंधन प्रक्रिया बैंक की एएलएम नीति से शासित होती है।

घरेलू परिचालनों के लिए चलनिधि प्रबंधन के केन्द्रीय कार्य है जो प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रबंधित किया जाता है। निगरानी तथा नियंत्रण के लिए तथा स्तानीय विनियामक का अनुपालन भी प्रत्येक केन्द्र के क्षेत्राधिकार अनुसार विदेशी चलनिधि प्रबंधन किया जाता है। बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग विदेशी चलनिधि स्थिति पर निगरानी रखता है तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर केन्द्रिक रूप से सम्पूर्ण चलनिधि निगरानी की जाती है।

एलसीआर परिकलन में अन्य आगमन और बहिर्गमन एलसीआर सामान्य टेम्पलेट में अभिग्रहित नहीं होता है किन्तु अपने चलनिधि प्रोफाइल के लिए संस्था इसे उपयुक्त समझती है: ऐसा कोई आगमन और बहिर्गमननहीं है जो तरलता प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक माना जा सकता है और पकड़ा नहीं जा रहा है।

7. अन्य नोट

क) आयकर

I. आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में दावों की अभिस्वीकृति नहीं ली गई है जिसके अंतर्गत ₹ 555.07 करोड़ (विगत वर्ष में ₹ 961.37 करोड़) की विवादित आय कर/ ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं। इन दावों के मामलों में पूर्व में अभिनिर्धारित विभिन्न न्यायिक विवादों के आधार पर आवश्यक कर के प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है। इनको अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत भुगतान/ समायोजित तथा सम्मिलित कर लिया गया है।

II. कतिपय विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार किये जाने के बाद वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान किया गया है।

III आयकर हेतु ₹ 308.63 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 483.55 करोड़) के प्रावधान को विभिन्न अपील प्राधिकारियों के अनुकूल निर्णयों के आधर पर इस वर्ष के दौरान वापस राइटबैक कर दिया गया है/ अनुमान की समीक्षा विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर करें।

समेकित वित्तीय विवरणों से नोट:

1. अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं।

management is being monitored to the ALCO on regular intervals. The entire liquidity management process of the Bank being governed by ALM Policy of the Bank.

The liquidity management for domestic operations is the central function, being managed at Head Office level. The overseas liquidity management is being handled at each centre jurisdiction wise to keep close monitoring and control and also to comply with the local regulatory requirements as well. International Division of the Bank keep watch on the overseas liquidity position and the overall liquidity monitoring is done at Head Office level centrally.

Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile: There are no such inflows and outflows which can be considered to be relevant for liquidity profile and not being captured.

7. Other Notes

a) Income Tax:

I. Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 555.07 (previous year ₹ 961.37) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/ adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

II. Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the various judicial decisions on certain disputed issues.

III. During the year, the Bank has made Provision for Taxation pertaining to earlier years of ₹ 308.63 (previous year write back of ₹ 483.55) based on orders of Income Tax Authorities/review of estimates based on the expert's advice.

Notes from Consolidated Financial Statements:

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of Bank of India (the Parent Bank) are as under:

	अनुषंगियों का नाम		Names of Subsidiaries	शामिल (इन्कॉर्पोरेशन) देश Country of Incorporation	यथा 31.03.2016 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2016	यथा 31.03.2015 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2015
	घरेलू अनुषंगियाँ		Domestic Subsidiaries:			
क	बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.	a)	BOI Shareholding Ltd.	India	100%	51%
ख	बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि.	b)	BOI AXA Investment Managers Pvt Ltd.	India	51%	51%
ग	बीओआई अक्सा ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि.	c)	BOI AXA Trustee Services Pvt Ltd.	India	51%	51%
घ	बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि.	d)	BOI Merchant Bankers Ltd	India	100%	100%
	विदेशी अनुषंगियाँ		Overseas Subsidiaries:			
क	पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	a)	PT Bank of India Indonesia Tbk	Indonesia	76%	76%
ख	बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लिमिटेड	b)	Bank of India (Tanzania) Ltd.	Tanzania	100%	100%
ग	बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैन्ड) लिमिटेड	c)	Bank of India (New Zealand) Ltd.	New Zealand	100%	100%
घ	बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड	d)	Bank of India (Uganda) Ltd.	Uganda	100%	100%
ङ	बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लिमिटेड	e)	Bank of India (Botswana) Ltd.	Botswana	100%	100%

2. समेकित विवरण पत्रों में विचार की गयी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमियों के विवरण इस प्रकार है।

(i) सहयोगी कंपनियां:

	सहयोगी के नाम	शामिल देश	यथा 31.03.2016 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2015 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
क	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
	आर्यवर्त ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
ख	इंडो ज़ाम्बिया बैंक लि.	जाम्बिया	20%	20%
ग	एसटीसीआई फैनन्स लिमिटेड	भारत	29.96%	29.96%
घ	एएसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत	26.02%	26.02%

(ii) संयुक्त उद्यम:

संयुक्त उद्यम का नाम	शामिल देश	यथा 31.03.2016 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2015 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	48%	48%

3. इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमियों एवं सहयोगियों के विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात 31 मार्च, 2016 तक बनाए गए हैं, सिवाय एक सहायक कंपनी इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईज़ेडबीएल) के। आईज़ेडबीएल के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर, 2015 तक तैयार किए गए थे और 31 मार्च 2016 को समाप्त तिमाही के लिए कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार रिपोर्ट नहीं किए गए थे।

4. स्वदेशी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमियों/सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमियों/सहयोगियों द्वारा अपनायी गयी भिन्न-भिन्न लेखांकन पॉलिसियों के कारण उत्पन्न लेखागत समायोजन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम/सहयोगियों द्वारा मुहैया कराए गए डाटा के आधार पर किए गए है।

5. समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्न के आधार पर तैयार किए गए हैं :

(i) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2016 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतंत्र समीक्षाकर्ता द्वारा समीक्षित हैं और शामिल देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

(ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2016 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतन्त्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं। बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.012.2015 के विवरण पत्र शामिल के देश की स्थानीय अपेक्षाओं के मुताबिक लेखा परीक्षित हैं।

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

(i) Associates:

	Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2016	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2015
a)	Regional Rural Banks-			
i)	Jharkhand Gramin Bank	India	35%	35%
ii)	Narmada Jhabua Gramin Bank	India	35%	35%
iii)	Vidharba Konkan Gramin Bank	India	35%	35%
iv)	Gramin Bank of Aryavart	India	35%	35%
b)	Indo Zambia Bank Limited	Zambia	20%	20%
c)	STCI Finance Ltd.	India	29.96%	29.96%
d)	ASREC (India) Ltd.	India	26.02%	26.02%

(ii) Joint Venture:

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2016	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2015
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited	**India**	**48%**	**48%**

3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent Bank i.e. 31st March 2016 except for an associate Indo Zambia Bank Limited (IZBL). IZBL's financial statements were prepared up to 31st December 2015 and reported no significant transaction for the quarter ended 31st March 2016.

4. In case of Domestic subsidiaries/joint venture/associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by Parent Bank and subsidiaries/joint venture/associates have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/joint venture/associates.

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :

(i) Financial statements of PT Bank of India Indonesia Tbk as on 31.03.2016 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(ii) Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2016 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer. The Financial Statements as at 31.12.2015 of Bank of India (Tanzania) Ltd. has been audited as per the local requirements of the country of incorporation.

(iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. के यथा 31.03.2016 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतन्त्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं।

(iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. के यथा 31.03.2016 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

(v) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के यथा 31.03.2016 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

(vi) 31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बीओआई शेयर होल्डिंग लि., स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेन्स कम्पनी लि., एसटीसीआई फाइनेंस लि., झारखंड ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण के लेखा परीक्षित विवरणपत्र और 31.12.2015 को समाप्त नौ महीनों के लिए इंडो बैंक जाम्बिया बैंक लि. के लेखा परीक्षित विवरणपत्र.

(vii) 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि., बीओआई अक्सा ट्रस्टीज़ सर्विसेज़ प्रा.लि., एएसआरईसी (इंडिया) लि., नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक एवं आर्यवर्त ग्रामीण बैंक के बिना लेखा परीक्षित विवरणपत्र उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं।

6. लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्ट करना

भाग क: कारोबार खण्ड

(iii) Financial statements of Bank of India (New Zealand) Ltd. as on 31.03.2016 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer.

(iv) Financial statements of Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2016 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(v) Financial statements of Bank of India (Botswana) Ltd. as on 31.03.2016 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(vi) Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., BOI Merchant Bankers Ltd., BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd., BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd., Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., STCI Finance Ltd. for the financial year ended 31.03.2016 and Indo Zambia Bank Ltd. for the nine months ended 31.12.2015.

(vii) Unaudited financial statements of ASREC (India) Ltd., Vidharbha Konkan Gramin Bank, Narmada Jhabua Gramin Bank, Jharkhand Gramin Bank and Gramin Bank of Aryavart for the financial year ended 31.03.2016 certified by their management.

6. AS 17 "Segment Reporting"

Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		कुल Total	
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व	Revenue	12065.51	12921.95	20059.30	21934.90	14541.37	13057.57	46666.18	47914.42
गैर-आबंटित राजस्व	Unallocated Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(730.87)	172.28
अंतर खंड राजस्व	Inter Segment Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170.85	123.75
कुल राजस्व	Total Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45764.46	47962.95
परिणाम	Results	1060.29	1776.43	(7420.77)	750.07	(288.84)	191.23	(6649.33)	2717.73
गैर-आबंटित व्यय	Unallocated Expenses	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(1256.56)	(601.40)
परिचालन लाभ	Operating profit	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(7905.89)	2116.33
आयकर	Income Tax	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(1701.63)	103.42
असाधारण लाभ/हानि	Extraordinary profit/ loss	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0.00	0.00
निवल लाभ	Net Profit	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(6204.25)	2012.91
अन्य जानकारी :	**Other Information:**								
खंड आस्तियां	Segment Assets	202795.67	187902.71	282837.56	317373.16	114760.90	102949.21	600394.13	608225.08
गैरआबंटित आस्तियां	Unallocated Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16235.11	17059.66
कुल आस्तियां	Total Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	616629.23	625284.74
खंड देयताएं	Segment Liabilities	194677.31	180549.59	272439.64	304581.81	111395.46	99138.12	578512.42	584269.52
गैर आबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4771.16	8492.38
कुल देयताएं	Total Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	583283.57	592761.90

नोट: गैर बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों से संबंधित सूचना को अनाबंटित खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है।

Note: Information in respect of Non Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

भाग बी : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	Domestic		International		Total	
विवरण	Particulars	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व	Revenue	40369.10	42682.31	5395.36	5280.64	45764.46	47962.95
आस्तियां	Assets	442167.10	458875.86	174462.13	166408.88	616629.23	625284.74

बैंक ने लेखांकन मानक (एएस) 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बीओआई समूह ने कारोबारी खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को गौण खंड के रूप में मान्यता दी है।

I. प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

ए) **कोषागार परिचालन:** खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

बी) **थोक बैंकिंग:** थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

सी) **खुदरा बैंकिंग:** खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर : अधिकतम कुल एक्सपोजर ₹ 5 करोड़ तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 करोड़ से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

डी) **अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण**

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

ई) **लागत का विनियोजन**

- विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

- विशेष खण्ड को सीधे न प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

II. गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

7. लेखांकन मानक 27 "संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग"

निवेश में शामिल हैं ₹ 120 करोड (पिछल वर्ष ₹ 120 करोड) निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित ईकाई में बैंक की ब्याज का प्रतिनिधित्व:

क्र. स.	कंपनी का नाम	राशि	निवास देश	होल्डिंग%
1	स्टार यूनियन डाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.,	रू. 120 करोड	भारत	48%

The BOI group has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with AS17.

I. Primary Segment: Business Segments

a) **Treasury Operations:** 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) **Retail Banking :** Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

d) **Pricing of Inter-Segmental transfers**

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

e) **Allocation of Costs**

-Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment

-Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees / business managed.

II. Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

7. AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures":

Investments include ₹ 120 Crore (Previous year ₹ 120 Crore) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of Residence	Holding %
1	Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	₹ 120 Cr.	India	48%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
देयताएं		
पूंजी एवं आरक्षितियां	1.73	0.00
जमाराशियां	0.00	0.00
उधार	0.00	0.00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	2768.07	2635.25
कुल	**2769.80**	**2635.25**
आस्तियां		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	3.98	1.35
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	19.00	22.07
निवेश	2559.06	2461.20
अग्रिम	4.99	3.51
अचल आस्तियां	4.53	3.15
अन्य आस्तियां	178.24	143.97
कुल	**2769.80**	**2635.25**
पूंजीगत बाध्यताएं	0.00	0.00
अन्य आकस्मिक देयताएं	5.20	1.97
आय		
अर्जित ब्याज	5.79	5.08
अन्य आय	39.39	2.80
कुल	**45.18**	**7.88**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.00	0.00
परिचालन व्यय	32.88	3.94
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	0.00	0.00
कुल	**32.88**	**3.94**
लाभ / (हानि)	**12.30**	**3.94**

8. जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है विगत वर्ष के आंकडों को पुन:समूहित/पुन:व्यवस्थित किया गया है।

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Liabilities		
Capital & Reserves	1.73	0.00
Deposits	0.00	0.00
Borrowings	0.00	0.00
Other Liabilities & Provisions	2768.07	2635.25
Total	**2769.80**	**2635.25**
Assets		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	3.98	1.35
Balances with Banks and Money at call and short notice	19.00	22.07
Investments	2559.06	2461.20
Advances	4.99	3.51
Fixed Assets	4.53	3.15
Other Assets	178.24	143.97
Total	**2769.80**	**2635.25**
Capital Commitments	0.00	0.00
Other Contingent Liabilities	5.20	1.97
Income		
Interest Earned	5.79	5.08
Other Income	39.39	2.80
Total	**45.18**	**7.88**
Expenditure		
Interest Expended	0.00	0.00
Operating Expenses	32.88	3.94
Provisions & Contingencies	0.00	0.00
Total	**32.88**	**3.94**
Profit / (Loss)	**12.30**	**3.94**

8. Previous year's figures have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारक

संक्षिप्त वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

संलग्न संक्षिप्त वित्तीय विवरण जिसमें स्टैण्डअलोन तथा समेकित (क) संक्षिप्त तुलन पत्र यथा 31 मार्च, 2016, (ख) संक्षिप्त लाभ तथा हानि खाता और (ग) समाप्त हुए वर्ष का संक्षिप्त नकदी प्रवाह, और संबंधित टिप्पणियां शामिल हैं जो 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया के लेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन और समेकित वित्तीय विवरणियों से लिए गए हैं। हमारे दिनांक 24 मई, 2016की रिपोर्ट में हम उन वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित लेखा अभिमत व्यक्त करते हैं।

संक्षिप्त वित्तीय विवरण में बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों के लिए आवश्यक सभी प्रकटन शामिल नहीं हैं। अत: संक्षिप्त वित्तीय विवरण को पढ़ा जाना बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को पढ़ने की जगह नहीं ले सकता।

संक्षिप्त वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक 1 अगस्त, 2012 में जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप वित्तीय विवरणों का सारांश तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है, जो 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर भारत में सामान्यत: स्वीकृत विनियामक दिशानिर्देशों, लेखांकन मानकों और लेखांकन सिद्धांतों पर तैयार किया गया है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपनी कार्यविधि, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एसए) 810, संक्षिप्त वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट करने के नियम के अनुरूप जारी किए गए हैं,के आधार पर संक्षिप्त वित्तीय विवरण पर अपनी राय व्यक्त करें।

राय

हमारी राय में संक्षिप्त वित्तीय विवरण वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 1 अगस्त, 2012 के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है और यह 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणों से ली गई है और उन वित्तीय विवरणियों का उचित सारांश है।

Independent Auditor's Report

To

The Shareholders of Bank of India

Report on the abridged Financial Statements

The accompanying abridged Financial Statements, which comprise the Standalone and consolidated (a) abridged Balance Sheet as at 31st March, 2016 (b) the abridged Profit and Loss Account and (c) abridged Cash Flow Statement for the year then ended, and related notes are derived from the audited standalone and consolidated Financial Statements of Bank of India ('the Bank') for the year ended 31st March 2016. We express an unmodified audit opinion on those Financial Statements in our report dated 24th May, 2016.

The abridged financial statements do not contain all the disclosures required by the Accounting Standards applied in the preparation of the audited financial statements of the Bank. Reading the abridged Financial Statements, therefore, is not a substitute for reading the audited financial statements of the Bank.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Management is responsible for the preparation of summary of financial statements in accordance with guidelines issued by Ministry of Finance, Government of India vide their letter dated 1st August, 2012, which are based on the audited financial statements for the year ended 31st March, 2016 prepared in accordance with regulatory guidelines, accounting standards and accounting policies generally accepted in India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the abridged financial statements based on our procedures which are conducted in accordance with Standard of Auditing (SA) 810, "Engagements to report on summary financial statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Opinion

In our opinion, the abridged financial statements prepared in accordance with guidelines issued by Ministry of Finance, Government of India vide their letter dated 1st August, 2012, are derived from the audited financial statements of the bank for the year ended 31st March,2016 and are a fair summary of those financial statements.

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं
For M/s. M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)

संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
(एम. नं. 044577) M. No. 044577

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय
For M/s. J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)

अरूण मॅगॉन Arun Magon
भागीदार Partner
(एम. नं. 093323) M. No. 093323

मेसर्स डी. सिंह. एंड कं.
For M/s. D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)

सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
(एम. नं. 098641) M. No. 098641

मेसर्स ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता
For M/s. Grover Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)

पंकज बंसल Pankaj Bansal
भागीदार Partner
(एम. क्र. 502661) M. No. 502661

मेसर्स बी रतन अँड एसोशिएटस
For M/s. B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)

बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn
भागीदार Partner
(एम. क्र. 094790) M. No. 094790

मेसर्स जी डी आपटे अँड कंपनी
For M/s. G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)

सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
भारत के राष्ट्रपति,

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट:

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के यथा 31 मार्च, 2016 की वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है जिसके साथ यथा 31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता, उस समय समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना संलग्न थे। इन वित्तीय विवरणियों में निम्नलिखित विवरणियाँ शामिल हैं :-

   ए. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय , 20 शाखाएं और ट्रेज़री शाखा ;

   बी. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3102 घरेलू शाखाएं , और

   सी. स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 27 विदेशी शाखाएं

   बैंक ने हमारे द्वारा लेखा परीक्षित एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है सिवाय एक विदेशी शाखा की जिसकी लेखा परीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा नहीं की गई जिसका योगदान अग्रिम का 1.38%, जमाराशि का 1.27%, ब्याज आय का 0.45% और ब्याज व्यय का 0.33% है।

   तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते में उन 1893 घरेलू शाखाओं की विवरणियों का भी समावेश है, जो लेखा परीक्षा के अध्यधीन नहीं हैं और एक विदेशी शाखा जिसकी लेखापरीक्षा नहीं हुई है। ये गैर-लेखा परीक्षित शाखाएं 5.20% अग्रिम, 14.03% जमाराशियां, 3.66% ब्याज आय और 13.02% ब्याज व्यय का योगदान करती हैं

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:

2. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों सहित मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं के अनुसरण में तैयार किया जाता है । इन जिम्मेदारियों में धोखाधड़ी या गलती के कारण तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों की तैयारी, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी:

3. हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इन वित्तीय विवरणों पर आधारित हमारी लेखा परीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करें। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप हमने अपना लेखा परीक्षा कार्य किया है। इन मानकों की यह अपेक्षा थी कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाए एवं उसका क्रियान्वयन इस तरह करें कि हम इस संबंध में इस बात का समुचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The President of India

Report on the Financial Statements:

1. We have audited the accompanying financial statements of Bank of India ("the Bank") as at March 31, 2016, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of:

   a. The Head Office, 20 branches and Treasury branch audited by us;

   b. 3102 domestic branches audited by other auditors; and

   c. 27 foreign branches audited by local auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India except for a foreign branch not audited by local auditor, which account for 1.38% of advances, 1.27% of deposits, 0.45% of interest income and 0.33% of interest expenses.

   Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1893 domestic branches which have not been subjected to audit and 1 foreign branch which has not been audited. These unaudited branches account for 5.20% of advances, 14.03% of deposits, 3.66% of interest income and 13.02% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements:

2. The Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the requirement of Reserve Bank of India, provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, recognised accounting practices including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility:

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. किसी लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणियों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं जिसमें वित्तीय विवरणियों में, धोखाधड़ी या गलती की वजह से, तात्विक अशुद्ध कथनों के जोखिमों का आकलन शामिल है। इन जोखिम आकलनों को करने में , इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने हेतु बैंक की तैयारी एवं वित्तीय विवरणियों की न्याय संगत प्रस्तुति हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों पर लेखा परीक्षक विचार करता है न कि बैंक की आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए। किसी लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं ।

अभिमत:

6. हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं बैंक की बहियों में दर्शाए गए के अनुसार :

अ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और उस पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र आवश्यक विवरणों वाला पूर्ण और उचित तुलन-पत्र है और सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि यथा 31 मार्च, 2016 को बैंक की गतिविधियों का भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत हो;

बी. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और उस पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि खाता, खाते द्वारा कवर किए गए वर्ष के लिए, सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप लाभ का सही तुलन दर्शाता है; और

सी. नकदी प्रवाह विवरण, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही व उचित दृश्य प्रस्तुत करता है।

इस मामले का प्रभाव:

7. हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

ए वित्तीय विवरण का नोट सं.18.4 जो संदिग्ध (प्रतिभूत हिस्सा) के रूप में वर्गीकृत एनपीए के संबंध में प्रावधानीकरण के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन - एक वर्ष से तीन वर्ष से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए एनपीए के लिए प्रावधान में ₹ 2835.68 करोड़ की कमी जिसके फलस्वरूप वर्ष के लिए निवल हानि (कर को घटाकर) में ₹ 1854.31 करोड़ की कमी है;

बी वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9 (बी) जो एआरसी को वित्तीय आस्ति की बिक्री पर हानि के आस्थगन से संबंधित है जिसके फलस्वरूप परिचालन व्यय में ₹ 214.24 करोड़ की कमी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवल हानि (कर को घटाकर) में ₹ 140.10 करोड़ की कमी है;

सी वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9 (सी) जो आरबीआई परिपत्र 12 अप्रैल 2016 के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा लिए गए खाद्य ऋण के संबंध में प्रावधान से संबंधित है;

डी वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9 (एफ) जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के अनुसरण में कतिपय अग्रिम के संबंध में पुन:वर्गीकरण और अतिरिक्त प्रावधान से संबंधित है;

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion:

6. In our opinion, as shown by books of Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

a. The Balance Sheet, read with significant accounting policies and notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2016 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

b. The Profit and Loss Account, read with significant accounting policies and notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

c. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter:

7. We draw attention to:

a. Note No.18.4 to the financial statements relating to change in accounting policy for provisioning in respect of NPAs classified as Doubtful (secured portion) – one year to three years resulting in decrease in provision for NPAs for the year by ₹ 2,835.68 Crores with consequential decrease in Net loss for the year (net of tax) by ₹ 1,854.31 Crores;

b. Note No. 18.9(b) to the financial statements regarding the deferment of the loss on sale of financial assets to ARCs resulting in decrease in operating expenses by ₹ 214.24 Crores with consequential decrease in Net loss for the year (net of tax) by ₹ 140.10 Crores;

c. Note No 18.9(c) to the financial statements regarding provision in respect of food credit availed by Government of Punjab, as per RBI Circular dated 12th April 2016.

d. Note No. 18.9(f) to the financial statements regarding reclassification and additional provision in respect of certain advances pursuant to Asset Quality Review conducted by Reserve Bank of India;

ई वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9 (आई) जो अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान हेतु आस्थागित कर आस्ति के मान्यता से संबंधित है;

एफ वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9(जे) जो वर्ष के दौरान कतिपय एनपीए के बिक्री पर हानि और कतिपय एनपीए के लिए प्रावधान के परिशोधन से संबंधित है, जो मार्च 2015 से आस्थगित किया गया है;

जी वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9 (के) जो आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों (डिस्कॉम) को ऋण/ बाण्ड के संबंध में प्रावधान से संबंधित है।

इन मामलों पर हमारी राय शर्त-मुक्त नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ और हानि खाता, क्रमशः बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' एवं 'बी' में तैयार किए गए हैं।

9. उक्त पैरा 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की आवश्यकताओं के अनुसार एवं इसमें अपेक्षित प्रकटन सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

ए हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी बैंक के लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं; और

सी बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पायी गयी हैं।

10. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

e. Note No 18.9(i) to the financial statements regarding recognition of Deferred Tax Asset on account of provisions for Non Performing Assets;

f. Note No. 18.9(j) to the financial statements regarding amortisation of provision for certain NPAs and loss on sale of certain NPAs during the year, which was deferred from March 2015;

g. Note No 18.9(k) to the financial statements regarding provision in respect of loans/bonds of Power Distribution Companies (DISCOM), as per extant RBI guidelines.

Our opinion is not qualified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b. The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank; and

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं
For M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)

संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
(एम. नं. 044577) M. No. 044577

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय
For J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)

अरूण मॅगॉन Arun Magon
भागीदार Partner
(एम. नं. 093323) M. No. 093323

मेसर्स डी. सिंह. एंड कं.
For D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)

सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
(एम. नं. 098641) M. No. 098641

मेसर्स ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता
For Grover Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)

पंकज बंसल Pankaj Bansal
भागीदार Partner
(एम. क्र. 502661) M. No. 502661

मेसर्स बी रतन अँड एसोशिएटस
For B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)

बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn
भागीदार Partner
(एम. क्र. 094790) M. No. 094790

मेसर्स जी डी आपटे अँड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)

सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (मूल बैंक) और अनुषंगियों, सहायकों और संयुक्त उद्यम, इसके बाद जिसे संयुक्त रूप से 'बोओआई ग्रुप" कहा गया है और समेकित विवरण के साथ 31 मार्च, 2016 के समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ हानि खाता और समाप्त हुए वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना की लेखा परीक्षा की है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित पर आधारित है-

   क. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित मूल बैंक के वित्तीय विवरण,

   ख. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परिक्षित चार स्वदेशी अनुषंगी, एक स्वदेशी संयुक्त उद्यम, तीन स्वदेशी सहायक कंपनियाँ, एक विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण, और

   ग. पांच विदेशी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण, जो प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनकी अन्य लेखा-परीक्षकों ने समीक्षा की है, और

   घ. तीन स्वदेशी सहायक कंपनियों एवं एक विदेशी सहायक कंपनी के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण।

समेकित विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व मूल बैंक के प्रबंधन का है, ये समेकित वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन और आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बीओआई ग्रुप के समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं; इसमें डिजाइन, कार्यान्वयन और वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुति के लिए संबंधित रख-रखाव शामिल हैं, जो सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि से हुआ हो।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षामानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करें और वित्तीय विवरण पत्र तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं, इसके बारे में समुचित एश्योरेंस प्राप्त करने के लिए योजना बनायें और उसका निष्पादन करें।

4. लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण के तात्विक अशुद्ध कथनों के मूल्यांकन का जोखिम शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखा परीक्षकने बीओआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण के

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITORS

To

The Board of Directors of Bank of India

Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Bank of India ("the Parent Bank") and its subsidiaries, associates and joint ventures collectively hereinafter referred to as "BoI Group" and the consolidated financial statements comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2016, the Consolidated Statement of Profit and Loss and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended together with a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The consolidated financial statements are based on –

   a) Financial statements of the Parent Bank audited by us;

   b) Financial statements of four domestic subsidiaries, one domestic joint venture, one domestic associates audited by other auditors; and

   c) Financial statements of five overseas subsidiaries prepared by the Management and reviewed by other auditors specifically for consolidation purpose; and

   d) Unaudited financial statements of four domestic associates and one overseas associate.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of BoI Group in accordance with accounting principles generally accepted in India; this includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the BOI Group's preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true

तैयार करने और प्रस्तुति में आंतरिक नियंत्रण संबद्धता का ध्यान रखा है, जो लेखा परीक्षा के डिजाइन के लिए सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करता है और जो इन परिस्थितियों में उचित है। लेखा परीक्षा में उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गये लेखा अनुमानों का मूल्यांकन और साथ ही समेकित वित्तीय विवरण की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गये लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखा राय को उचित आधार प्रदान करते हैं ।

अभिमत

6. हमारी राय और अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गये स्पष्टीकरण और अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों के विचार के आधार पर, यथा नीचे दिए गये, समेकित वित्तीय विवरण आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गये लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं।

   क. समेकित तुलन-पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार बीओआई ग्रुप के कार्यों की स्थिति,

   ख उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ का समेकित लाभ और हानि खाते की स्थिति और

   ग. उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण की स्थिति

इस मामले का प्रभाव

7. हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

   ए) समेकित वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9 जो संदिग्ध (प्रतिभूत हिस्सा) के रूप में वर्गीकृत एनपीए के संबंध में प्रावधानीकरण के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन एक वर्ष से तीन वर्ष से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए एनपीए के लिए प्रावधान में ₹ 2835.68 करोड़ की कमी जिसके फलस्वरूप वर्ष के लिए निवल हानि (कर को घटाकर) में ₹1854.31 करोड़ की कमी है;

   बी) वित्तीय विवरण का नोट सं.18.12 (ए) जो एआरसी को वित्तीय आस्ति की बिक्री पर हानि के आस्थगन से संबंधित है जिसके फलस्वरूप परिचालन व्यय में ₹214.24 करोड़ की कमी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवल हानि (कर को घटाकर) में ₹140.10 करोड़ की कमी है;

   सी) वित्तीय विवरण का नोट सं.18.12 (बी) जो आरबीआई परिपत्र 12 अप्रैल 2016 के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा लिए गए खाद्य ऋण के संबंध में प्रावधान से संबंधित है;

   डी) वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9 (सी) जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के अनुसरण में कतिपय अग्रिम के संबंध में पुन:वर्गीकरण और अतिरिक्त प्रावधान से संबंधित है;

   ई) वित्तीय विवरण का नोट सं.18.12 (जी) जो अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान हेतु आस्थागित कर आस्ति के मान्यता से संबंधित है;

and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;

   a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the BoI Group as at 31st March 2016;

   b) in the case of the Consolidated Statement of Profit and Loss, of the loss for the year ended on that date; and

   c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. We draw attention to:

   a) Note No.18.9 to the consolidated financial statements relating to change in accounting policy for provisioning in respect of NPAs classified as Doubtful (secured portion) – one year to three years resulting in decrease in provision for NPAs for the year by ₹ 2,835.68 Crores with consequential decrease in Net loss for the year (net of tax) by ₹1,854.31 Crores;

   b) Note No. 18.12(a) to the consolidated financial statements regarding the deferment of the loss on sale of financial assets to ARCs resulting in decrease in operating expenses by ₹ 214.24 Crores with consequential decrease in Net loss for the year (net of tax) by ₹ 140.10 Crores;

   c) Note No 18.12(b) to the consolidated financial statements regarding provision in respect of food credit availed by Government of Punjab, as per RBI Circular dated 12th April 2016.

   d) Note No. 18.12(c) to the consolidated financial statements regarding re-classification and additional provision in respect of certain advances pursuant to Asset Quality Review conducted by Reserve Bank of India;

   e) Note No 18.12(g) to the consolidated financial statements regarding recognition of Deferred Tax Asset on account of provisions for Non Performing Assets;

एफ) वित्तीय विवरण का नोट सं.18.12 (एच) जो वर्ष के दौरान कतिपय एनपीए के बिक्री पर हानि और कतिपय एनपीए के लिए प्रावधान के परिशोधन से संबंधित है, जो मार्च 2015 से आस्थगित किया गया है;

जी) वित्तीय विवरण का नोट सं.18.12 (आई) जो आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों (DISCOM) को ऋण/ बाण्ड के संबंध में प्रावधान से संबंधित है।

इन मामलों पर हमारी राय शर्त-मुक्त नहीं है

अन्य मामले

8. हमने निम्न के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की थी।

क. वे अनुषंगियों जिनके वित्तीय विवरण कुल आस्तियाँ (निवल) ₹ 2937 करोड़, कुल राजस्व (निवल) ₹ 341 करोड़ और निवल नकदी बाह्य प्रवाह की राशि ₹ 3894 करोड़ दर्शाती है,

ख. वे संयुक्त उद्यम जिनका वित्तीय विवरण कुल आस्तियाँ (निवल) ₹ 2732 करोड़, कुल राजस्व (निवल) ₹ 45 करोड़ तथा निवल बाह्य प्रवाह रू.1 करोड़ दर्शाती हैं।

ग. सहायक कंपनियाँ मूल बैंक के निवल लाभ का हिस्सा ₹59 करोड़ दर्शाती हैं।

इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा/समीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं और ऐसे वित्तीय विवराण से लिए गए समेकित वित्तीय विवरणों की सीमा तक हमारी राय केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है। इस मामले में हमारी राय साक्षेप नहीं है।

9. हम 06 सहायक कंपनियों के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों पर निर्भर हैं, जैसा कि हमें मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर ₹33 करोड़ के लाभ के हिस्से का समेकन में विचार किया गया है।

10. उपर्युक्त पैराग्राफ 7 और 8 में बताये गये मामलों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना उचित नहीं है।

f) Note No. 18.12(h) to the consolidated financial statements regarding amortisation of provision for certain NPAs and loss on sale of certain NPAs during the year, which was deferred from March 2015;

g) Note No 18.12(i) to the consolidated financial statements regarding provision in respect of loans/ bonds of Power Distribution Companies (DISCOM), as per extant RBI guidelines.

Our opinion is not qualified in respect of these matters.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements of –

a) subsidiaries whose financial statements reflect total assets (net) of ₹ 2,937 Crores, total revenues (net) of ₹ 341 Crores and net cash outflows of ₹ 3,894 Crores,

b) joint venture whose financial statements reflect total assets (net) of ₹ 2,752 Crores, total revenues (net) of ₹ 45 Crores and net cash outflows of ₹ 1 Crores,

c) associates reflecting share of net profit of the Parent Bank of ₹ 59 Crores.

These financial statements have been audited / reviewed by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management, our opinion on the consolidated financial statements to the extent they have been derived from such financial statements is based solely on the report of such other auditors. Our opinion is not qualified in the respect of this matter.

9. We have also relied on the un-audited financial statements of six associates as made available to us by the management of the Parent Bank based on which share of profit of ₹ 33 Crores have been considered in the consolidation.

10. Our opinion is not qualified in respect of the matters stated in paragraphs 7 and 8 above.

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं
For M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)
संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
(एम. नं. 044577) M. No. 044577

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय
For J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)
अरूण मॅगॉन Arun Magon
भागीदार Partner
(एम. नं. 093323) M. No. 093323

मेसर्स डी. सिंह. एंड कं.
For D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)
सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
(एम. नं. 098641) M. No. 098641

मेसर्स ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता
For Grover Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)
पंकज बंसल Pankaj Bansal
भागीदार Partner
(एम. क्र. 502661) M. No. 502661

मेसर्स बी रतन अँड एसोशिएटस
For B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)
बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn
भागीदार Partner
(एम. क्र. 094790) M. No. 094790

मेसर्स जी डी आपटे अँड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)
सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय : स्टार हाऊस, सी - 5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

फोलियो नं. ____________________ डी. पी. आईडी नं ____________________
ग्राहक आईडी नं ____________________

(यदि अपूर्तीकरण न किया गया हो) (यदि अपूर्तीकरण किया गया हो)

मैं/हम ____________________ निवासी ____________________

जिला ____________________ राज्य ____________________ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक हूं/हैं और मैं/हम एतदद्वारा श्री/श्रीमती ____________________ निवासी ____________________ जिला ____________________ राज्य ____________________ को या उनके उपस्थित न होने पर श्री/श्रीमती ____________________ निवासी ____________________ जिला ____________________ राज्य ____________________ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से गुरुवार दिनांक 14 जुलाई 2016 को आयोजित बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं।

माह ____________________ की ____________________ 2016 को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर ____________________

नामः ____________________

पताः ____________________

____

Revenue Stamp

____
प्रथम /एकमात्र शेयर धारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

1. कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,

   क. एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।

   ख. संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों।

   ग. निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।

2. परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, एश्युरेंस रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।

3. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम **एक दिन** पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार जिसे नोटरी अथवा न्यायधीश ने सत्य प्रति के रुप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में निम्न पते पर पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो : बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051.

4. बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।

5. विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।

6. परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक वार्षिक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

Head Office : Star House, C-5, 'G' Block, BandraKurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Folio No.__________________ DP ID No.__________________
(If not dematerialized)

Client ID __________________
(if dematerialized)

I/We, ____ resident of in the district of ________________________ in the disctric of state of_______________________________ in the state of ____being a shareholder/ shareholders of Bank of India, hereby appoint Shri/Smt____,resident of _________________________________ in the district of _____________in the state of ___________________________ or failing him/ her Shri/Smt. ________________________________resident of______________________in the district of________________________ in the state of _______________as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Meeting of the shareholders of Bank of India to be held on Thursday,14th July, 2016 and at any adjournment thereof.

Signed this ___________________________day of _________2016.

Signature of Proxy _____________

Name ____

Address ____

____

____

Revenue Stamp

____
Signature of first named/sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by his/her attorney, duly authorised in writing.
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at **Bank of India, Investor Relation Department Head Office, 8th Floor Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.**
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting.
7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश - पत्र - सह - मतदान पेपर पास
वार्षिक आम बैठक
ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS
ANNUAL GENERAL MEETING

दिनांक : गुरुवार, 14 जुलाई, 2016, दोपहर 03.00 बजे

Date : Thursday, 14th July 2016, 03.00 P.M.

प्रथम कार्यालय: स्टार हाऊस, सी - 5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला संकुल बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

At the Bank's Auditorium, Bank of India, C5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Mumbai, 400 051

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (सदस्य / परोक्षी / एआर) NAMED IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	फोलियो क्र. ग्राहक आईडी नं. डीपी आईडी नं. FOLIO NO./DPID No./ CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Share

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present

---

प्रवेश पत्र

(पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखा जाए)

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

वार्षिक आम बैठक दिनांक : गुरुवार, 14 जुलाई, 2016, दोपहर 03.00 बजे

ANNUAL GENERAL MEETING Date: Thursday, 14th July 2016, 03.00 P.M.

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (सदस्य / परोक्षी / एआर) NAMED IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	फोलियो क्र. ग्राहक आईडी नं. डीपी आईडी नं. FOLIO NO./DPID No./ CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Share

NOTES

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

हमारा दृष्टिकोण

''कंपनियों, मध्यम श्रेणी व्यापारियों और दूरदराज के छोटे आम ग्राहकों का मनपसंद बैंक बनना, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण बाजारों और सामान्य बाजार को लागत प्रभावी विकासमान बैंकिंग प्रदान''।

Our Vision

"To become the bank of choice for corporates, medium businesses and upmarket retail customers and to provide cost effective developmental banking for small business, mass market and rural markets".

हमारा लक्ष्य

''सर्वश्रेष्ठ और व्यावहारिक बैंकिंग भूमंडलीय बाजारों में प्रदान करने के लिए एक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए लागत प्रभावी और दायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना और ऐसा करते हुए हमारे पूंजी निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना''।

Our Mission

"To provide superior, proactive banking services to niche markets globally, while providing cost-effective, responsive services to others in our role as a development bank, and in so doing, meet the requirements of our stakeholders".

हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और सरंक्षकों को, **उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक** बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons.

महत्वपूर्ण सूचना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 के संपूर्ण वर्णन को प्राप्त करने हेतु बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट **www.bankofindia.com** का अवलोकन करें।

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले शेयरधारक **investor@bigshareonline.com** पर ई-मेल कर ऑर्डर कर सकते हैं।

शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि ई मेल के जरिए जल्द नोटिस, सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना ई मेल आई डी **headoffice.share@bankofindia.co.in,** पर सूचित करें

IMPORTANT NOTICE

Shareholders are requested to visit Bank of India website **www.bankofindia.com** to get the full version of Annual Report 2015-16.

Shareholders desirous of having a copy of Bank's Annual Report may order for it by sending email to **investor@bigshareonline.com**

Shareholders are requested to register their E-mail ID, with the Bank at headoffice.share@bankofindia.co.in, for quick/early receipt of Notice, information, communication through E-mail.

Instant Money Transfer
withdraw cash without card

BOI

Now instantly transfer money through ATM/Internet for your dear ones to withdraw it at ATM without card

In just three easy steps money is transferred instantly

1. Register the recipient by SMS or Internet Banking
2. Send the IMT through bank's IMT enabled ATMs or Internet Banking
3. Issuance of IMT confirmed to sender & recipient on SMS, then recipient can walk to bank's IMT enabled ATM & withdraw IMT without card

Mobile phones are mandatory for this service.*

IMT

For further details visit your nearest branch or call **1800 103 1906**, **1800 220 229** (Toll free) or visit **www.bankofindia.co.in** | follow us at f

Bank of India

Relationship beyond banking